चतुर्थ माला, खंड 17, अंक 51 | शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1968/6 बैशाख 1890 (शक)
Fourth Series, Vol. XVII, No. 51 | Friday, April 26, 1968/Vaisakha 6, 1890. (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

Preservation
17-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 51—26 अप्रैल, 1968/6 वैशाख, 1890 (शाक)

No. 51—April 26, 1968/Vaisakha 6, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. सं० S. Q. Nos.		
1467. हिमाचल प्रदेश को दी गई सहायता	Assistance given to Himachal Pradesh	1—3
1468. उत्तर प्रदेश की टोंस घाटी को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना	Declaration of Tons valley in U.P. as Prohibited Area	3—4
1469. पाकिस्तान की हिरासत में अपहृत भारतीय	Kidnapped Indians in Pak Custody	4—7
1471. इंडियन एयरलाइंस के लिए सलाहकार समिति	Advisory Committee for Indian Airlines	7—10
1472. पामबन पर सडक का पुल	Road Bridge Over Pamban	10—11
1473. मिजो लोगो का बर्मा जाना	Mizos going to Burma	11—16
अ० सू० प्र० सं० S. N. Q. No.		
26. नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज की छात्राओं की मृत्यु.	Death of Students of Nursing College attached to Irwin Hospital, New Delhi	16—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. सं. S. Q. Nos.		
1470. दिल्ली में बिक्री कर से आय	Sales Tax Revenue in Delhi	23

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. संख्या		
S. Q. Nos.		
1474. पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट	Bomb Explosions in West Bengal	24
1475. राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पश्चिम बंगाल से विधेयक	Bills from West Bengal for Assent by President	24
1476. डाकुओं के पास प्रतिरक्षा हथियार	Defence Weapons with Dacoits	24—25
1477. केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मान	Pay scales of Teachers of Central Schools	25
1478. उत्तर प्रदेश के फलांइग क्लब	Flying Clubs in U.P.	25—26
1479. बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिकों का अमरीका चले जाना	Efflux of Indian Scientists to America	26
1480. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी	CSS Officers	26—27
1481. दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र को विदेशी सहायता मिलना	Receipt of Foreign Assistance by an English Daily of Delhi	27
1482. कोलाघाट में रूपनारायण नदी पर पुल	Bridge over Rupnarain River at Kolaghat	27—28
1483. पाकिस्तान एयरलांइन्स के विमान पायलटों की प्रस्तावित भारत यात्रा	Proposed visit to India by Pilots of Pakistan Airlines	28
1484. देश के विमान उद्योग द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में वृद्धि	Indigenous Aircraft Industry to Augment the I.A.C. Fleet	28
1485. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	Central Inland Water Transport Corporation	29
1486. साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोग	Communal Riots Enquiry Commission	29
1487. इलाहाबाद के मुसलमान निवासियों से ज्ञापन	Memorandum from Muslim Residents of Allahabad	29
1488. आसाम में तिनसुखिया में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Tinsukia, Assam	29—30
1489. फारमर्स लीग	Farmers League	
1490. कश्मीरियों का मताधिकार	Voting Rights for Kashmiris	30

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. संख्या		
S. Q. Nos		
1491. ग्रत्यधिक धन लिए जाने के कारण दल बदलने के बारे में शिकायत	Complaint about Big Money causing Defections.	31
1492. स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें	School Text Books	31—32
1493. इंडियन स्कूल ग्राफ इन्टरनेशनल स्टडीज्	Indian School of International Studies	32
1494. रोहतक में विश्वविद्यालय केन्द्र	University Centre at Rohtak	32
1495. भारत ग्रौर ग्रफीका के बीच नौवहन सेवा	India-Africa Shipping Service	32—33
1496. जैहाद	Jehad	33
ग्र. ता. प्र. सं.		
U. S. Q. No.		
8538. दिल्ली में सड़क कर की वसूली	Collection of Road Tax in Delhi	33—34
8539. इण्डियन स्कूल ग्राफ साइन्स के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल	Strike by students of Indian School of Mines	34
8540. भारतीय विधान मंडलों के पीठासीन ग्रधिकारियों का सम्मेलन	Conference of presiding officers of Legislative Bodies in India	35
8541. कलकत्ता के निकट नाव दुर्घटना	Boat accident near Calcutta	35
8542. हिप्पियों की गिरफ्तारी	Arrests of Hippies	36
8543. कोल्हापुर हवाई ग्रड्डा	Kolhapur Airfield	36—37
8544. ईसाई धर्मप्रचारक	Christian Missionaries	37
8546. सेंट्रल रिज़र्व पुलिस	Central Reserve Police	37—38
8547. उत्तर प्रदेश के बान्दा जिले में हत्यायें तथा डकैतियां	Murders and Dacoities in Banda District, U.P.	38
8548. प्रादेशिक भाषाग्रों के माध्यम से शिक्षा देने के लिये राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan for Education through Media of Regional Languages	38—39
8549. ग्रागोसी घाट पर यमुना नदी पार करने के लिये शुल्क	Charges for crossing the Jamuna River at Augosi Ghat	39
8550. पाकिस्तान सीमा पर ग्रपहरण के मामले	Kidnapping Cases in Pak. Border	39

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या		
U. S. Q. Nos.		
8551. निकोबार कमर्शियल कम्पनी, कार निकोबार	Nicobarese Commercial Company, Car Nicobar	39—40
8552. प्रस्तरयुगीन अस्त्रविशेष (माइक्रोलिथ)	Microliths	40
8553. आण्विक आक्रमण से बचने के लिये लोगों को प्रशिक्षण देना	Training to people against Nuclear Attack	41
8554. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग में नियुक्तियां	Appointment in Commission for Scientific and Technical Terminolgy	41
8555. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, में नियुक्तियां	Appointments in Commission for Scientific and Technical Terminology	41—42
8556. होशंगाबाद में प्राचीन मन्दिरों तथा मस्जिदों की मरम्मत	Repair to Ancient Temple, and Mosques in Hoshangabad	42
8557. किदवई नगर, नई दिल्ली में पुराना स्मारक	Old Monument in Kidwai Nagar, New Delhi	42
8558. राष्ट्रीय प्रयोगशाला संस्थाओं के निदेशक	Directors of National Laboratories Institutes	42—43
8559. दिल्ली में परांठों पर बिक्री कर	Sales Tax on 'Paranthas' in Delhi .	43
8560. राजनैतिक कार्यों के लिये व्यक्तियों तथा दलों को विदेशी सहायता	Foreign Aid to Individuals and Parties for Political Purposes	43
8561. इम्फाल छावनी में कृषि योग्य भूमि	Arable land in Imphal Cantonment	43—44
8562. दिल्ली परिवहन	Delhi Transport Undertaking	44
8563. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र	Central Mining Research Station	44—45
8564. रायपुर जगदलपुर राजपथ	Raipur-Jagdalpur Highway	45
8565. मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में महानदी पर पुल	Bridge on Mahanadi in Raipur, District, M.P.	45—46
8566. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands	46
8567. ललित कला अकादमी कलकत्ता के लिये भूमि	Land for Academy of Fine Arts, Calcutta	46

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8568. लद्दाख पर पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित हुए व्यक्तियों को प्रतिकर	Compensation to sufferers of Pak. attack on Ladakh	46—47
8569. पाकिस्तानियों द्वारा बाड़मेर में एक ट्रक का पकड़ा जाना	Capture of a Truck by Pakistanis in Barmer	47
8570. विद्रोही नागा तथा मिजो लोगों द्वारा आक्रमण की योजना	Offensive Plan by Hostile Nagas and Mizos	47
8571. निजाम हैदराबाद	Nizam of Hyderabad	47—48
8572. कलकत्ते में बम का फटना	Bomb Explosions in Calcutta	48
8573. आसाम, नागालैंड सीमा विवाद	Assam-Nagaland Boundary Dispute	48—49
8574. आसाम के कुछ भागों में कर्फ्यू	Curfew in Parts of Assam	49
8575. भारत में होटल परि-योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये विशेष विभाग	Special cell to Expedite Hotel Projects in India	49—50
8576. सेंट्रल स्कूल, दानापुर, पटना	Central School at Danapore, Patna	50
8577. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	50
8578. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों तथा दिल्ली नगर निगम के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Office Bearer of D. P. C. C. and Member of DMC	50—51
8579. सरकारी कर्मचारियों के अवकाश सम्बन्धी आवेदनपत्रों का निपटारा	Disposal of leave applications of Government Servants	51
8580. बुलन्दशहर में मकानों का अनधिकृत निर्माण	Unauthorised consturction in Bulandshahr	51—52
8582. बेरोजगार टाउन प्लानर तथा आर्किटेक्ट	Unemployment among Town Planners and Architects	52
8583. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	52
8585. अंदमान तथा निकोबार द्वीपों के उच्च आयुक्त	Chief Commissioner of Andaman and Nicobar Islands	52—53

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या			
U. S. Q. Nos.			
8586.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम वर्ग संस्था	C. S. S. Grade I Association	53
8587.	विभागीय पदोन्नति समितियां	Departmental Promotion Committees	54
8588.	मिजो पहाड़ियों में विदेशी वस्तुओं का तस्कर व्यापार	Smugglings of Foreign goods into Mizo Hills	54
8589.	मिजो पहाड़ियों में ग्रामों का पुनवर्गीकरण	Regrouping in Mizo Hills	54—55
8591.	शिव सेना	Shiva Sena	55
8592.	सेंट्रल स्कूल, कोटा में अध्यापकों की कमी	Shortage of Teachers at Central School, Kotah	55
8593.	दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार	Sub-Registrars in Delhi	55—56
8594.	दुर्घटना जाँच अनुभाग	Accident Investigation Section	56
8595.	मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय	Sanskrit University in M. P.	56
8596.	बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर पुल	Bridge over Ganga in Bulandshahr U. P.	56—57
8597.	उत्तर प्रदेश रोडवेज़	Uttar Pradesh Roadways	57
8598.	राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला	National Institute of Sports, Patiala	57
8599.	मनीपुर राइफल्स और विद्रोही नागाओं के बीच मुठ-भेड़	Clash between Manipur Rifles and Hostile Nagas	57
8600.	शिलाँग में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Shillong	58
8601.	मनीपुर के तीन सब-डिवीजनों का नागालैंड में विलय	Integration of three Sub-Divisions of Manipur with Nagaland	58
8602.	अल्मोड़ा में लाठी चार्ज	Lathi Charge in Almora	58
8603.	एक महिला का शव पाया जाना	Recovery of dead body of a woman	59
8604.	महात्मा गाँधी हत्या षड़यंत्र सम्बन्धी जांच आयोग पर व्यय	Expenditure on Enquiry Commission into Mahatma Gandhi Murder conspiracy	59
8605.	पूर्व जम्मू के डोडा जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti National activities in Doda District of East Jammu	59

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8606. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कार्य प्रणाली	Functioning of council of scientific and Industrial Research	59
8607. दिल्ली में निष्ठावान अध्यापकों को डराना	Intimidation of loyal Teachers in Delhi	60
8608. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध सर्वदलीय सम्मेलन	All Party Meeting against anti-National Activities	60
8609. ओलम्पिक एसोसियेशन को वित्तीय सहायता	Financial aid to Olympic Association	61
8610. चीनी दूतावास के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrests of Employees of Chinese Embassy	61
8611. हिन्दी में आदेशों का जारी किया जाना	Issue of Orders in Hindi	61
8612. विदेशी धर्मप्रचारकों के राष्ट्र विरोधी कार्य	Anti national activities of Foreign Missionaries	61—62
8613. मनीपुर के लिये पृथक उच्च न्यायालय बनाने की मांग	Demand for separate High Court for Manipur	62
8614. आसाम में केन्द्रीय सरकार के गैर आसामी कर्मचारी	Non Assamese Central Government Employees in Assam	62
8615. लचित सेना की मांगें	Demands of Lachit Sena	62
8616. आसाम में आग	Fires in Assam	63
8617. एयर इण्डिया का प्रचार कार्य	Air India Publicity Work	63—64
8618. ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries	64
8619. इंजीनियरों के लिये अखिल भारतीय सेवायें बनाने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार का विरोध	Madras Government's Opposition to formation of All India Services for Engineers	64—65
8620. पश्चिम बंगाल अन्तर्देशीय जलमार्ग	West Bengal inland Waterways	65
8621. बेलूरघाट में हवाई अड्डा	Airport at Balurghat	65
8622. भारतीय लेखकों को सहायता देने की योजना	Scheme to Assist Indian Authors	66
8623. शान्ति सेवा	Shanti Sewa	66

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8624. विदेशियों की गिरफतारी	Arrest of Foreigners	66
8625. दिल्ली पुलिस	Delhi Police	66—67
8626. काश्मीरियों का मत देने का अधिकार	Voting Rights of Kashmiris	67
8627. नई दिल्ली में नेहरू विश्वविद्यालय	Nehru University, New Delhi	67
8628. उन्नाव में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियां	Police Excesses in Unnao	68
8629. मध्य प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarship to Madhya Pradesh Students	68
8630. मध्य प्रदेश में जाने वाले विदेशी यात्री	Foreign Tourists Visiting M. P.	68
8631. मध्य प्रदेश में न्यायाधीश	Judges in Madhya Pradesh	68
8632. विदेशियों के विरुद्ध मामले	Cases Against Foreigners	69
8633. साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षायें	Examinations Conducted by Sahitya Sammelan, Prayag	69
8634. भारत सरकार की विदेशी छात्रवृत्तियां	Government of India Overseas Scholarships	69—70
8635. दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	70
8636. शिलांग में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बैरकों में आग लगाया जाना	Burning of CRP Barracks in Shillong	70
8637. पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफतारी	Arrest of Pak. Nationals	70
8638. भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुअत्तिल अधिकारी	Suspended Officers of IPS and IAS	70—71
8639. गोपाल सेना	Gopala Sena	71
8640. साम्यवादियों का उपद्रवी दल	Militant Group of Communists	71—72
8641. ऋषिकेश में महेश योगी के आश्रम में जाने वाले विदेशी	Foreigners Visiting Mahesh Yogis Ashram at Rishikesh	72
8642. आन्ध्र प्रदेश के मदकशिरा लोग	Madakasira of Andhra Pradesh	72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE

अ. ता. प्र. संख्या

U. S. Q. Nos.

8643. नेफाबाड़ी, जोरहाट में 14 मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस की बैरकों में आग लगने की घटना	Fire in Barracks of 14 Madhya Pradesh Armed Police at Nefabari, Jorhat	72
8644 इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा रद्द की गई उड़ानें	Flights Cancelled by Indian Airlines Corporation	73
8645. आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. Infiltrators in Assam	73
8646. राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा पद	IAS Cadres in States	73-75
8647. एयर इण्डिया और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S.C. & S.T. Employees in Air Corporations	75
8648. औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings	75
8649. औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings	75
8650. श्रमिक विद्यापीठ	Shramik Vidyapiths	75—76
8651. दिल्ली में बिक्री कर न्यायाधिकरण	Sales Tax Tribunal in Delhi	76
8652. होटल उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Hotel Industry	76—77
8653. भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था	Indian Institute of Historical Studies	77
8654. जम्मू तथा काश्मीर में निवारक निरोध अधिनियम	Preventive Detention Act in Jammu and Kashmir	77
8655. श्रमजीवी कलाकारों के लिये सामग्री	Material for Working Artists	77-79
8656. आसाम के कोयले से गन्धक	Sulphur from Assam Coal	79—80
8657. भारतीय संविधान	Indian Constitution	80
8658. नेफा के आदिम जाति के लोगों द्वारा विद्रोही नागाओं की सहायता	NEFA Tribesmen helping Naga Hostiles	80
8659. पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यक	Linguistic Minorities in Punjab	80

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या		
U. S. Q. Nos.		
8660. दिल्ली में जौक का मकबरा	Tomb of Zauq in Delhi	80—81
8661. दिल्ली की अधीनस्थ कार्य-कारी सेवा	Subordinate Executive Service of Delhi	81
8662. भारतीय जहाजरानी उद्योग	Indian Shipping Industry	81
8663. मथुरा में यमुना नदी पर पुल	Bridge over Jamuna at Mathura	81—82
8664. दिल्ली में स्कूलों के लिये खेल के मैदान	Play Grounds in Schools in Delhi	82
8665. उत्तर प्रदेश में मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र अलग बनाने की माँग	Demand for a separate Muslim Majority area in U.P.	82
8666. मद्रास में हिन्दी अध्यापक	Hindi Teachers in Madras	82
8667. संसत्सदस्यों तथा विधायकों के साथ व्यवहार करने सम्बन्धी आचार संहिता	Code of Conduct in Dealing wtth M.Ps. and M.L.As.	83
8668. शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	83
8669. मंगलौर पत्तन	Mangalore Port	83—84
8670. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रश्न पत्रों का मालूम हो जाना	Leakage of question papers in Andamans	84
8671. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की इमारत में आग लगना	Outbreak of fire in CSIR Building	84
8672. जहाजरानी सेवायें	Marine Services	85
8673. सैन्य शिक्षा (मिलिट्री साइंस) में विश्व-विद्यालय पाठ्यक्रम	University Courses in Military Science	85
8674. राजस्थान में पर्यटको के लिये सुविधाओं की व्यवस्था	Amenities for Tourists in Rajasthan	85—86
8675. अखिल भारतीय सेवाएं	All India Services	86—87
8676. हवाई अड्डों पर राडार	Radars at Air Ports	87
8677. काबली ऋण दाता	Kabuli Money Lenders	87—88
8678. सीमा क्षेत्रों में मुसलमानों को पहचान-पत्र देना	Issue of Identity Cards to Muslims in Border Areas	88

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8679. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के बोर्डों के सदस्यों	Boards of Members of Air India and IAC	88
8680. आन्ध्र प्रदेश में नक्सलबाडी किस्म के उग्रवादी लोग	Naxalbari Type Extremists in A.P.	88—89
8681. भारतीय प्रशासनिक सीमान्त सेवा का भारतीय विदेश सेवा में विलय	Merger of IFAS with IFS	89
8682. गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं	Private Educational Institutions	89—90
8683. गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर सजा की मुआफी	Remission of Prison sentences on Gandhi Birth Centenary	90
8684. 'विश्व वीर' नामक भारतीय मालवाहक जहाज में आग लगना	Fire at Indian Freighter Vishva Vir	90—91
8685. केरल की बन्दरगाहों के लिये ड्रेजर	Dredger for Kerala Ports	91
8686. चक्रवात (साइक्लोन) चेतावनी केन्द्र, मद्रास	Cyclone Warning Station, Madras	91—92
8687. हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में चोरी	Theft in Salar Jung Museum, Hyderabad	92
8688. अजन्ता एलोरा के भित्तिचित्र	Ajanta-Elora Frescoes	92—93
8689. भारत सरकार के सचिव	Secretaries in the Govt. of India	93—94
8690. दक्षिण कनारा जिले में मेक्केकट्टू मन्दिर में लकड़ी की मूर्तियां	Wooden Statue in Mekkekattu Temple in South Kanara District	94
8691. पारादीप पत्तन में शराब की दुकान	Liquor Shop at Paradeep Port	94
8692. सेनाएं	Senas	95
8693. एरियल खाड़ी पर घाट (जेटी) का निर्माण	Construction of a Jetty at Areal Bay	95
8694. अन्दमान द्वीपसमूह के निवासी	Settlers in Andaman Group of Islands	95—96
8695. पाकिस्तानियों द्वारा बाड़मेर से भारतीयों का अपहरण	Kidnapping of Indians by Pakistanis in Barmer	96
8696. तटीय नौवहन सेवायें	Coastal Shipping Services	96—97

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8697. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खनन विज्ञान के विद्यार्थियों से ज्ञापन	Memorandum from Mining Students of Banaras Hindu University	97
8698. पश्चिम बंगाल में अमता के निकट पुल	Bridge near Amta in West Bengal	97—98
8699. मुशावरत	Mushavarat	98
8700. भारत-थाईलैंड विमान सेवायें	India-Thailand Air Services	98—99
8701. शेखअब्दुल्ला द्वारा काश्मीरी पण्डितों को जनमत संग्रह मोर्चे में शामिल होने का निमन्त्रण	Sheikh Abdullah's invitation to Kashmiri Pandits to join Plebiscite Front	99
8702. इलाहाबाद में हिन्दुओं की गिरफतारी	Arrest of Hindus in Allahabad	99
8703. पुलिस गार्ड का पाकिस्तान भाग जाना	Escape of a Police Guard to Pakistan	100
8704. यार्दी समिति का प्रतिवेदन	Yardi Committee Report	100
8705. भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in IAS and IPS.	100
8706. दिल्ली में पुलिस की हड़ताल के कारण हुआ व्यय	Amount spent due to Police Strike in Delhi	100—101
8707. ससदीय कार्य करने वाले व्यक्ति	Persons dealing with Parliamentary work	101
8708. नेशनल फिटनेस कोर इन्स्ट्रक्टर	National Fitness Corps Instructors	101—102
8709. आजाद हिन्द फौज का स्मारक	Memorial for INA	102
8710. दिल्ली परिवहन का किराया	DTU Fares	102
8711. नई दिल्ली में कुतुबमीनार में पेय जल की व्यवस्था	Arrangements for Drinking Water at Kutab Minar, New Delhi	102
8712. रूरकेला में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Rourkela	102—103
8713. होटलों में विदेशी क्रूनर और कैबरे कलाकारों की नियुक्ति	Employment of Foreign Crooners and Cabaret Artistes in Hotels	103

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. NOS.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
8714.	पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थलों में जाने पर पाबन्दी	Restrictions on Visiting Tourist Places in West Bengal	103—104
8715.	'मदर इण्डिया' मासिक पत्रिका की प्रतियों का जब्त किया जाना	Seizure of Copies of 'Mother India'	104
8716.	'केयर' नामक विदेशी संगठन	CARE	104—105
8717.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउंट विमान	IAC Viscounts	105
8718.	विदेशों में अध्ययन के लिये अनुसूचित आदिम जातियों को विदेशी छात्रवृतियां	Foreign Scholarships to Scheduled Tribes for Study Abroad	105—106
8719.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology	106
8720.	केन्द्रीय मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारी	Hindi Officers in Central Ministries	106—107
8721.	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee	107
8722.	विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी में कार्य	Work in Hindi in various Ministries	107—108
8723.	हिन्दी असिस्टेन्ट और हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Assistants and Hindi Stenographers	108
8724.	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers	108
8725.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में तदर्थ पदोन्नतियां	Ad-Hoc Promotions in the Commission for Scientific and Technical Terminology	108—109
8726.	केंद्रीय प्रकाशन संगठन	Central Publication Organisation	109
8727.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में पाण्डुलिपियों की छपाई	Printing of Manuscripts in the Commission for Scientific and Technical Terminology	109
8728.	वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलियोबोटैनी	Birbal Sahni Institute of Palaoobotany	109—110
8729.	लचित सेना	Lachit Sena	110

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	110
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	111
श्री रंगा	Shri Ranga	111
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nehata	112
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	112—113
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Charan Jeet Yadav	113
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	113—114
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	114
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	114—115
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Das Menon	115—116
श्री जी. भा. कृपलानी	Shri J.B. Kripalani	116
श्री उमानाथ	Shri Umanath	116—117
श्री पें. वेंकटासुब्य्या	Shri P. Venkatasubbaiah	117—118
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	118
श्री फखरूद्दीन अहमद	Shri F.A. Ahmed	118—119
सभा पटल पर रखें गये पत्र	Papers laid on the Table	122
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	
कार्यवाही सारांश, साक्ष्य और दूसरा प्रतिवेदन	Minutes, Evidence and Second Report	123
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	124
पचपनवां प्रतिवेदन	Fifty-fifth Report	124
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	124
उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन	Ninteenth and Twentieth Report	124
सभा का कार्य	Business of the House	124
संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिका के कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक-पुरःस्थापित	Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Bill-Introduced	127
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	127
उन्तीसवां प्रतिवेदन	Twenty-ninth Report	127
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 217 का संशोधन) (श्री एम. नारायण रेड्डी का)	Constitution (Amendment Bill (Amendment of article 217) by Shri M. Narayan Reddy	127
(2) श्रमिक (प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेना) विधेयक (श्री श्रीनिवास मिश्र का)	Labour (Participation in Management Bill by Shri Srinibas Misra	128
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 90,92 आदि का संशोधन) (श्री श्रीनिवास मिश्र का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 90,92 etc.) by Shri Srinibas Misra	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 86-क का रखा जाना)	Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of new section 86 A) by Shri S.S. Kothar	129
संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, (धारा 6 का संशोधन) श्री मनुभाई जे. पटेल का	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill (Amendment of section 6) by Shri Manubhai J. Patel	128—129
पुरस्थापित करने का प्रस्ताव-अस्वीकृत	Motion to Introduce-Negatived	
संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 3,9 आदि का संशोधन) (श्री पन्नालाल बारूपाल का) वापिस लिया गया	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill-(Amendment of sections 3,6 etc. etc) by Shri P.L. Barupal Withdrawn	129—136
श्री पन्ना लाल बारुपाल	Shri P.L. Barupal	129—135
श्री गाडिलिगंन गौड	Shri Gandilingana Gowd	130
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	130—131
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	131
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	131—132
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	132
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	133
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi	133
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsi Das Jadhav	133
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	133—134
श्री उमानाथ	Shri Umanath	134—135
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	135
डा. राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	135
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Salaries & Allowances and other Amenities to Members of Parliament	136—137
डा. राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	136—137
अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद विधेयक	All India Ayurvedic Medical Council Bill	137—138
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to circulate	137—138
श्री अ. त्रि. शर्मा	Shri A.T. Sharma	137—138
बम्बई में चलचित्रों के निर्माण के बन्द किये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion re. Suspension of Production of Films in Bombay	138—140
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	138—139
श्री के. के. शाह	Shri K.K. Shah	139—140

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1968/6 वैशाख, 1890 (शक)

Friday, April 26, 1968/Vaisakha 6, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिमाचल प्रदेश को दी गई सहायता

***1467. श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व में से हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश को यदि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाय तो वह केन्द्रीय करों में से कितनी राशि पाने का हकदार बनता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश को, तब तक जब तक कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, उतनी वित्तीय सहायता देने का है जितनी उसे पूर्ण राज्य होने की स्थिति में मिलनी चाहिये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सन् 1964-65 से आगे केन्द्रीय सहायता की निम्नलिखित रकमें हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई हैं :—

वर्ष	सहायता अनुदान (रु० लाखों में)	ऋण
1964-65	792.50	467.42
1965-66	895.96	535.49
1966-67	1,495.86	700.63
1967-68	1,816.47	1,226.57

(ख) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा संविधान के अधीन अपेक्षित वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आयोग सम्बन्धित राज्य की अनेक बातें नामतः, जनसंख्या, संग्रह, पिछड़ापन इत्यादि को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें देता है। अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यदि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया होता तो उसे केन्द्रीय करों से क्या मिलता।

(ग) **और** (घ) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट में सारी कमी वर्तमान में केन्द्रीय सहायता—राजस्व मदों के लिए सहायता अनुदान और शुद्ध पूंजीगत व्यय के लिए ऋण—द्वारा पूरी की जाती हैं, इस स्तर से अधिक उन्हें कोई वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

Shri Prem Chand Verma : At present the expenditure of Himachal Pradesh is outstripping its income and the main contributing factor to this is that following the partition 6000 Government employees with a large number of officers have been posted to Himachal Pradesh and they are redundant to the needs of that State, and a drain on its limited resources. In view of this do Government propose to transfer them to Punjab, Haryana or the Central Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : The cause of high expenditure in Himachal Pradesh cannot be attributed to surplus Government employees, it is on the other hand because of the developmental jobs going on there. As the Hon. Members know we have to give enormous grants to Himachal Pradesh to enable them to meet their expenses which are twice or thrice as much as their income. However, we shall look into this matter.

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that the Chief Minister of Himachal Pradesh has conveyed to the Central Government that the people and State Assembly of Himachal Pradesh are unanimously demanding that Himachal Pradesh be given the Status of statehood and that if this is conceded they would not claim for excess grants, if so what are the difficulties in acceding to their demand ?

Shri Vidya Charan Shukla : As stated already we are prepared to consider this question sympathetically as and when the State attains viability since at present their resources being limited their expenditure is twice their income.

Shri Srichand Goel : The Hon. Minister gave the argument that economically the State is not self-sufficient. Due to erection of so many big dams in that state a large chunk of the population of Himachal Pradesh was rendered homeless. If a share in the income of those dams is given to Himachal Pradesh, that State can certainly achieve viability. Do Government propose to reconsider their decision in the light of these factors ?

Shri Vidya Charan Shukla : All aspects were taken into consideration at the time of taking decision.

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह मांग की है कि सतलुज और व्यास के पानी से लाभ उठाने वाले राज्यों से जो आमदनी होती है उसमें हिमाचल प्रदेश को भी हिस्सा दिया जाये और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

दूसरे, क्या चतुर्थ वित्त आयोग से यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले करों में हिमाचल प्रदेश का क्या भाग होगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: इस समय मुझे इन नदियों के जल से होने वाली आमदनी की जानकारी नहीं है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इसके लिए मुझे सूचना चाहिये।

Shri Pratap Singh : Is it a fact that 90 per cent of the Central grants are spent on Centrally sponsored schemes? Secondly, are Government cognizant of the fact that Himachal Pradesh stands on a different footing vis-a-vis other Union Territories since when Himachal Pradesh was composed into a unit by uniting 30 small and big states, at that time Sardar Patel had clarified that Himachal Pradesh would be given the status of a State after it is sufficiently developed. What are the hindrances in its way now? Thirdly is the Hon. Minister aware that even after lapse of 20 years no industry has been set up there, although that state is plentifully rich in raw materials?

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the first question I am not aware of the mode of spending the grants given by the Centre to Himachal Pradesh. But so far as I know separate allocations are made for schemes like "Family Planning" etc. As regards the second question I am not aware of any such assurance having been given. As I stated clearly in regard to the giving of the status of statehood we have to adhere to certain criteria.

उत्तर प्रदेश की टोंस घाटी को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना

***1468. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अधिनियम, 1946 या अपराध विधी (संशोधन) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की टोंस घाटी को निषिद्ध/अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्री : (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1047/68]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन आदेशों के जारी किये जाने के बाद इन पांच या छ वर्षों में क्या किन्हीं विदेशियों को इन क्षेत्रों में जाने के लिये विशेष पर्मिट दिये गये हैं और क्या यह सच हैं कि उनमें से कुछ वहां किराये के मकानों में रहते हैं और आपत्तिजनक कार्यवाहियां कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वहां पर किसी व्यक्ति के ठहरने के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है । सम्भवत: अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार व्यक्तिगत मामलों पर विचार करती हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 1963 के इस आदेश में उत्तर प्रदेश के इस विशिष्ट क्षेत्र सहित कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है । पश्चिम बंगाल, के पांच जिले भी इनमें शामिल हैं । क्या मन्त्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि इस आदेश को इन उत्तरी पांच ज़िलों से वापस ले लिया जाये क्यों कि इससे विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय में काफी घाठा हो रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे राज्यपाल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether prohibited Tous Valley is the same where a dam was proposed to be built and there was some resentment among the people of that area on this issue since their fields would be covered by the dam?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं जानता कि यह वही इलाका है । टोंस घाटी सुज्ञात

है । अलबत्ता दो नदियां हैं, एक फैज़ाबाद, आज़मगढ़, बैलिया और पास के क्षेत्रों में और दूसरी उत्तर काशी जिले में, और टोंस घाटी का वह भाग निषिद्ध घोषित किया गया है जो उत्तर काशी जिले में है ।

पाकिस्तान की हिरासत में अपहृत भारतीय

***1469. श्री नरसिम्हा राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1968 के 'पैट्रियट' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आसाम के वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि अभी 29 अपहृत भारतीय नागरिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री : (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) जी हां, श्री मान् ।

(ख) सीमा सुरक्षा दल और असम सरकार ने अपने समकक्ष पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोध पत्र भेजा था । 29 व्यक्तियों में से अब तक 4 भारतवर्ष लौट आए हैं । शेष 25 व्यक्तियों को मुक्त कराने के प्रयत्न जारी हैं ।

श्री नरसिम्हा राव : क्या इन भारतीय व्यक्तियों को रिहा करने के सम्बन्ध में उच्चायुक्त द्वारा कोई बातचीत की गई है और यदि हां, तो कब ?

श्री रंगा : क्या हमारे उच्चायुक्त ने कोई अभ्यावेदन किया था, और यदि हां, तो कब ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रकार के मामलों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने प्रतिरूप पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जाती है; पिछले सात या आठ वर्षों में अपहरण के बहुत से मामले हुए हैं और हमने उस ओर से एक बड़ी संख्या में लोगों को रिहा कराया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether these kidnapped 25 persons are civilians or Military or Police personnel and the efforts so far made to have them released and whether our High Commissioner has taken up this matter with Pakistan, if not, the steps Central Government propose to take in this matter ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अपहरण किया गया है; कभी कभी इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं ।

श्री रंगा : इन लोगों का क्या बना ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं जानकारी दे रहा हूँ । इन 29 व्यक्तियों में से 4 वापस आ गये हैं । शेष 25 प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि वे सफल होंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Have you taken any retaliatory measures ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उच्चायुक्त द्वारा इस मामले पर बातचीत नहीं की गई है । इस मामले पर पुलिस अधिकारियों के बीच कई वर्षों से बातचीत चल रही है । मैं समझता हूँ कि अब इस मामले को उच्चायुक्त के स्तर पर उठाया जाना चाहिये ।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : आसाम के किन जिलों से इन 29 व्यक्तियों को अपहरित किया गया था ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे इन 29 मामलों की विस्तृत जानकारी है : यदि माननीय सदस्या चाहें तो मैं यह जानकारी उनको दे सकता हूं ।

श्री हेम बरुआ : इन 25 व्यक्तियों के अतिरिक्त अब भी 79 भारतीय व्यक्ति पाकिस्तानियों की हिरासत में हैं और उन्हें रिहा करने में हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुये कि पाकिस्तान का रवैया ताशकन्द करार को चुनौती है क्या हमारी सरकार ने श्री कोसीगिन के साथ इस बिषय पर बातचीत की है जिन्होंने दोनों देशों में तनाव को कम करने के लिये कुछ सुझाव दिये थे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं । यह एक निरन्तर समस्या है । मैं समझता हूँ कि अपहरण के मामलों में पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत से हमें सफलता मिली है ।

श्री हेम बरुआ : अब तक तो सफलता मिली नहीं है ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : फिर भी इन 25 व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि उच्चायुक्त के द्वारा भी मामले को उठाया जाना आवश्यक होगा ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । हमारी हिरासत में कुछ पाकिस्तानी थे और हमने उन सबको रिहा कर दिया है, किन्तु पाकिस्तान ने अभी 79 व्यक्तियों को रिहा नहीं किया है जो कि अपहरित किये गये इन 25 व्यक्तियों के अतिरिक्त हैं । अतः माननीय मन्त्री यह कैसे कह सकते हैं कि पुलिस स्तर पर हमारे प्रयत्न सफल हुए हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस श्रेणी के लोगों का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की विभिन्न श्रेणियां हैं । जानकारी उपलब्ध हुए बिना मैं कुछ कहना नहीं चाहता । इन 29 व्यक्तियों के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है । हमारी हिरासत में भी कुछ पाकिस्तानी हैं ।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : आसाम के वित्त मन्त्री का वक्तव्य 23 मार्च का है । ये लोग कितने समय से पाकिस्तान की हिरासत में हैं और क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि अपहरित लोगों को तुरन्त रिहा करा लिया जाये ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कुछ लोग 1965 में अपहरित किये गये थे, कुछ 23 सितम्बर 1965 को, कुछ 1966 में और कुछ 1967 में भी । इस सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया यह है कि इन मामलों पर प्रतिरूप अधिकारियों के साथ बातचीत की जाती है । कभी कभी पुलिस कहती है कि उन्होंने अपराध किये हैं और उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं । इन मामलों की जांच करनी पड़ती है ।

श्री हेम बरुआ : यदि पाकिस्तान इसी प्रकार चलता रहा, तो वह हमारे गृह मन्त्री का भी अपहरण कर लेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Large scale Pakistan infiltration is going on in Assam as a result of which incidence of kidnapping is also increasing. Anti-national activities are going on here. They are having connections with Pakistan and China also. Is it a fact that Indian Government had given a directive to the Assam Government that Pakistan infiltrators residing there for four or five years should be granted Indian Citizenship ? Is Assam Government free to deal with the infiltrators ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। आसाम सरकार को घुसपैठियों के बारे में निदेश देने का कोई प्रश्न नहीं है। घुसपैठियों के साथ निपटने के लिये आसाम सरकार को पूरी स्वतन्त्रता है।

श्री कंवरलाल गुप्त : आपने अनुदेश जारी किये हैं कि एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये जो यह फैसला करेगा कि वे पाकिस्तानी हैं या नहीं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य इसके लिये एक पृथक प्रश्न की सूचना दें।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : इन 29 अपहरित व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या पाकिस्तान ने वही पुरानी कहानी दोहराई है कि वे उनके प्रदेश में घुस कर जासूसी की कार्यवाही कर रहे थे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी नहीं।

श्री गिरिराज शरण सिंह : निश्चय ही हमारी हिरासत में कई पाकिस्तानी हैं जिन्हें पाकिस्तान रिहा कराना चाहता है। क्या किसी रूप में अदला बदली सम्भव नहीं है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री न० कु० सोंघी : क्या सरकार अपहरित व्यक्तियों के परिवारों के सम्बन्ध में कुछ करने जा रही है ? कुछ परिवार बड़ी आर्थिक कठिनाई में हैं और वे यहां कुछ मंत्रियों से भीं मिले हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं आसाम सरकार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। फिर भी मैं इस मामले पर आसाम सरकार से लिखा पढ़ी करूंगा।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी : अपहरण के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को हथियार देने पर विचार करेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह एक जटिल प्रश्न है और इसके बारे में बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है व्यक्तिगत मामलों पर तो गुणदोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या अपहरण ताशकन्द भावना के विरुद्ध होने के अतिरिक्त पूर्ण रूप से गैर कानूनी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या माननीय मन्त्री आश्वासन देंगे कि इसे भविष्य में न केवल रोका ही जायेगा, अपितु अपहरित व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निःसन्देह। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं :

श्री नरेन्द्रसिंह पहाड़ी : माननीय मन्त्री ने कहा कि हमारी हिरासत में कुछ पाकिस्तानी हैं। उनकी संख्या क्या है और पाकिस्तान में हमारे अपहरित व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है क्या इसका पता लगाने के हमारे पास कोई साधन हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वह 100 प्रतिशत विश्वासनीय है।

श्री हेम बरुआ : इन 29 अपहृतों में कितनी स्त्रियां हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : एक।

श्री हेम बरुआ : मेरी जानकारी है कि दो हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह पता लगा लेंगे।

इन्डियन एयरलाइन्स के लिये सलाहकार समिति

***1471. श्री दी० चं० शर्मा : श्री जुगल मंडल :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को, सेवा और सुविधाओं में सुधार हेतु परामर्श देने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई है।

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा निर्देश-पद क्या है; और

(ग) यह अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपालसिंह) :

(क) एयरकारपोरेशन अधिनियम 1953 की धारा 41 के अन्तर्गत स्थापित की गयी इंडियन एयरलाइंस की सलाहकार समिति का 9 फरवरी, 1968 से पुनर्गठन किया गया।

(ख) समिति के कार्य एयर कारपोरेशन नियमों के नियम 50 में दिये गये है जिसके अनुसार समिति, अन्य बातों के साथ-साथ विमान यात्रा के लिये सुविधाओं, बिमान सेवाओं की समय सारिणियों और आम जनता के हितों तथा जनता की सुविधाओं के मामलों के बारे में इंडियन एयरलाइंस को सलाह देती है, बशर्ते कि कर्मचारियों, अनुशासन और नियुक्ति से संबंधित मामले समिति के पास सलाह के लिए नहीं भेजे जायेंगे। इस समिति में 17 सदस्य हैं जो कि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ग) यह समिति एक स्थायी सलाहकार निकाय है और इसे सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि यह समिति कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण और वर्गोन्नति की समस्याओं को हल नहीं करेगी तो इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सम्बन्ध में यह क्या उपयोगी कार्य करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पदोन्नति आदि समस्याएं स्वयं कारपोरेशन के क्षेत्राधिकार में हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे सलाहकार समिति हल कर सके। किन्तु सलाहकार समिति एक उपयोगी कार्य करती है क्योंकि यह यात्रा करने वाली जनता के प्रतिनिधियों के संचालन को अच्छी तरह जानने का अवसर देती है, और कारपोरेशन को जनता के सदस्यों से सुझाव प्राप्त करने का अवसर देती है।

श्री दी० चं० शर्मा : जब हम अन्य विमान कम्पानियों के विमानों में यात्रा करते हैं तो हमें कुछ प्रपत्र भरने के लिये दिये जाते हैं जिन पर हमें उन विमान कम्पनियों के संचालक के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय लिखने के लिये कहा जाता है। यहां हमसे ऐसे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये नहीं कहा जाता। क्या माननीय मन्त्री ने इंडियन एयरलाइन्स या एयर इन्डिया इन्टरनेशनल में कोई ऐसी चीज चलाई है, यदि हां, तो इसमें अब तक क्या सफलता मिली है क्या ये चीजें सलाहकार समिति के क्षेत्राधिकार में आयेंगी।

डा० कर्ण सिंह : अन्य प्रत्येक विमान कम्पनी की तरह एयर इन्डिया के पास भी सदैव एक ऐसी पद्धति है । हाल ही में इण्डियन एयर लाइन्स में हमने एक प्रश्नावली चालू की है और अभी उस के प्रभाव को आंका नहीं जा सकता । किन्तु हमें उपयोगी सुझाव प्राप्त होने आरम्भ हो गये हैं ।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि जबकि भाड़े में वृद्धि होती जा रही है, भोजन का स्तर गिरता जा रहा है । समोसे बिल्कुल ठंडे होते हैं और अन्य वस्तुएं खाने योग्य नहीं होतीं । क्या इस प्रकार की समितियां सभी मुख्य हवाई अड्डों पर बनाई जा रही हैं ताकि स्थानीय लोग भी अपनी सलाह दे सकें ?

डा० कर्ण सिंह : सलाहकार समिति में संसद सदस्य चार मुख्य क्षेत्रों से चैम्बर्स आफ कामर्स और विभिन्न ट्रेवल एजेन्टों के प्रतिनिधि शामिल हैं । मुझे खेद है कि इण्डियन एयरलाइन्स के साथ माननीय सदस्य का अनुभव खराब रहा । मैं केवल यही अश्वासन दे सकता हूं कि भोजन में सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही पर्याप्त सुधार होगा ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में और इस कारपोरेशन द्वारा किये गये अन्याय के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में शिकायतें आदि हैं, क्या माननीय मन्त्री इस मामले में सलाहकार समिति को कुछ शक्तियां देने पर विचार करेंगे ।

डा० कर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि पदोन्नतियों के मामलों से इस प्रकार की सलाहकार समिति का सम्बन्ध रखना एक सही प्रशासनिक प्रक्रिया होगी । ये तो कारपोरेशन के क्षेत्र में हैं जो एक स्वायत्तशासी निकाय है । यदि कोई शिकायतें हुईं तो निश्चय ही उनकी जाँच की जायगी ।

तेन्नेटि विश्वनाथम : इन्डिन एयरलाइन्स में हाल ही में चालू की गई प्रश्नावली के सम्बन्ध में, क्या माननीय मन्त्री को पता है कि सदस्य सामान्यतः इन प्रपत्रों को नहीं भरते क्योंकि वे जो कुछ भी लिखेंगे एयरलाइन्स के विरुद्ध होगा ।

डा० कर्ण सिंह : सुझावों को मंगाने का उद्देश्य अप्रशंसात्मक टिप्पणियों को सुनना ही होता है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस सलाहकार समिति की अनुमानित लागत क्या है ? दूसरे क्या इस सलाहकार समिति का प्रतिवेदन किसी को उपलब्ध होगा ?

डा० कर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि एक सलाहकार समिति एक लोकतन्त्रात्मक ढाँचे में उपयोगी कार्य कर सकती है । जैसा मैंने पहले बताया सलाहकार समिति कोई प्रथम प्रतिवेदन नहीं देती । दोनों निगमों के प्रतिवेदन प्रति वर्ष सभा पटल पर रखे जाते हैं । सलाहकार समितियां स्थायी निकाय हैं जो कारपोरेशन के महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में बैठती हैं और वे निरन्त रूप में सुझाव देती रहती है । मुझे महाप्रबन्धक ने बताया है कि नई सलाहकार समिति की पहली बैठक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है ।

वास्तविक व्यय के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । किन्तु मैं नहीं समझता कि व्यय किसी तरह अधिक है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know why in Indian Air Lines only women are kept as air-hostesses and not men ? Secondly will this Advisory Committee also look into the fact of air-hostesses smoking with the passengers and that all the newspapers and periodicals and Time table kept there are in English which should be in Hindi also ?

Dr. Karan Singh : As regards the question of keeping women only as air-hostesses, I am to say that this is the system followed in all the air-lines World over. As regards Hindi newspapers and periodicals I have already ordered that Hindi newspapers and periodicals may be kept there. I hope now the hon. Member will have no occasion to complain.

श्री क० नारायण राव : श्रीमान्, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न मांगों पर दी जाने वाली सेवाओं का स्तर भिन्न भिन्न है। उदाहरणार्थ, मैंने विज़ागापत्तनम से हैदराबाद और हैदराबाद से नई दिल्ली यात्रा की और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं दो भिन्न भिन्न विमान कम्पनियों के विमानों में यात्रा कर रहा हूं। विज़ाग से हैदराबाद जाते हुए जब मैंने 'शंकर्ज वीकली' की प्रति मांगी तो मुझे तीन सप्ताह पुरानी प्रति दी गई। अब जब मैंने हैदराबाद से नई दिल्ली की यात्रा की तो मुझे उस पत्रिका की नवीनतम प्रति दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य शिकायत है।

श्री क० नारायण राव : एक उदाहरण द्वारा मैंने असमानता को बताने का प्रयत्न किया है क्या सरकार सभी मांगों पर सेवाओं में समानता लाने का प्रयत्न करेगी ?

डा० कर्ण सिंह : सभी विमानों पर नवीनतम सेवायें देने का हम सदैव सदैव प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश सदा यही रहती है कि प्रत्येक सेवा में एकसी सुविधाओं की व्यवस्था हों। ...(व्यवधान)

श्री रंगा : जहाँ तक अन्न का सम्बन्ध है, उसमें समानता होनी चाहिये।

श्री पीलु मोडी : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि जो नई समिति बनाई गई थी उसने निगम के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। मैं जानना चाहता हूं कि इन सुझावों के परिणाम को वास्तविक कार्य के रूप में हम कब देख सकेंगे।

जहां तक अन्न का सम्बन्ध है मैं निश्चय रूप से अन्न की मात्रा के विषय में माननीय मित्र श्री कछवाय के साथ सहानुभूति रखता हूँ। लेकिन जहाँ तक किस्म (क्वालिटी का सम्बन्ध है उसका केवल एक उपचार है जो मैं बता सकता हूं वह यह है कि मंत्री परिषद को एक महिने तक और कुछ नहीं केवल आई० ए० सी० का खाना खाने के लिए, कहा जाय और मैं विश्वास दिलाता हूं कि खाने की किस्म में एकदम सुधार हो जायेगा। क्या मंत्री महोदय के दिमाग में ऐसी कोई बात है ?

डा० कर्ण सिंह : पहला प्रश्न यह था कि इन सुझावों का परिणाम कब दिखाई देगा। जैसा मैंने बताया है, यह तो चलते रहने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई निश्चित अवधि है। सेवाओं में सुधार की एक सतत प्रक्रिया है एयरलाइंज जैसी जनोपयोगी सेवाओं में ध्यान इस बात पर दिया जाता है, कि लोग जो कुछ चाहते हैं, उन बातों को समझने का प्रयत्न किया जाय और उसी दृष्टि से सेवाओं में सुधार का प्रयत्न किया जाय।

श्री पीलु मोडी : सुझावों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

डा० कर्ण सिंह : इस समय यह बताना असम्भव है। सुझाव दिये जाते हैं और उनमें से कई सुझाव कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

श्री पीलु मोडी : " कार्यान्वित किये जाने की प्रक्रिया " क्या है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि किसी वाणिज्यिक संगठन को चलाना एक सतत कार्य है। जहाँ यह सब कुछ निरन्तर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसा कि आप किसी प्रश्न के सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित कर देते हैं। जहां तक भोजन के बारे में है, माननीय सदस्य अकसर हवाई यात्रा करते हैं और मैं सोचता हूं यह तो स्पष्ट है कि उन्हें इस भोजन से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं भी अकसर हवाई जहाज से यात्रा करता हूं।

श्री रंगा : मंत्री महोदय इसलिए इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते क्यों कि वे अकसर हवाई जहाज से यात्रा करते रहे हैं। पहले तो वे राजा रहे हैं और अब मंत्री हैं।

पामबन पर सड़क पुल

***1472. श्री कमलानाथन् :** **श्री मयाबान :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में पाक जलडमरूमध्य (स्टेट) में पामबन पर एक सड़क पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन परियोजना का उद्घाटन करते समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस सड़क पुल के महत्व पर बल दिया था, और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनकी मृत्यु के बाद इसकी प्राथमिकता को कम कर दिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस पुल को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जाय, परंतु वित्तीय कठिनाई के कारण यह न किया जा सका। मुख्य पुल और पहुंच मार्गों के निर्माण की मोटी तौर पर अनुमानित लागत ५ करोड़ रुपये आती है। इस को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना भी साधनों की उपलब्धता पर और इन साधनों के विरुद्ध अधिक प्राथमिकताओं की मागों पर निर्भर करता है।

श्री कमलनाथन् : श्रीमान् यदि मुझे ठीक याद है तो जब आप परिवहन मंत्री थे तब उस समय जो प्रधान मंत्री थे उन्होने तूतीकोरिन पत्तन के उद्घाटन के समय इस पुल के महत्व को समझा था और तुरंत ही यह सुझाव दिया था कि इस कार्य को हाथ में लिया जाय। प्राक्कलन तैयार किये गये थे, लेकिन अभी तक इस कार्य को नहीं किया गया है। भारत सरकार की नीति लुप्त-कड़ियों को सर्व प्रथम प्राथमिकता देने की है। क्या वह मन्दापाम और दनुश्कोदी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 में एक लुप्त-कड़ी नहीं है ? अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है लेकिन इस कार्य को आरम्भ नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इसे शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा ?

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन् नवम्बर 64 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने तूतीकोरिन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान यह इच्छा प्रकट की थी कि इस मामले की जांच की जाय। शीघ्र ही जनवरी 1965 में व्यापक सर्वेक्षन के लिए प्राक्कलन मंजूर किये गये थे, वे राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 1965 तक तैयार

कर दिये गये थे। इसके दौरान हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में थे और इसमें अब कुछ भी शामिल नहीं किया जा सकता था जहाँ तक चौ‍ी योजना का सम्बन्ध है सभा इस बात से अवगत है कि सब कुछ गलन-पात्र में है।

श्री कमलनाथन् : यह पुल बहुत महत्त्वपूर्ण है और हमारे लिए यह लंका के साथ कड़ी का काम कर सकता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सड़कमार्ग (रोड़वेज) का अंग बन सकता है। इसके अतिरिक्त यह लंका के लिए सबसे छोटा मार्ग बनेगा क्योंकि यह थालैमनार को भी मिलायेगा, इसलिए, क्या मंत्री महोदय इसे अन्तर्राट्रीय सड़कमार्ग का अंग बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : इस बात पर विचार किया जायेगा।

श्री मयावन : क्या यह सच है कि रेलगाड़ी सेवा बन्द कर दी गयी है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जहाँ तक मुझे ज्ञात है हाल के चक्रवात (बवंडर) के बाद रेलगाड़ी सेवा कुछ समय के लिए बन्द कर दी गयी थी। उसके बाद वे फिर चलने लग गयी हैं।

श्री विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने बताया कि यह परियोजना वित्तीय कठिनाई के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी, वर्ष 1967-68 के दौरान "राष्ट्रीय राजपथ" के अन्तर्गत मद्रास राज्य को $15\frac{1}{2}$ करोड़ रूपयों में से केवल 12 लाख रूपये दिये गये। "आर्थिक अथवा औद्योगिक महत्त्व के राज्य सड़कों" के अन्तर्गत 236 लाख रुपयों में से केवल 7 लाख रुपये मद्रास राज्य को दिये गये थे, और "केन्द्रीय सड़क निधि" के अन्तर्गत 67 लाख रुपयों में से केवल एक लाख रुपये मद्रास को दिये गये थे इस प्रकार इतनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा कम की गयी लेकिन मद्रास की पूर्णतः उपेक्षा की गयी, क्या यह भेद-भाव नहीं है ? मंत्री महोदय इसका किस प्रकार समाधान करते हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान मद्रास अथवा अन्य किसी भी राज्य के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। हम अनेक राज्य सरकारों की मांगों तथा उपलब्ध निधि को ध्यान में रखकर निर्णय करते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं विस्तार से यह बात उनको बता सकता हूँ।

श्री कृष्णमूर्ति : यदि यह नये निर्माण का कार्य है तो वित्तीय कठिनाई का प्रश्न उठाया जा सकता है। लेकिन यह पुल तो पहले था और बाद में बह गया, इसलिए रेलगाड़ियां नहीं चल सकीं, यह बचाव कार्य का प्रश्न है। क्या मैं यह समझूँ कि यहां तक कि बचाव कार्य के लिए भी वित्तीय कठिनाई पर विचार किया जाता है ? राम ने लंका जाने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। इसके पुनःस्थापन में इस रावण को बाधा नही डालनी चाहिए,।

अध्यक्ष महोदय : यहां सभा में कोई भी रावण नहीं है। सभी राम हैं। अगला प्रश्न,

मिजो लोगों का बर्मा जाना

*** 1473. श्री अंबचेजियान :** **श्री मन्त्री चेंगलराया नायडू :**

क्या ग्रह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 200 मिजो बर्मा की ओर जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा सरकार से उन्हें बर्मा की सीमा में दाखिल न होने देने तथा उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उन्हें बचकर बर्मा में दाखिल होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्री : (श्री यशवन्त राव चव्हाण : (क) जी हां, श्रीमान् । किन्तु इस समाचार की पुष्टि के लिए सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सीमा चौकियां सतर्क कर दी गई हैं । सुरक्षा सेनाएं सीमा के आर-पार विद्रोही तत्वों की हलचल को रोकने के लिए निरन्तर सतर्कता बरत रही है ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि हमारी सरकार ने पहले भी बर्मा सरकार से सीमा को पार कर बर्मा में जाने वाले मिजो लोगों के विरुद्ध कारगर कदम उठाने और उन्हें हमें सोंपने के लिए अनेक बार अनुरोध किया ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने मिजो अथवा नागा लोग हमें सौंपे गये हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कम से कम मुझे एक घटना के बारे में मैं जानता हूँ जबकि मिजोप्रदेश में इस विद्रोह के आरम्भ होने के तुरन्त बाद अवश्य कुछ मिजो परिवार पाकिस्तान और बर्मा को गये थे, बर्मा सरकार ने उन मिजो परिवारों को वापिस भेज दिया था ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि हमारे सुरक्षा सैनिकों ने पहले इन 200 मिजो लोगों को चुड़ाचन्दपुर उपविभाग में घुसपैठ करते हुए देखा और इनको मार्च 1968 में भी शिमजोल में देखा गया था ? यदि हां, तो हमारी सुरक्षा सेनाओं ने उनको सीमा पार करने देने की बजाय वहीं और उसी समय रोक क्यों नहीं लिया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा मैंने बताया कि उनके द्वारा सीमा पार किये जाने वाली सूचना की पुष्टि नही हुई हैं । लेकिन निश्चय रूप से मार्च में कुछ घटनाएं अवश्य हुई थीं जिनमें पास के गांव की स्वयं सेवकों की चौकी पर आक्रमण किया गया था, लेकिन यह सच नहीं है, कम से कम इस समाचार की पुष्टि नही हुई है कि उनमें से किसी ने सीमा को पार किया है ।

श्री बा० बरूआ : बहुत समय पहले से ऐसा होता रहा है और सेना भी वहां है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चिन्ह नही दिखाई देता कि स्थिति नियंत्रण में है, इस बात से सारे क्षेत्र में वहां के लोगों के दिमागों में एक खलल सी पैदा हो गयी है, मैं जानना चाहता हूँ क्या थोड़े समय में सम्पूर्ण स्थिति को काबू में करने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि इन लोगों की गतिविधियों से उस क्षेत्र की विभाजक शक्तियों को प्रोत्साहन न मिले ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने निश्चय ही एक वैध प्रश्न उठाया है । यह सच है कि अभी सारी स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं है । लेकिन इससे केवल समस्या की जटिलता जाहिर होती है । निश्चय ही जहां तक मिजो प्रदेश का सम्बन्ध है हमने गम्भीर कदम उठाये हैं जिनसे उस क्षेत्र में अवश्य कुछ व्यवस्था कायम हुई । आरम्भ में वहां के कुछ सक्रिय

विरोधियों के साथ काफी मुठभेड़ हुई जिससे उनको अति अन्तरंग और कठिन क्षेत्रों में आश्रय लेना पड़ा या उनको सीमा पार कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। मैंने हाल ही में सभा को सूचित किया था कि काफी जनसंख्या को समूहों (ग्रुपों) के रूप में बहुत से गांवों में बसाया गया। यह सब विरोधियों के षडयंत्रों को रचाने के अड्डों को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंशतः सफलता प्राप्त हुई है। मैं नहीं कह सकता कि सारे कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। इस समस्या के समाधान में अवश्य कुछ समय लगेगा। जब मैं इस समस्या के लिए जटिल शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि इस समस्या को फौज़ी कार्यवाही से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके कुछ आर्थिक पहलू हैं, कुछ सामाजिक और निश्चय ही कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं।

श्री बलराज मधोक : मिजो प्रदेश एक ओर तो पाकिस्तान का समीपवर्ती है और दूसरी ओर बर्मा का समीपवर्ती। हमें कई बार यह बताया गया है कि ये लोग कभी किसी कारण से और कभी किसी न किसी कारण से पाकिस्तान और कभी बर्मा जाते रहते हैं, जब कभी यह पूछा जाता है कि इनको रोका क्यों नहीं जाता तो यह तर्क दिया जाता है कि यह भू-भाग बड़ा दुर्गम है। मैं जानना चाहता हूं क्या हमारा देश ऐसा विचित्र है कि जहां का भू-भाग ऐसा है कि हम अपने विरोधी लोगों को शत्रुतापूर्ण कार्य करने के लिए देश से बाहर जाने से रोक नहीं सकते और क्या देश से बाहर जाने और बाहर से देश में आने के कानून केवल कानून के अनुसार चलने वाले नागरिकों के लिए हैं? अगर यही कारण है तो सरकार अब तक इसे रोकने में सफल क्यों नही हुई और यदि नियमित तरीके सफल सिद्ध नहीं हुए तो क्या उन्होंने आबादी के पाँच या दस मील की चौड़ाई तक सीमा क्षेत्र को साफ करने और अन्य उपायों को अपनाने के बारे में सोचा है जिससे कि मिजो लोगों का यदा कदा बर्मा, पाकिस्तान और चीन जाना रोका जा सके तथा इस प्रकार से सीमा से बाहर जाना और सीमा के बाहर से अन्दर आना, जैसे कि वे एक वार्तालाप कक्ष से दूसरे वार्तालाप कक्ष में जा रहे हों और फिर वापिस आ रहे हों रोका जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह इतना आसान नहीं है जितना ठीक एक वार्तालाप कक्ष से दूसरे वार्तालाप कक्ष में जाना और फिर वापिस आना, यही इसकी वास्तविक कठिनाई है। अगर ऐसी ही स्थिति होती तो हमने आसानी से सीमा को अच्छी तरह बन्द कर दिया होता और उनका सीमा पार जाना पूर्णतः रोक दिया होता, अकसर 'सीमा के बाहर जाने पर पूर्ण रोक' वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर यह नागा और मिजो भू-भाग बहुत दुर्गम है और यहां बड़ी कठिनाईयां हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य उस क्षेत्र का दौरा करें और वहां की स्थिति से अवगत हों, लेकिन वहां कुछ न करने का यह हमारा कोई बहाना नहीं है। दूसरी ओर, बहुत से लोग पकड़ लिये गये हैं और इसके अतिरिक्त उनकी एक बड़ी संख्या सीमा पार करते समय कार्यवाही करते हुए मारी गई है। इनके बारे में इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बेदब्रत बरुआ: मिजो लोगों के चीन में आने-जाने को रोकने के परम्परागत अवरोधक उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं और इस सभा को मिजो लोगों में चीन में जाने तथा वहां से वापिस आने के समाचार मिलते रहे हैं, इस बात को देखते हुए भी कि बर्मा सरकार से पर्याप्त सहयोग की आशा नहीं की जा सकती और उन्हें डर है तथा वे यह नहीं चाहते कि दूसरों को इस बात का भी पता चले कि उन्होंने हमसे मिजो लोगों के आवागमन के विषय में बातचीत की है, उस बात को ध्यान में रखते हुए जिसका कि मंत्री महोदय ने निर्देश किया था कि मिजो लोगों को गांवों में

फिर से समूहों (ग्रुपों) के रूप में बसा दिया है, जिसका अर्थ यह है कि लोग उनसे बाहर आ जा नहीं सकेंगे तथा उनसे बाहर जाना अवैध होगा, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का सभा को यह बताना लोक-हित में है कि क्या उन्होंने पुनः समूहों के रूप में बांटे हुए गांवो के बाहर मिजो लोगों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने कुछ मित्र देशो कि चर्चा नहीं करनी चाहिये जब कि हम उनके साथ कुछ समझौता कर रहे हैं। मिजो प्रदेश के कुछ हिस्सों में आदिम जाति लोग एक स्थानं से दूसरे स्थान पर स्वतन्त्रता से जा सकते थे। उस पर भी काफी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और बड़ी निगरानी रखी जाती है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : अपने कुछ सीमा प्रदेशों और दूसरे देशों के बीच नियमित रूप से ऐसे गुप्त और अवैध आवागमन के बारे में सुनते रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि कुछ लोग व्यवस्थित रूप से इसे अपने कामों के लिये स्वतंत्र मार्ग के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। जब कि सरकार के लिये सीमा को आवात मुद्रित करना (सीमा से बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगाना) असम्भव है तो क्या ऐसी आशा करना ज्यादती होगी कि सीमा सुरक्षा दलों को हेलीकोप्टरों तथा दूर-संचार उपकरणों से सुसजिज्त, किया, जाये, जिससे कि मिजो लोगों के बाहर जाने पर रोक लगाने में उनकी गतिशिलता तथा कुशलता बढ़ायी जा सके और इस प्रकार उनके बाहर के देशों में जाने को सदा के लिए समाप्त किया जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह माननीय सदस्य की सूचना के लिए है कि बर्मा की सीमा पर सीमा सुरक्षा दल कार्य नहीं करते। जहां तक उस पर सुरक्षा दल का सम्बन्ध है जो कि इस क्षेत्र में का मकरती है वह आवश्यक बेतार संचार (वायरलैस कम्युनिकेशन) उपकरण से सुसज्जित है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : हेलीकोप्टरों के बारे में क्या है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार से हमें संक्रिया आवश्यकताओं के ये मामले इससे सम्बन्धित व्यक्तियों पर छोड़ देने चाहियें केवल हेलीकोप्टरों की व्यवस्था करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि उनको परिचालित रखने के लिये उनके सधारण और इंधन की सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये, हेलीकौप्टर ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग उस क्षेत्र में एक स्थायी उपकरण के रूप में किया जा सके। मैं इस विषय में कोई निर्णयात्मक मत प्रकट करना नहीं चाहता, यह ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में हमें उनके अनुसार चलना चाहिये जो संक्रिया के प्रभारी हैं।

श्रीमती ताकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं क्या सरकार मिजो लोगों तथा नागाओं के आपस में एक हो जाने की सम्भावनाओं से तथा इस एकता द्वारा भारत से चीन में जाने तथा चीन से भारत में आने के लिए सम्मिलित प्रयत्नों से अवगत हैं? मैं यह भी जानना चाहती हूं क्या सरकार के सीमा सुरक्षा दल अथवा पड़ताल चौकियां बर्मा की पड़ताल चौकियों से कोई सम्पर्क रखती हैं ? जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं। कि वे सब बर्मा के रास्ते जाते हैं। बर्मा का भू-भाग भी बड़ा दुर्गम और कठिनाइयों से परिपूर्ण है। क्या आप बर्मा कि पड़ताल चौकियों से नियमित सम्पर्क बनाये रखते हैं ? यदि हां, तो बर्मा में कौन से ऐसी जांच पड़ताल दल हैं जिनके साथ आप सम्पर्क बनाये रखते हैं ? जब जनरल नी विन भारत आये थे तब उस समय क्या इस विषय पर उनसे बातचीत हुई थी इन नागा विद्रोहियों और मिजो विद्रोहियों के सीमा पार जाने और वापिस आने पर किस प्रकार रोक लगायी जाय ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य एक ऐसे विषय के बारे में मत जानना चाहते हैं जो मेरी शक्ति से परे है। मैं नहीं समझता कि इस के बारे में मैं कोई जानकारी दे सकता हूं । जो कुछ मैं कह सकता हूं वह यह है कि हम अपनी ओर से गश्त लगाने में तीव्रता लाकर इस आवागमन को रोकने के लिए कारगर कदम उठा सकते हैं। यह किया जा रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब जनरल नी विन भारत आये थे तो यह आशा की जाती थी कि इस विषय पर उनसे बातचीत होगी क्योंकि इसका सम्बन्ध भारत और बर्मा दोनों से है। अब हम ऐसी आशा नहीं रखते कि जो कुछ प्रधान मंत्री और जनरल नी विन के बीच बात हुई हो उससे गृह-मंत्री अवगत हों ?

अध्यक्ष महोदय : इस के विषय में प्रधान मंत्री ही बता सकती हैं न कि गृह मंत्री।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के कोमिला जिले का माइनामाटी प्रैस मिजो लोगों के बारे में प्रचार सामग्री छाप रहा है ? क्या यह भी सच है कि मिजो लोगों ने मिजो पहाड़ियों के समीपवर्ती त्रिपुरा क्षेत्र की ओर अपना काफी ध्यान परिवर्तित कर दिया है, वे वहां काफी गड़बड़ी फैला रहे हैं और इस विषय में त्रिपुरा के समाचार पत्रों में काफी समाचार छपे हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पहले प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दूंगा। मिजो लोग त्रिपुरा की सीमा पर जो गांव हैं उन पर आक्रमण करते रहे हैं। त्रिपुरा की पुलिस इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रही है। प्रश्न के पहले भाग के बारे में, मैं सोचता हूं कि इसके लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ और समय की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री समर गुह : यह वहां के समाचार पत्रों में छपा है ।

Shri B N. Kureel : Mizos have been going to Burma and Pakistan since long and the Government have nearly failed to check them. May I know what is the main difficulty which the Government have experienced so far and whether any effective steps have been taken to remove that difficulty and whether there is any hope of achieving success in this matter ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो कुछ कार्यवाही हम कर रहे हैं, उसके विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं। हम केवल यही कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में अधिक गश्त लगायें और उनको अधिक संख्या में बाहर जाने से रोकें। यह किया भी जा रहा है।

श्री हेम बरूआ : मिजो विद्रोहियों ने नागा विद्रोहियों से मिलकर बर्मा के करेन क्षेत्र में प्रवेश किया। उनका वहां पूरा आतिथ्य सत्कार किया गया तथा वहां से उनको मोटर ट्रकों में पेकिंग पहुंचा दिया गया । बर्मा में करेन क्षेत्र के लोगों और भारत में मिजो विद्रोहियों तथा नागा विद्रोहियों के बीच इस प्रकार का सम्पर्क चल रहा है। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि जब जनरल नी विन भारत आये थे उस समय भारत सरकार ने उनसे ऐसा अनुरोध क्यों नहीं किया कि वे करेन निवासियों से कहें कि वे हमारे विद्रोही नागाओं तथा मिजो लोगों का स्वागत न करें जिससे कि इस प्रकार का सम्पर्क पूर्णरूप से समाप्त हो सके ? दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि चीनी सैनिक पहले ही पेकिंग से पूर्वी पाकिस्तान में ढाका में विमान द्वारा पहुंचाये जा रहे हैं जहां से वे मिजो पहाड़ियों की ओर प्रवेश करते हैं और मिजो

नेशनल फ्रन्ट ने पहले ही तीन वर्ष के लिए चीनी सैनिकों को आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में ठहराने की अनुमति देते हुए एक प्रस्ताव पास किया है जिससे कि उस क्रान्ति को बल मिले जो कि जून के मध्य में अधिक तीव्र गति पकड़ने वाली है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझ रहा हूं, माननीय सदस्य का इस विषय पर चिन्ता व्यक्त करना बिल्कुल ठीक है। यह सच है कि जिन लोगों ने सीमा को पार किया वे अवश्य करेन क्षेत्र से होकर गये। लेकिन हमें एक बात जाननी चाहिये, कि बर्मा सरकार भी उत्तरी बर्मा में ऐसी ही समस्या का सामना कर रही है। यह केवल ऐसा प्रश्न नहीं है कि किसी मामले को उठाया जाय और इससे उनको स्वयं उनकी समस्याओं से अवगत कराया जाय। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे अपनी समस्याओं से अवगत हैं।

श्री हेम बरूआ : श्रीमान् उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने उनसे विशिष्ट जानकारी देने के लिए अनुरोध किया था। मैं जानता हूं कि करेन के लोग अपनी ही सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। हमारे लोग भी अर्थात नागा और मिजो लोग भी हमारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। मैं बर्मा की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं हूं, मैं तो केवल अपने देश की ही समस्याओं से ही सम्बन्धित हूं और इस बात से सम्बन्धित हूं कि बर्मा सरकार मिजो तथा नागा विद्रोहियों को बर्मा के करेन क्षेत्र के रास्ते पेकिंग जाने से रोकने में हमारी मदद करने में कितनी समर्थ है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग भी बड़ा स्पष्ट था कि चीनी सैनिकों को विमान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में ढाका में उतारा जा रहा है। जहां से वे मिजो पहाड़ियों में प्रवेश करते हैं और मिजो नेशनल फ्रन्ट ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है कि वे और तीन वर्ष के लिए मिजो पहाड़ियों को चीनी सैनिकों के ठहरने के लिए देने के लिए तैयार हैं जिससे कि उस क्रान्ति को बढ़ावा मिले जिसे जून के महीने के मध्य में तीव्र गति प्रदान करनी है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने भी इसके बारे में सुना है। लेकिन इस उदघोषणा अथवा समझौते की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

श्री जो० ना० हजारिका : मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात से कि बर्मा के संविधान के अनुसार प्रत्येक मिजो, चाहे वह कहीं भी रहता हो बर्मा में या और कहीं, वह बर्मा का नागरिक है तथा इस बात से कि सीमा पर रहने वाले आदीवासी देश के दूसरी ओर 25 मील तक स्वतन्त्रता से यात्रा कर सकते हैं। भारत सरकार के मिजो लोगों के प्रति कारगर कार्यवाही करने में कितनी रुकावट पड़ रही है, और सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वास्तव में, मैं समझ नहीं पा रहा कि वह मुझसे क्या पूछ रहे हैं ?

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज की छात्राओं की मृत्यु

26. **श्री अ० सु० प्र० बलराज मधोक :** **श्री कंवरलाल गुप्त :**

श्री निहाल सिंह : **श्री क० लकप्पा :**

श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नागरिक विकास मंत्री यह बताने

को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के इर्विन अस्पताल से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज की चार छात्राओं की 3-4 महीने के अन्दर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) नर्सों तथा नर्सिंग छात्रों की इस प्रकार से मृत्यु न होने पावे, इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री श्री सत्यनारायण सिंह :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) आम कानून के अन्तर्गत पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है। इस विषय में अदालती जाँच करवाने का भी निश्चय किया गया है। जाँच की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर उचित कार्यवाही की जायगी। इसके साथ मैं यह और भी कहना चाहता हूँ कि जिन परिस्थितियों में लगातार ये मृत्यु हुई हैं उनकी प्रशासकीय जाँच एस० डी० एम० दरियागंज कर रहा है।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिंग छात्रों की आत्म-हत्याओं तथा रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु की समस्या ने भयावह रूप धारण कर लिया है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे छः मामले हुए हैं, चार पिछले कुछ सप्ताहों में हुई हैं और इसका प्रधान कारण यह है कि हाल ही तक नर्सिंग पेशे में किसी एक विशेष समुदाय और विशेष क्षेत्र के लोगों को ही लिया जाता था, लेकिन अब एक बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और हालातों के कारण दूसरे समुदायों और क्षेत्रों की लड़कियाँ भी इस व्यवसाय में आने लगीं हैं। लेकिन इन अस्पतालों का वातावरण अब भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। यहाँ तक कि इसके विषय में शिकायतें की गई थीं। यद्यपि इस विषय पर किसी विशेष समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं लेकिन उनको कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि न केवल इस विशेष घटना के विषय में बल्कि नर्सिंग की सम्पूर्ण पद्धति, उनके अध्यापन, उनके शैक्षिक और अस्पतालों में काम करने की परिस्थितियों के विषय में क्या पूरी-पूरी जाँच करायी जायेगी और क्या इस कार्य के लिए शिक्षाविदों तथा कुछ चिकित्सा-विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त किया जायेगा ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जैसा कि मैंने कहा कि जब अदालती जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी उस समय माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : इन रिपोर्टों के अनुसार ये आत्म-हत्यायें कई डाक्टरों तथा सीनियर नर्सों—तथाकथित मैटनों के दुर्व्यवहार के कारण हुई हैं। मेरे सामने इस समय एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि डाक्टर छात्राओं पर अपना पूर्ण अधिकार-सा समझते हैं और उनके साथ छेड़ाखानी करने पर अगर वे जरा सी भी झिड़की देती हैं तो वे उनके प्रति प्रतिकारात्मक रुख अपनाते हैं। यही इस रिपोर्ट में लिखा है। कुछ डाक्टर गायब भी हैं उनका पता नहीं चल रहा है। अदालती जाँच करने वाले सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की जाँच

के समय डाक्टर फरार मिले। मैं जानना चाहता हूँ यदि कुछ डाक्टर दोषी पाये जाते हैं तो क्या उनको ऐसी सजा दी जायेगी जिससे कि ऐसी दुर्घटनायें फिर दुबारा न हों ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैंने भी यह समाचार कुछ समाचार-पत्रों से पढ़ा जिसका माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है। मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि ऐसी घटनायें नहीं हो रही हैं लेकिन हमें अदालती जाँच रिपोर्ट की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए यदि कोई डाक्टर दोषी पाया जाता है तो उसके प्रति कठोर कार्यवाही की जायेगी क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री हेम बरुआ : किस बात का दोषी ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मजाक करने का।

श्री हेम बरुआ : क्या यह दोष हो सकता है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जी हाँ, यदि यह बिना पारस्परिक अनुमति और सहमति से किया जाय।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the heinous incident which has occured is a big racket and in this affair many big Doctors of Irwin Hospital, big moneyed men of Delhi and big Government officials are involved who put great pressure over these nurses with the help of the doctors of this hospital to do their work and in other words womanizing is being done openly. I would like to know from the hon. Minister that who will enquire into the Committee constituted and what will be its terms of reference ?

Secondly, the condition of nurses and the condition of their services are all very bad and the number of nurses in the Irwin Hospital is also very meagre, the Government do not give any grant to Delhi Administration for increasing their number. Although Irwin Hospital is the biggest Hospital in Delhi bu tthe number of nurses in this Hospital is 33 per cent less than the present number of nurses in the All India Institute of Medical Sciences. Will the Government enquire into the working of this hospital and the conditions of service of the staff.

Sri Satya Narayan Sinha : I have just stated that your statement may be correct and may not be—I cannot say anything about it, but all these questions raised by the hon. member will be before the Judicial Enquiry Committee and they will be given consideration after the report is submitted. When there is a judicial enquiry, it means that the investigator will be a judge. Now so far as the details are concerned, the hon. member knows that this matter is concerned directly with the Delhi Administration and it is under their control. I talked with the Lt. Governor yesterday and gave suggestions to the Executive Councillor also that there should be a judicial enquiry and I am happy that they conceded to it. The terms of reference will be decided after consulting them.

Shri Kanwar Lal Gupta : My second question was that the number of nurses in Irwin Hospital is very low and their condition of services are very bad, whether it will be improved after conducting an enquiry ?

Shri Satya Narayan Sinha : It is right but this short notice question is not directly concerned with it. I have stated that after the receipt of the report of this enquiry if it seems necessary that other things are also to be looked into, we will consider them also.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, so far as his Ministry is concerned he has stated that an enquiry will be conducted and it will be considered that what subject should be placed before the judge and what will be the terms of reference. But I want to know that for some

time there has been no law and order in Delhi and to some extent it is concerned with the Home Ministry. I would like to know from the Home Minister.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दूसरे मन्त्री दे रहे हैं। केवल गृह-मन्त्री जी यहां पर होते हैं, वह यह प्रश्न उनसे कैसे पूछ सकते हैं ?

Shri Madhu Limaye : What can I do, we should not be subjected to injustice. You are our protector. I can ask Sri Satya Narain Sinha also but if he does not answer then what to do ? These questions are co-related. Now what can I do, please direct me.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये। उन्हें जानकारी प्राप्त होगी।

Shri Madhu Limaye : Will the hon. Minister of Health be pleased to state that what are the reasons of deaths. It relates to police.

अध्यक्ष महोदय : सम्बन्धित मन्त्री अन्य मन्त्रियों से परामर्श करके जानकारी देंगे।

Shri Madhu Limaye : My point is that the law and order situation has deteriorated much during his tenure. What happened in Connaught Place at 12 midnight on the 31st December ? Then, there has been a lot of mess going on in regard to the cases lodged against the police authorities. I, therefore, want to know from the Home Minister what effective steps in view of this are being taken in order to improve law and order situation in Delhi ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो वह तैयार हैं। यदि वह उत्तर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

Shri Madhu Limaye : You should protect our privilleges more than those of the Ministers.

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ? मुझे कोई आपत्ति नहीं परन्तु यदि प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्री से किया गया है तो उन्हें दूसरे मन्त्रियों से विचार-विमर्श करके तैयार होकर आना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Yes, that is right. Let him answer.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि भविष्य में भी मैं उसी संक्रिया का अनुसरण करूं। यदि प्रश्न किया गया है तथा मन्त्री गण उत्तर देने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, कल से मैं उनसे कहूंगा कि वे सब यहाँ उपस्थित रहें तथा यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दें।

Shri Madhu Limaye : Actually, this should have been done by the Prime Minister. When her father used to do it, why not she ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बारे में तो मैं यह समझता हूं कि प्रश्न यदि किसी विशिष्ट मन्त्री से किया गया है तो उस मन्त्री को प्रश्न से सम्बन्धित सारी जानकारी जुटानी चाहिये। श्री चव्हाण उत्तर देने को तैयार हैं, वह उत्तर दे सकते हैं।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि एक प्रश्न किसी दूसरे प्रश्न में से वैध ढंग से उठता है तो मेरे माननीय मित्र अथवा किसी माननीय सदस्य को वह प्रश्न पूछने का अधिकार है। परन्तु यदि वह प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं उठता अथवा परोक्ष रूप से उठता है और यदि इससे अन्य मन्त्रीगण भी सम्बन्धित हैं, तो श्री चव्हाण उपस्थित हैं, वह इसका उत्तर दें अथवा न दें यह उनकी अपनी इच्छा है...(व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : That is why I said that he should come well prepared.

श्री मोरार जी देसाई : परन्तु बाद में यह एक परम्परा नहीं बन जानी चाहिये कि यदि कोई ऐसा प्रश्न किया जाता है तो सारे ही अन्य मन्त्रीगण उपस्थित होने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष की विवशता है। मन्त्री उत्तर देना चाहते हैं, यही बात है।

श्री मोरार जी देसाई : मैं यह नहीं कह रहा कि आप गृह-कार्य मन्त्री को उत्तर देने को अनुमति न दें। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि उसे पूर्व परम्परा नहीं बनाया जाये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have to make a point of order on what the hon. Deputy Prime Minister has stated. It is not in regard to the question hour, but about his statement made just now. You have laid down a procedure that the concerned Minister should give an answer after getting information from all the Ministries. But if he is not in a position to do that, then the concerned Minister should answer.

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं, आप चिन्ता क्यों करते हैं।

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण : उन द्वारा उठाये गये प्रश्न का मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मैं कोई नई संक्रिया आरम्भ नहीं करना चाहता परन्तु क्या मैं अपनी कठिनाइयां भी स्पष्ट कर सकता हूं? एक चुनौती पूर्ण प्रश्न उठाया गया है। तथा यह रिकार्ड में जा रहा है। यदि हम इसका उत्तर नहीं देते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि हमारे पास इसका उत्तर ही नहीं है। यदि आप प्रश्न को अस्वीकार कर दें तो मैं निश्चय ही एक नई संक्रिया प्रारम्भ करना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मन्त्री को उत्तर देने के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री यशवंत राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बारे में एक सामान्य प्रश्न किया है तथा कहा है कि पिछले डेढ़ साल से, जब से मैंने कार्य भार सम्भाला है, कानून और व्यवस्था बिगड़ती जारही है। उन्होंने एक बात उठाई कि हमने पुलिस के विरुद्ध मामले शुरू किये हैं। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाने के लिए एक व्यवस्था......।

Sri Madhu Limaye : I had talked about the mess going on in the cases against the police. I never said anything of the cases itself.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : नहीं। वहां भी मैंने कहा था कि जो लोग अपना सामान्य कर्तव्य निभाने में असफल रहे थे उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। अतः कार्यवाही अवश्य की गई है। परन्तु माननीय सदस्य को मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि स्थिति बिगड़ जाती है तो इसमें इसके लिये कई माननीय सदस्यों का उल्टा राजनैतिक रवैया भी इसके लिये जिम्मेवार होता है......(व्यवधान)

Shri Madhu Limye : Certainly not, is it a reply? Who is responsible for what happened in Connaught Circus on the 31st December? Which of the political parties is responsible for that. Will the hon. Minister clear it?

Shri M. A. Khan : Point of order. We want your ruling in regard to his raising this point in such a way. Such a stage of putting such questions should have not been allowed to reach. You should not allow him to put such questions.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूँ : में स्वयं असमंजस में हूं। मैं अब भी यह अनुभव करता हूँ कि, केवल एक आध अवसर को छोड़कर, सम्बन्धित मन्त्री को उठकर

कह देना चाहिये कि यह असम्बन्धित है क्योंकि कल को यह मांग की जा सकती है कि सब मन्त्री यहाँ उपस्थित रहें तथा उत्तर दें। यह बात उठेगी...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाक्य के बीच में ही आप उठकर बोलने लगते हैं। मैं भी तो खड़ा हूँ। मैंने आधा ही वाक्य बोला है और आप खड़े हो गये। मेरे विचार से आप मुकाबला करना चाहते है, यही बात है।

मैं समझ नहीं पाया हूं कि यदि यह बात जारी रही तो फिर कहां पर जाकर रुकेगी। सम्बन्धित मन्त्री को कहना चाहिये कि यह सम्बन्धित नहीं है अथवा "मैं कानून और व्यवस्था के बारे में उत्तर देने में असमर्थ हूँ"। यदि वे इसकी मांग करते हैं तो कानून मंत्री गृह-कार्य मन्त्री वित्त मंत्री सभी को यहाँ उपस्थित रहना होगा। यह तो एक खतरनाक पूर्ण परम्परा होगी और इस सरकार के लिये तो क्या किसी भी सरकार के लिए कार्य करना असम्भव हो जायेगा।

श्री सोनावने : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? आपने प्रश्न की संगतता की बात कही। इस पर निर्णय कौन देगा ? अध्यक्ष महोदय ने ही इस पर निर्णय देना होता है आया कि प्रश्न सम्बन्धित है अथवा असम्बन्धित; तथा इसके लिये अनुमति दी जाये अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न संवर्गी भी हो सकता है या फिर यदि वह संगत प्रश्न है तो भी शायद मन्त्री उसका उत्तर देने की स्थिति में न हो। अब उपचारिकाओं (नर्सों) के बारे में, कि पुलिस ने समुचित कार्यवाही नहीं की है, एक संगत प्रश्न है, शत प्रतिशत संगत प्रश्न है, परन्तु फिर भी हो सकता है कि स्वास्थय मन्त्री उत्तर देने की स्थिति में न हो। यदि लड़कियां मरती जा रही हैं तथा कोई इस बारे में प्रश्न पूछता है, तो यह शत प्रतिशत सम्बन्धित प्रश्न है, परन्तु हो सकता है कि स्वास्थ्य मत्रीं कानून और व्यवस्था के बारे में उत्तर न दे सके। कृपया बैठ जाईये आप हर मिनट के बाद उठ खड़े होते हैं।

श्री सोनावने : आप से सम्बोधित होने का हमें पूरा अधिकार है। हम इस प्रकार नहीं दबाये जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाईये। श्रीमती सुशिला रोहतगी।

श्री सोनावने : मुझे एक निवेदन करने दीजिये। इसका हमें पूरा अधिकार है। हमें इस प्रकार नही दबाया जा सकता।

श्रीमती सुशिला रोहतगी : जैसी कि स्थिति है, देश में उपचारिकाओं की संख्या बहुत बड़ी है तथा डाक्टरों तथा नर्सों के अनुपात में कोई अधिक संगतता नही है। क्या मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछ सकती हूँ कि जबकि इस संदर्भ में अदालती जाँच हो रही है, क्या वह, इसी के साथ-साथ नर्सों के कार्य करने की सब शर्तों, उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्थिरिता, भत्ते तथा समस्त दूसरी शर्तों जिन पर वे नौकरी कर रही हैं, के बारे में कोई विस्तृत जांच कराने को तैयार हैं, ताकि इस बारे में जब सन्देह दूर हो जायें तथा हमारी और भी बहनें जो कि आज बड़ी तंगी का सामना कर रही हैं, भविष्य में नर्स बननें में कठिनाई अनुभव न करें ?

श्री सत्यनारायण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। दो माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया था तथा मैं ने कहा था कि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद हम इस मामले को देखेंगे।

श्री हेम बरूग्रा : इन चार युवा लड़कियों की रहस्यात्मक ढंग से मृत्यु एक बड़ी दुखदायी घटना है ग्रौर मुझे ग्राशा थी कि मंत्री महोदय इस पर खेद प्रकट करेंगे जो उन्होंने नहीं किया। मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस घटना के बारे में उन्होंने जांच के ग्रादेश दे दिये हैं। समाचार-पत्रों में इसके विपरीत रिपोर्ट मिलती हैं। कुछ भी हो ग्रविन हस्पताल तथा उसकी कार्य पद्धति के बारे में कुछ ग्रारोप लगाये गये हैं। इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय इस जांच की परिधि को बढ़ा कर, वहाँ कार्य करने की शर्तों की जांच कराने को तैयार हैं ताकि वास्तविक सचाई का पता लगे ?

श्री सत्यनारायन सिंह : मैं इस बात का उत्तर दे चुका हूं। निस्संदेह, माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को जरा खोल कर कह दिया है। मैं कह चुका हूँ कि ग्रदालती जांच जो कि निश्चय ही एक विस्तृत जांच होगी, की रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात, यदि हम देखें कि ग्रविन हस्पताल की कार्य प्रणाली के बारे में कुछ ग्रौर बातों की भी जांच की ग्रावश्यकता है, तो हम उन्हें भी देखेंगे।

श्री हेम बरूग्रा : मेरा प्रश्न बड़ा विशिष्ट है। वह बहुत ग्रच्छे हैं कि इन लड़कियों की मृत्यु के बारे में उन्होंने जांच का ग्रादेश दे दिया परन्तु मैं तो चाहता हूँ कि इस जांच का क्षेत्र विस्तृत हो ताकि इस हस्पताल में काम की शर्तों की भी जांच हो जिसके विरुद्ध ग्रनेक ग्रारोप हैं।

श्री सत्यनरायण सिंह : ग्रदालती जांच मृत्यु के कारणों के ग्रतिरिक्त इस बात को भी देखेगी कि ये घटनाएं कैसे हुईं। इसके पश्चात्, यदि ग्रावश्यकता हुई तो जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है दूसरी जांच भी करा ली जायगी।

डा० सुशिला नैयर : छोटे डाक्टरों बड़े डाक्टरों, ग्रादि पर ग्रारोप लगाते हुए माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त तथा ग्रन्य माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। जबकि ग्रदालती जांच हो रही है, क्या मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूर्ण चिकित्सा व्यवसाय की कीर्ति पर ग्रनावश्यक रूप से कोई धब्बा न ग्राने पाये ?... (व्यवधान)

श्री उमानाथ : ग्रापको उन मासूम लड़कियों की कोई चिन्ता नहीं है। ग्राप तो ग्रधिकारियों, डाक्टरों तथा धनिक लोगों की ग्रधिक फिक्र कर रहीं हैं... (व्यवधान)

डा० सुशिला नैयर : हमें इस बात का ग्रत्यन्त खेद तथा दुःख है कि ऐसी घटनायें हुईं ... (व्यवधान)

श्री उमानाथ : कुछ तत्वों द्वारा लड़कियों का शोषण किया जा रहा है।...(व्यवधान) उन्हें तो बस ग्रधिकारियों ग्रौर डाक्टरों की ही ग्रधिक चिन्ता है... (व्यवधान)

डा० सुशिला नैयर : हम इसका कारण जानना चाहते हैं। तथा ऐसी घटनाग्रों को रोकना चाहते हैं। परन्तु इसी बीच इस प्रकार के लांछन ग्रौर ग्रारोप नहीं लगाये जाने चाहियें।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, there should be a code of conduct for those who are in this medical profession ; doctors...(interruptions).

Shri S. M. Banerjee : Dr. Sushila Nayar has put my name. So I may make it clear that I do not want to defame any doctor but I will not tolerate that the girls should be dishonoured in this manner. But it appears that they are least worried about the girls being dishonoured......(interruptions).

I am very sorry to find that in spite of her being an elderly sister, she has not expressed her grief over the murder of those younger sisters, and contrary to that, she stood for the support of doctors......(interruptions). If she had her own daughters, only then she could have realised it......(interruption).

Anyway I put my questions. Is the hon. Minister aware that recently when the UNCTAD conference was going on in Delhi and the UN representatives had been here, these nurses and trainee nurses were forcibly influenced to act as call girls for these foreign representatives ? Is it also a fact that two of these girls had referred to this matter in their letters and these letters were deliberately taken away after their death, as they thought that those things might be used against m ? Has he got any knowl'edge of it or has he granted any interview to those girls ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have also happened to come across the allegations which appeared in the press and which have been referred to by the hon. Member. But at present, I will only say that a judicial inquiry is going on this whole matter, then such talks......

Shri S. M. Banerjee : Did you get the letter or not ?

Shri Satya Narayan Sinha : Besides that letter there are certain other things also. The whole affair will come before the judicial inquiry and it will be looked into. I would like to request Shri Banerjee and other hon. Members only that when a Judicial inquiry is going on, it should not be prejudiced by discussing about it here any more.

Dr. Sushila Nayar : With due respect I want to say that this immoral traffic is a very dirty affair and I have been the Chief of an organisation instituted to stop it. I still work for that but I shall certainly point out that it is quite wrong to involve the doctors with the affairs of immoral traffic connected with the murder of these nurses. I would like that the hon. Minister and Home Minister both should make effort to stop this immoral traffic affair. We want that the honour of our women should be safe-guarded. We have very much love for the honour of our sisters and also we want that Government should take all possible steps in this regard and whosoever is found to be involved in this immoral traffic affair should be hanged forthwith......(interruptions).

अध्यक्ष महोदय : इस को अगली बार उठा सकते हैं

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में बिक्री कर से आय

* **1470. श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिक्री कर की 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रतिवर्ष अपवंचन होता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इतनी भारी राशि का अपवंचन न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1048/68]

पश्चिमी बंगाल में बम विस्फोट

***1474. श्री गणेश घोष : श्री अनिरूद्धन :**

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल बाजार और शान्तिनिकेतन में हुए बम विस्फोटों की जाँच करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल अथवा कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल भेजा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस दल के सदस्य कौन-कौन थे तथा उसे क्या कार्य सौंपा गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ नहीं भेजे गए थे। फिर भी, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विशेष जांच दल नियुक्त किया था जिसके अध्यक्ष **उप महा निरीक्षक** (आसूचना शाखा), पश्चिम बंगाल थे तथा सदस्य निर्देशक, अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला, पश्चिम बंगाल; पुलिस के विशेष अधीक्षक, खुफिया पुलिस विभाग, पश्चिम बंगाल ; पुलिस के उपायुक्त, विशेष शाखा, कलकत्ता तथा पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त, जासूस विभाग, कलकत्ता हैं।

निम्नलिखित बातों का पता लगाने के लिए दल ने कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल में हाल में हुए बम विस्फोटों के कुछ मामलों की जांच की कि :

(क) क्या बम आयात किये हुए थे; तथा

(ख) क्या किसी समान स्रोत से दिये जाते थे जिससे मालूम होता हो कि यह तोड़-फोड़ करने वालों का संयुक्त जाल है ?

राष्ट्रपति की अनुमति के लिये पश्चिम बंगाल से विधेयक

***1475. श्री भगवान दास : श्री बि० कु० मोडक :**

श्री मुहम्मद इस्माईल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1967 से 20 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल से राष्ट्रपति की अनुमति के लिये कितने विधेयक प्राप्त हुये थे ;

(ख) क्या राष्ट्रपति ने उनमें से किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दी थी ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में प्राप्त विधेयकों का ब्यौरा क्या है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) आठ।

(ख) जी हां, श्रीमान्। उनमें से सबको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 1049/68]

डाकुओं के पास प्रतिरक्षा हथियार

***1476. श्री दीवीकन : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से चोरी-छिपे लाये गये तथा जबलपुर आयुध कारखाने

के हथियार तथा गोला-बारुद डाकुओं तथा उन लोगों से, जो भारत में साम्प्रदायिक दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे, बरामद हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से हथियारों के प्रवाह के बारे में जांच करने के लिये कोई जाँच-आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि हां तो उसके परिणाम क्या निकले ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कुछ हथियार तथा गोला बारूद, जिन पर आरोप है कि पाकिस्तान से चोरी-छिपे लाये गये हैं तथा रक्षा भंडार से भी संबन्ध रखते हैं। डाकुओं से बरामद किये गये हैं सामप्रदायिक घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से बरामद हुये शस्त्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त होने पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निर्देशक को समस्या की जांच करने को कहा गया था। जांच से यह प्रतीत नहीं हुआ कि पाकिस्तान से शस्त्र नियमित रूप से आते हैं।

(घ) सीमा पर सुरक्षात्मक प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं और तस्करी करने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

Pay Scales of Teachers of Central Schools

***1477. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the pay-scales of teachers of the Central Schools run by Government ;

(b) whether uniform pay scales are prescribed for all the teachers ;

(c) whether dearness allowance is paid to these teachers at the Central Government rates ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) A statement is placed on the table of the Sabha.

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1050/68]

(b) to (d) Uniform pay scales and Dearness Allowance at Central rates are paid to all teachers except in a few cases of (i) deputation, (ii) those awaiting screening and (iii) those allowed to continue on compassionate grounds, although deficient in qualifications.

उत्तर प्रदेश के फ्लाइंग क्लब

***1478. श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने फ्लाइंग क्लब हैं ;

(ख) क्या गोरखपुर में एक फ्लाइंग क्लब खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो वहाँ किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा और क्या उसमें हेलीकोप्टर चलाने का प्रशिक्षण भी शामिल होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (**डा० कर्ण सिंह**) :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय हिन्द फ्लाइंग क्लब नामक केवल एक फ्लाइंग क्लब है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और एक शाखा कानपुर में है।

(ख) भारत सरकार को ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिकों का अमरीका चले जाना

***1479. श्री कामेश्वर सिंह : श्री श्रीधरन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी पैनल द्वारा व्यक्त इस चिन्ता की ओर दिलाया गया है कि भारत से अमरीका में बहुत वैज्ञानिक जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वैज्ञानिकों को भारत से विदेशों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रश्न संभवतः 31 मार्च, 1968 को 'स्टेट्समैन' में छपे "ब्रेन ड्रेन फ्रोम पूअरर नेशन्स एलार्म्स यू० एस० ए०" नामक समाचार संदर्भ में है। सरकार के पास कोई सुनिश्चित सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यताएं रखने वाले भारतीय राष्ट्रिक विशेष अध्ययन, अध्ययन-एवं-रोजगार और नौकरी के लिए विदेश जाते हैं और इस पर कोई सामान्य रोक नहीं है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारीयों को भारत लौटने की सुविधा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनके संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1051/68**]

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

***1480 श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिये क्रमशः 1955 और 1959 में डिप्टी सेक्रेटरी (सलेक्शन ग्रेड) के 45 पद और ग्रेड 1 के 375 पद मंजूर किये गये थे परन्तु पिछले 12 वर्ष में केन्द्रीय सचिवालय का काफी विस्तार हो जाने के बाद भी उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि (एक) केन्द्रीय सचिवालय का विस्तार हो गया है (दो) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए सचिवालय से बाहर

पदोन्नति के अवसर हैं और (तीन) सभी अन्य संगठित सेवाओं में संतुलित संवर्ग हैं सरकार का इरादा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड और प्रथम ग्रेड के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में पुनर्विचार करने का है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 की अधिकृत स्थायी संख्या का, जो 1959 में 375 पर पुनिर्धारित की गई थी, तत्पश्चात हर वर्ष पुनरीक्षण किया गया है किन्तु इन पुनरीक्षणों से कोई और वृद्धि का औचित्य प्राप्त नहीं हुआ। 1-5-1967 को इस ग्रैड की अधिकृत स्थायी संख्या का पुनरीक्षण अभी किया जा रहा है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन श्रेणी की अधिकृत स्थायी संख्या के पुनरीक्षण का प्रश्न भी विचाराधीन है।

Receipt of Foreign Assistance by an English Daily of Delhi

***1481. Shri Kanwar Lal Gupta :　　Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any information to the effect that foreign assistance is being received by an English daily published from Delhi ;

(b) if so, the details about the assistance and the name of the newspaper ;

(c) whether Government have conducted any inquiry in this regard ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : The Intelligence Bureau submitted a report regarding the use of foreign money in the last general elections and for other purposes. The report is still under examination.

कोलाघाट में रूपनरायण नदी पर पुल

***1482. श्री स० च० सामन्त :** क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपनारायण नदी पर कालाघाट में बनाया गया नया सड़क पुल यातायात के लिये कब खोला गया था,

(ख) क्या कुछ छोटे निर्माण-कार्य अभी भी चल रहे हैं,

(ग) निर्माण का मूल अनुमान क्या था और क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया था, और

(घ) यदि हाँ, तो निर्माण की अंतिम लागत क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 3 दिसम्बर 1967 को।

(ख) जी हाँ। केवल सीढ़ियों के निर्माणकार्य अभी जारी हैं।

(ग) उसके निर्माण के लिये मूल प्राक्कलन 112.21 लाख रुपये का था। अभी तक राज्य सरकार से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है, मगर ऐसा मालूम हुआ है कि वह लगभग 136.00 लाख रुपये तक का होगा।

(घ) हिसाब के अन्तिमरूप से बन्द हो जाने के बाद ही अन्तिम लागत का पता चल सकेगा ।

पाकिस्तान एयरलाइन्स के विमान (पायलटों) की प्रस्तावित भारत यात्रा

***1483. श्री न० कु० सोंधी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों के निमन्त्रण पर 20 मार्च, 1968 को अथवा उसके आसपास किसी तारीख को पाकिस्तान एयरलाइन्स के कुछ विमान चालकों को भारत आनो था परन्तु आखिरी समय में इस यात्रा को रद्द करना पड़ा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित यात्रा का प्रयोजन क्या था और किसकी ओर से इस यात्रा का प्रस्ताव रखा गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश के विमान उद्योग द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में वृद्धि

***1484. श्री हिम्मत** सिंह : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की संख्या बढ़ाने के लिये उपेक्षित विमानों की सप्लाई के हेतु देश के विमान उद्योग पर निर्भर करने के बारे में नीति सम्बन्धी कोई निर्णय किया है ।

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दुस्तान एरोनोटिक्सि लिमिटेड में बनाये जाने वाले विमानों की किस्मों को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उपयोग के लिये अपेक्षित स्तर के अनुरूप बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 1968-69 तथा 1969-70 में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अपने विमानों की संख्या बढ़ाने के लिये हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड में बने कितने विमान खरीदे जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स ने 14 एच० एस० 748 विमानों का क्रय आदेश दे दिया है जो कि बिना कोई परिवर्तन किये इस्तेमाल किये जाने योग्य हैं ।

(ग) 1968-69 और 1969-70 में प्रत्येक वर्ष पाँच पाँच विमान प्राप्त होने की आशा है ।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

***1485. श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम किन किन राज्यों में परिवहन सेवायें चला रहा है, और

(ख) निगम अब तक कितने मीलों में सेवा चला सका ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) निगम कलकत्ता पत्तन में छुट्टियों में अवतारक तथा फेरी सेवा और समुद्रपर्यटन के लिये व्यवस्था करता है। आसाम में राज्य सरकार द्वारा निगम को 1 अप्रैल 1968 से जोगीघोपा-पंचरत्ना फेरी सेवा सौंप दी गई है। यातायात उपलब्ध होने की शर्त पर निगम धुवरी और डिब्रूगढ़ के बीच 710 कि० मी० के फासले में नदी द्वारा आसाम में माल परिवहन सेवा की व्यवस्था भी करता है।

Communal Riots Inquiry Commission

***1486. Shri Yashpal Singh : Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Enquiry Committee appointed by Government to look into the communal riots has submitted its report ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Not yet, sir.

(b) Does not arise.

Memorandum from Muslims Residents of Allahabad

***1487. Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from the Muslim residents of Allahabad ;

(b) if so, whether the charges levelled in the memorandum have been investigated ; and

(c) the particulars of the charges made therein ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have appointed Shri M. Lal, Member, Board of Revenue, to inquire into the causes and course of communal riots in Allahabad.

(c) The allegations are mainly regarding the partisan attitude of the police and the magistracy.

आसाम में तिनसुखिया में साम्प्रदायिक दंगे

***1488. श्री हेम बरुआ : डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आसाम में तिनसुखिया में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे।

(ख) यदि हाँ, तो इन दंगों में कितने लोग मारे गये तथा कितने घायल हुए तथा आसाम जैसे सीमावर्ती राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) इन दंगों में कोई भी नहीं मारा गया । घायल व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है । राज्य सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को निरंतर सतर्कता बरतने तथा पर्याप्त निरोधात्मक कदम उठाने और साम्प्रदायिक तथा समाज-विरोधी तत्वों को काबू में रखने के लिये कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर बल देते हुए आवश्यक अनुदेश जारी किये हैं । पुलिस ने तिनसुखिया में उपद्रवों के सम्बन्ध में 48 मामले दर्ज किये हैं तथा 273 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ।

'फारमर्स लीग'

***1489. श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक जिला परिषद् ने विदेशी मिशनों के तत्वावधान में चलाए गये 'फारमर्स लीग' (मराठी से अनुवाद) जैसे संगठनों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री या किसी अन्य मंत्री ने धर्म प्रचारकों के वीसा परमिटों की अवधि न बढ़ाये जाने के बारे में महाराष्ट्र विधान सभा को कोई आश्वासन दिया हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) नासिक जिला परिषद् द्वारा पारित संकल्प महाराष्ट्र सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र शेतकारी मण्डल, मनमाड, और महाराष्ट्र प्रबोधन मण्डल, नासिक तथा उनकी सभी उपशाखाएं तुरन्त बन्द की जायें ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीरियों का मताधिकार

***1490. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : श्री बलराज मधोक** :

क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू और कठुआ जिलों में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें राज्य विधान सभा के चुनावों में भाग लेने के लिये मत देने का अधिकार नहीं है परन्तु लोक सभा के लिये है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृहकार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) संसदीय चुनाव-क्षेत्रों के लिये मतदाताओं की अर्हताएं जम्मू तथा काश्मीर में भी वही हैं जो देश के अन्य भागों में हैं । जम्मू तथा काश्मीर की विधान सभा के चुनावों के लिये राज्य कानून के अधीन, मत देने का अधिकार स्थायी निवासियों तक ही सीमित है । इसे बदलने का कोई विचार नहीं है ।

अत्यधिक धन दिए जाने के कारण दल बदलने के बारे में शिकायत

***1491. श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजनीतिक दलों ने बार-बार शिकायतें की हैं कि "अत्याधिक धन" दिए जाने के कारण विभन्नि राज्य विधान सभाओं में दल बदल हो रहा है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की विधान सभा में एक विधायक ने सभा भवन में नोटों का बण्डल फेंकते हुए बताया कि उसको धन देकर काँग्रेस में शामिल होने के लिए फुसलाया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार दल बदल समस्या पर विचार करने के लिये बनाई गई संसद् सदस्य समिति को इन अरोपों की जाँच का कार्य सौंपने का है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को विभिन्न राज्य विधान मण्डलों में दल-बदल करवाने के लिये अपनाई गई विधियों की शिकायतों के बारे में जानकारी है ।

(ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें

***1492. श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है ;

(ख) क्या पाठ्य पुस्तकों में तथ्यों की त्रुटियाँ होने तथा राज्य सरकारों द्वारा राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग किये जाने की शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो समूचे देश में एक समान पाठ्य पुस्तकें हों, इसके लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) गुजरात को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है ।

(ख) कुछ शिकायते थीं कि कुछ राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में आपत्तिजनक चीजें थीं । इसकी जांच करने के लिये एक समिति नियुक्ति की है । उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद के पास विभिन्न विषयों में आदर्श पुस्तकें तैयार करने का एक कार्यक्रम है। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही उन पुस्तकों को विदित कर दिया है। इसमें माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली तथा दिल्ली प्रशासन शामिल हैं।

इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज

***1493. श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अप्रेल, 1968 के "पैट्रियट" समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उनके मंत्रालय द्वारा आगामी वर्ष के आरम्भ में इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज के कार्य तथा कार्यक्रम का पुनरीक्षण किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये एक बिशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) मैंने समाचार देखा है। जैसा कि प्राक्कलन समिति ने हाल ही में स्कूल के बारे में कहा है विशेषज्ञ समिति द्वारा इसके कार्य के पुर्नीवलोकन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता :

रोहतक में विश्वविद्यालय

***1494. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति और हिन्दी में स्नातकोत्तर अध्यायन के लिये अगस्त 1966 से रोहतक में विश्वविद्यालय केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और अफ्रीका के बीच नौवहन सेवा

***1495. श्री बाबूराव पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अफ्रीका के वीच जहाजरानी निगम के कितने जहाज चलते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में इन जहाजों द्वारा प्रतिवर्ष कितने यात्री लाये ले जाये गये तथा प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त हुआ,

(ग) क्या यह सच है कि इन जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली अन्य अनेक कठिनाइयों के अतिरिक्त उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है, और

(घ) यदि हाँ, तो यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1052/68**]

जेहाद

*1496. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि "जेहाद" नामक एक पाकिस्तानी पुस्तक जिसमें ऐसी सामग्री है जिस में भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच शत्रुता की भावना बढ़ सकती है और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, समूचे देश में खुले बाजार में बिक रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत में इस की बिक्री को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों तथा राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त एकत्रित सूचना से यह पता नहीं चलता है कि "जेहाद" नामक पुस्तक खुले रूप से बेची जारही है। ख्वाजा सय्यद महबूब शाह साहेब महदिस हजारवी द्वारा लिखित इस नाम की एक पुस्तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 7 जुलाई, 1966 के अपने आदेश से जब्त घोषित की गई थी। मुफ्ती-आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुहम्मद शफी साहेब द्वारा लिखित इसी नाम की एक अन्य पुस्तक पंजाब सरकार द्वारा उनकी अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 1968 से जब्त घोषित की गई यह अधिसूचना आवश्यक कार्यवाही के लिये अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाई गई है। आदेश तथा अधिसूचना की एक-एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1053/68**]

इन दोनों पुस्तकों की प्रतियों के भारत में आयात को रोकने के लिये सीमा-शुल्क अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये हैं ।

दिल्ली में सड़क-कर की वसूली

8538. श्री ओ० प० त्यागी : क्या **परिवंतन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के लिए दिल्ली में मोटर गाड़ियां सम्बन्धी सड़क-कर के भुगतान के लिए प्रत्येक वसूली बूथ पर सुबह 10 बजे पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है।

(ख) पैट्रोल भरने वाले पम्पों के माध्यम से सरकार द्वारा सड़क-कर की वसूली बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और क्या इस प्रथा के समाप्त किये जाने के बाद सरकार ने कर दाताओं की कठिनाईयां का कोई अनुमान लगाया है,

(ग) 1967-68 में दिल्ली में कुल कितनी मोटर गाड़ियों से सड़क कर वसूल किया गया था और 1968-69 में कुल कितनी मोटर गाड़ियों से यह कर वसूल किये जाने की सम्भावना है, और

(घ) इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) : 5 से 35

(ख) : दिल्ली प्रशासन के अनुसार जो सड़क-कर जमा करने के लिये जिम्मेदार है, पैट्रोल भरने वाले पंपों ने खुद ही अपने ग्राहकों की ओर से सड़क-कर का जमा करना बंद कर दिया था ।

(ग) : 1967-68 में जिन गाड़ियों के लिये सड़क-कर जमा किया गया था उनकी कुल संख्या लगभग 107,000 थी। 1968-69 में जिन गाडियों के लिये कर जमा किये जाने की आशा है उनकी संख्या 1,15,000 है ।

(घ) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार, दिल्ली में मोटर गाड़ी कर जमा करने के लिये 84 काउन्टर खोले गये है, लाइन को कम करने के लिये 'टोकन' जारी करने की प्रणाली चलाई गई है, कर दाताओं की सुविधा के लिये तंबुओं की व्यवस्था भी की गई है। कर जमा करने के केन्द्रों का निरीक्षण परिवहन निदेशालय के प्रवर अधिकारियों द्वारा किया जाता है और और जब किसी काउन्टर पर भारी भीड़ होती है तो उसके पास ही दूसरा काउन्टर खोलने का प्रबन्ध तुरन्त कर दिया जाता है ।

इण्डियन स्कूल आ माइन्स के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल

8539. श्री मधु लिमये : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन स्कूल आफ माइन्स के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल अब भी जारी है ?

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं ;

(ग) क्या इन मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान हड़ताल को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) : गर्मियों की छुट्टी के लिए 1-4-1968 को स्कूल के बन्द होने पर भी विद्यार्थि हड़ताल पर थे ।

(ख) और (ग) : विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1054/68**]

(घ) : विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकातें की थीं, उनकी मांगों को मानने से संबंधित उठाए गये कदमों के बारे में बता दिया गया था प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे धनवाद वापिस जाकर अपने साथियों को हड़ताल वापिस लेने की सलाह देंगे ।

भारतीय विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

8540. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : श्री नाथपाई :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरा : श्रीमती तारकेशवरी सिन्हा :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नई दिल्ली में भारत की विधायिनी संस्थाओं के पीठासीन अधिकार्यों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गये ;

(ग) उक्त निर्णयों से सरकार कहां तक सहमत है ; और

(घ) उक्त निर्णयों को कानूनी रुप दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सम्मेलन द्वारा पारित संकलप की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1055/68]**

(ग) और (घ) : संकल्प पर बड़े ध्यान से विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता के निकट नाव दुर्घटना

8541. श्री ज्तोतिर्मय बसु : श्री भागवानदास :

क्या **परिवहन तथा नौहवन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कलकत्ता के निकट जगतदाल में एक देशी नाव की दुर्घटना में छ व्यक्ति डूब गये थे,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नावों का अधिग्रहण करने तथा गति और सुरक्षा की दृष्टि से इनके स्थान पर नदी में चलने वाली आधुनिक नौकाओं को चलाने का है, और

(घ) क्या केन्द्रीय जल परिवहन निगम इन सेवाओं को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार करेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क) और (ख): पश्चिम बंगाल की सरकार ने रिर्पोट की है कि हुगली और 24 परगना जिलों के बीच चंद्रनगर-रानी घाट देसी नौका, 14 अप्रेल 1968 की लगभग 8.30 बजे डूब गई नाव में 30 यात्री थे और वे भार से अधिक नही थे । एक मृत शरीर प्राप्त किया गया, 18 व्यक्ति जल से बचाये गये आठ व्यक्ति तर किनारे आ लगे और 3 व्यक्तियों का अभी तक पता नही मिला है। यह नौका

24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट की अधीक्षता में चलती है। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा की गई दुर्घटना की प्रारम्भिक जाँच से किसी भूल की सूचना नही मिलती है।

(ग) पश्चिम बंगाल की सरकार मौजूदा देसी नौका को यन्त्र चालिक नौकाओं द्वारा चलाये जाने की संभावना पर विचार कर रही है। ये नौकाएं तूफान और तेज पवन को झेल सकती हैं।

(घ) फिलहाल केन्दीय अन्तर्देशीय **चल परिवहन** निगम इन सेवाओं के लेने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा है।

हिप्पियों की गिरफ्तारी

8542. श्री बाबूराव पटेल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में किन-किन देशों के तथा कितने हिप्पी उत्पादन शुल्क अधिनियम शस्त्रास्त्र अधिनियम आदि के अधीन गिरफ्तार किये गए क्योंकि उनके पास निषिद्ध नशीली वस्तुऐं थी और वह अनैतिक कार्यों में लगे हुए थे ;

(ख) गिरफ्तार व्यक्तियों में से प्रत्येक के विरुद्ध दायर मुकदमों के क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या यह सच है कि ये विदेशी विभिन्न प्रकार की नशीली वस्तुओं तथा औषधियों की तस्करी करते हैं और नगरों की सड़कों पर फेरी लगाकर बेचते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी अवैध तथा अनैतिक कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल :) (क) और (ख) : विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1056/68**]। शेष राज्यों में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी :

(ग) प्राप्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि अधिकतर विदेशी हिप्पी चरस और गांजा बेचने या रखने के कारण गिरफ्तार किये गये थे। इन वस्तुओं को शहर की गलियों में फेरी लगाकर बेचने का कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) दिल्ली में विदेशियों के कागजात इत्यादि की जाँच पड़ताल करने के लिये विशेषत : हिप्पियों के, जिनपर ऐसी गतिविधियों में भाग लेने का सन्देह किया जाता था, विशेश अभियान चलाया गया था ऐसी गतिविधियों पर सामान्य निगरानी भी बरती जा रही है।

कोल्हापुर हवाई अड्डा

8543. श्री बाबू राव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये कोल्हापुर में सब मौसमों में प्रयोग के योग्य हवाई अड्डा बनाने की प्रस्तावित योजना पर कितना व्यय होगा तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये भूमि परीक्षण पर कितना व्यय हुआ तथा उसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) प्रशासन के लिये तथा अन्य कार्यों के लिये कितनी इमारतें बनाने का विचार है तथा उन पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(घ) इसके लिये कितने एकड़ तथा कितने मुल्य की भूमि अधिगृहीत की जायेगी तथा इस भूमि के मालिकों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कोल्हापुर में एक सभी मौसम के हवाई अड्डे की लागत मोटे अनुमान के तौर पर 25 लाख रुपया होगी। साधनों की कठिन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इस प्रायोजना को ऊंची प्राथमिकता दिये जाने की संभावना नहीं है। इसलिये अभी इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि कोल्हापुर में कब तक हवाई अड्डा बन कर तैयार हो जायेगा।

(ख) भूमि परीक्षणों के परिणामों और उनकी लागत के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) : लगभग 6.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक टर्मिनल इमारत, गैराज और रिहायशी मकान बनाने के प्रस्ताव हैं।

(घ) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भूमि के अभिग्रहण के स्मबन्ध में सर्वेक्षण कर रहा है

Christian Missionaries

8544. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries who were made to leave the country by Government during the last two years for their unlawful and anti-national activities ; and

(b) the names of different places in the country where foreign missionaries are functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and **(b)** The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सेंट्रल रिजर्व पुलिस

8546. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल रिजर्व पूलिस कर्मचारियों की इस समय कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उसका विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस पुलिस दल में इन जातियों के लोगों को पर्याप्त संख्या में लेने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित अदिम जातियों के कर्मचारियों के दल की कुल संख्या के लिये प्रतिशत 1 जनवरी, 1968 को निम्नलिखित है :--

श्रेणी	अनुसूचित जातियों के सदस्यों का प्रतिशत	अनुसूचित आदिम आदिम जातिय का प्रतिशत
श्रेणी I	—	—
श्रेणी II	.62	—
श्रेणी III	9.94	3.43
श्रेणी VI	40.28	6.72
दल के लिये कुल संख्या	12.26	3.66

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण करने के अनुदेश केवल उन फर्दों पर लागु होते हैं जो या तो सीधी भर्ती द्वारा या विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकांश पद अन्य सूत्रों से भरे जाते हैं और इस प्रकार ये अनुदेश इन मामलों में लागू नहीं होते।

यूनिट कमाण्डेण्टों को, जो दल की अधिकांश भर्ती के नियुक्ति अधिकारी हैं, इस विषय पर सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप, में इन जातियों के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भर्ती करने के निदेश दिये गये हैं।

Murders and Dacoities in Banda District, U.P.

8547. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of murders and dacoities committed during the years 1966 and 1967 in Banda District of U.P. and the reasons for increase in the number of dacoities and murders; and

(b) the steps Government propose to take to improve the law and order situation in the said district.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla: (a) The Government of Uttar Pradesh have reported that 87 true cases of murders and dacoities were reported during the year 1967 in Banda District as against 90 true cases during the year 1966.

(b) In order to reduce the incidents of crime under these heads, the State Government have intensified patrolling in the affected areas. Village Defence Societies are being reorganised and strengthened. Concentrated efforts are also being made to unearth illicit manufacture of arms.

Assistance to Rajasthan for Education through Media of Regional Languages

8548. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to give some amount to the Government of Rajasthan under the scheme of education through the medium of regional languages;

(b) if so, the extent thereof and when it would be given; and

(c) the time by which the Central Government would take a final decision with a view to ensure the implementation of the said education scheme in Rajasthan?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) and (b) Under the scheme of financial assistance for production of University level literature in regional languages to assist the change-over in the media of education, the Government of India have agreed in principle to give an assistance subject to a maximum of one crore each to all State Governments, including that of Rajasthan during a six-year period commencing from 1967-68.

(c) The scheme sent by the State Government of Rajasthan is under examination.

Charges for Crossing the Jamuna River at Augosi Ghat.

8549. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that list showing the tax to be charged from people crossing the river Jamuna at Augosi Ghat, District Banda (U.P.) is not displayed and that the contractor charges the taxes arbitrarily ;

(b) whether it is a fact that Zilla Parishad, District Fatehpur (U.P.) is responsible for the management of the said Ghat and that the contractor of the said ghat is working in collusion with the official of the Parishad ;

(c) whether any complaint has been received in this regard ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d) The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

पाकिस्तान सीमा पर अपहरण के मामले

8550. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगे क्षेत्र में पाकिस्तान घुसपैठिये हत्या कर रहे हैं और डाके डाल रहे हैं और भारतीय नागरिकों का – एक कूच-बिहार जिले से और दूसरा दिल्ली से–अपहरण कर लिया है ; और

(ख) पिछले 18 वर्षों में वर्षवार कितने भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर समय-समय पर सीमा के आर-पार अपराधों की घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से एक भारतीय का 5 मार्च, 1968 तथा दूसरे का 26 मार्च, 1968 को अपहरण किया गया था । दिल्ली से किसी भारतीय राष्ट्रीय का अपहरण नहीं किया गया है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा दही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निकोबारीज कमर्शियल कम्पनी, कार निकोबार

8551. श्री हुकम चन्द कच्छवाय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह आदिवासी आदिम जातियां संरक्षण विनियम के अन्तर्गत की गई छूट के कारण निकोबारीज कमर्शियल कम्पनी कार निकोबार को निकोबार द्वीप समूह से खोपरा तथा सुपारी के निर्यात पर स्वामित्व नहीं देना पड़ता है ;

(ख) क्या पहले लगाया गया ऐसा स्वामित्व लाखों रुपये होता था और प्रति वर्ष कितना स्वामित्व वसूल किया जाता था।

(ग) क्या आदिवासी व्यापारी सार्थों द्वारा किये जाने वाले निर्यात पर स्वामित्व लगाने के सम्बन्ध में विद्यमान त्रुटि दूर करने के लिये सरकार का विचार आदिवासी आदिम जातियां संरक्षण विनियम में संशोधन करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो निकोबार द्वीपसमूह से होने वाले निर्यात पर स्वामित्व की हानि को रोकने के लिए सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) : अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी आदिम जातियों के संरक्षण) विनियमत, 1956 की धारा 6(1) के अन्तर्गत निकोबार के द्वीपसमूह में किसी "आरक्षित क्षेत्र में व्यापार करने के लिये अधिकृत लाइसेंसी पर मुख्य आयुक्त द्वारा इन आरक्षित क्षेत्रों से खरीदे गये खोपरा तथा सुपारी के निर्यात पर स्वामित्व लगाया जाता है। निकोबारीज कमर्शियल कम्पनी स्वयं आदिवासियों की साझी कम्पनी होने के कारण उसे निकोबार द्वीपसमूह में किसी व्यापार या कार्य चलाने के लिए उपरोक्त विनियमन के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस कम्पनी पर कोई स्वामित्व नहीं लगाया जा रहा है।

(ख) मेसर्स कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी, कार निकोबार से सन् 1966-67 के दौरान स्वामित्व के रूप में वसूल की गई रकम 1,44,613.70 रु० थी।

(ग) और (घ) : अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी) आदिम जातियां संरक्षण), विनियम, 1956 को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई आदिवासी आदिम जातियों के हितों को संरक्षण देने के लिए, जारी किया गया। इसलिये, आदिवासी व्यापारिक कम्पनियों पर स्वामित्व लगाने के लिये विनियम संसोधन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रस्तरयुग अस्त्र-विशेष (माइक्रोलिथ)

8552. श्री चित्तिबाबू : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के गारो पहाड़ी जिले में सेलबालगिरी ग्राम में खोज के लिये खोदी गई एक खाई में कुछ प्रस्तर युगीन अस्त्र विशेष (माइक्रोलिथ) पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गोहाटी विश्वविद्यालय के नरतत्वीय विज्ञान विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट के अनुसार जिन्होने खुदाई का आयोजन किया था, एक बहुत समृद्ध स्थल का पता चला है जहां पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसमें एक सुविकसित फलक-और-पर्त उद्योग एक लघुपाषाणिक उद्योग तथा जमीनी और छिप्टीदार दोनों तरह की पत्थर की कुल्हाड़ियों का एक भारी यन्त्र उद्योग शामिल हैं।

आण्विक आक्रमण से बचने के लिये लोगों को प्रशिक्षण देना

8553. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आण्विक आक्रमण से बचने के लिये लोगों को प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे किस तारीख से क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस देश पर आण्विक आक्रमण होने की संभावना का सरकार के पास पर्याप्त आधार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) क्या भारत पर न्यूक्लिअर अक्रमण होने की सम्भावना है । और यदि हां, तो उसका सूत्र और आकार क्या होगा, इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है । इस मूल्यांकन के आधार पर नागरिक सुरक्षा के प्रबन्ध तथा उनकी प्रकृति की व्यवहार्यता पर विचार करने का प्रस्ताव है । सम्पूर्ण परीक्षा अभी प्राथमिक अवस्था में है ।

Appointments in Commission For Scientific and Technical Terminology

8554. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether knowledge of relevant subject is considered essential for the posts of Research assistants and other higher posts in the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) if so, the cases in respect of which this policy was ignored during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) For posts required for terminological work in subjects like engineering, medicine and natural sciences, subject qualifications are essential. The other posts are filled by direct recruitment or departmental promotion according to the prescribed rules. In such cases prescribed academic qualifications include a Master's degree in Hindi, Sanskrit.

(b) and (c) : No departure has been made from the prescribed recruitment rules for filling up various posts except in short term vacancies pending regular appointments according to prescribed rules. This was found necessary to avoid dislocation of work.

Appointments in Commission for scientific and Technical Terminology

8555. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some qualified persons were selected by the U.P.S.C. for the posts of Research Assistants (Hindi) and they were appointed in the Language Department of the Commission for Scientific and Technical Terminology in 1964 ; and

(b) if so, the grounds on which the Commission is reluctant to accept the services of these experienced persons ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) In 1964 the Commission for scientific and Technical Terminology had no separate Secretariat

of its own. The Central Hindi Directorate provided the necessary secretariat assistance to the Commission in their work. Some Research Assistants (Hindi) were recruited by the Central Hindi Directorate in 1964 through the U.P.S.C. They are still in position. The question of the reluctance of the Commission for Scientific and Technical Terminology in accepting them, therefore, does not arise.

Repairs to ancient temple, and mosques in Hoshangabad

8556. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of ancient temples and mosques in District Hoshangabad in Madhya Pradesh which have been repaired from 1960 to 1968 so far ;

(b) the expenditure incurred on the repair work in the said period ;

(c) whether there are still such ancient temples and mosques which need to be repaired ; and

(d) if so, the action taken in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (d) There are no such temples or mosques, which are Centrally protected in the Hoshangabad District of Madhya Pradesh.

किदवई नगर, नई दिल्ली में पुराना स्मारक

8557. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि किदवई नगर, नई दिल्ली की सरकारी रिहायशी कालोनी के मध्य में एक पुराना स्मारक है ;

(ख) क्या स्मारक टूटाफूटा है और इस से क्षेत्र में गन्दगी फैलती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्मारक को सुन्दर बनाने तथा वहाँ पर एक उद्यान बनाने का भी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार किदवई नगर के निवासियों की इच्छा पूर्ति के लिये स्वर्गीय रफी अहमद किदवई की स्मृति में इसका विकास करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं । स्मारक अच्छी तरह परिरक्षित हालत में है ।

(ग) जी नहीं । सिर्फ चबूतरे के चारों ओर जमीन की एक छोटी सी पट्टी को छोड़कर स्मारक के चारों ओर डामर की सड़कें हैं । इतने छोटे स्थान में कोई अच्छा बाग विकसित करना सम्भव नहीं है ।

(घ) जी नहीं । इस मंत्रालय को बस्ती के निवासियों की ओर से ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थाओं के निदेशक

8558. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **शिक्षा** मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं के निदेशकों तथा अधिकारियों द्वारा पिछले दस वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक फर्मों से परामर्श शुल्क अथवा रायल्टी के रूप में प्राप्त राशियों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Sales Tax on 'Paranthas' in Delhi

8559. Shri Hardyal Devagun : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration had recommended to Government for the abolition of Sales-Tax on 'Paranthas' in Delhi ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Ordinary 'paranthas' are already exempted from the levy of sales-tax in Delhi. A proposal has been received from the Delhi Administration for giving exemption to 'stuffed paranthas' from the levy of sales-tax. This matter is under consideration.

राजनैतिक कार्यों के लिये व्यक्तियों तथा दलों को विदेशी सहायता

8560. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में किन्हीं व्यक्तियों अथवा दलों को राजनैतिक प्रयोजनों के लिये सहायता देने वाले देशों पर कोई कानूनी अथवा वित्तीय प्रतिबन्ध हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सहायता द्वारा इस देश के अन्दरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार नें क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक भारतीय राष्ट्रिक द्वारा, अधिकृत डीलरों, नामत : मुद्रा- विनियम से संबंधित बैंकों के माध्यम को छोड़कर, विदेश से धन प्राप्त करना, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन होगा, फिर भी, यह अधिनियम उस साधन पर लागू होता है जहाँ से रुपया प्राप्त होता है न कि प्रयोजनों पर जिससे यह सहायता मिलती है। पिछले आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा के उपयोग के सामान्य प्रश्न पर गुप्तवार्ता विभाग की रिपोर्ट के आधार पर विचार हो रहा है

"इम्फाल छावनी में कृषि योग्य भूमि"

8561. श्री मेघचन्द्र : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में आसाम राइफल्स की चौथी बटालियन के अधिकार में इम्फाल छावनी के क्षेत्र के साथ बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि है जिसे आम तौर पर 'खुमान लम्हागं' कहा जाता है और क्या यह भूमि पिछले कई वर्षों से बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूमि स्थानीय लोगों को कृषि के प्रयोजन के लिये उपलब्ध कराई जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे बेकार रखने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) भूमि का एक भाग जिसे 'खुमन लमहाँग' कहते हैं और जिसका क्षेत्र फल 140.67 एकड़ है, आसाम राइफल्स ने

मनीपुर सरकार को 19 फरवरी, 1968 को दे दिया है। भूमि का यह भाग इम्फाल कस्बे में, इम्फाल नदी के पश्चिम में है। आसाम राइफल्स भूमि के इस भाग को प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रयोग करती रही थी।

मनीपुर सरकार ने इस भूमि में से 35 एकड़ भूमि क्रीड़ास्थल के निर्माण के लिये और 5 एकड़ भूमि राजकीय छापाखाना के लिये नियत कर दी है। शेष भूमि विकास के बाद राजकीय कार्यालय के भवन बनाने में और इम्फाल कस्बे के विस्तार के लिए प्रयोग में लाई जायेगी।

दिल्ली परिवहन

8562. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में दिल्ली परिवहन की कितनी बसें खराब हुई,

(ख) चालू वर्ष में अब कितनी बसें खराब हुई हैं, और

(ग) बसों के खराब होने की संख्या को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 65,143 ;

(ख) 13,630 (31-3-1968 तक)।

(ग) परिस्थिति में सुधार करने के लिये दिल्ली परिवहन संस्थान द्वारा निम्न कार्यवाही की जा रही है :—

(1) गाड़ियों के रखरखाव में सुधार करने के लिये प्रयास किये जाते है।

(2) लाइन पर 14 रखरखाव विन्दुओं का प्रकार्य और सुदक्षकर दिया गया है।

(3) लाइन पर टायरों में पंकचरों की बढ़ती संख्या की पूर्ति के लिये टायरों की सप्लाई के लिये एक विशष स्कैड स्थापित किया गया है।

"केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र"

8563. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) क्या इस केन्द्र में किये गये अनुसंधान से संबधित उद्योगों को कोई व्यावहारिक तथा वास्तविक सहायता मिली है ; और

(ग) इस शन्द्र में किये गये अनुसंधान कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र की कार्यप्रणाली का पिछला पुनर्विलोकन 1963 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तृतीय पुनर्विलोकन समिति द्वारा किया गया था। केन्द्र के काम की प्रगति का अवलोकन उसकी कार्यकारी परिषद और वैज्ञानिक उप समिति द्वारा किया जाता है जिसकी बैठकें वर्ष में सामान्यत: दो बार होती हैं।

(ख) केन्द्र के विभिन्न प्रभागों अनुभागों में किये गए काम से उद्योग में व्यावहारिक सहायता मिली है। केन्द्र के अनुसंधान कार्य का व्यौरा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान

परिषद की वार्शिक रिपोर्ट में दिया गया है, जिसकी प्रतियां प्रतिवर्ष लोक सभा-पटल पर रखी जाती हैं।

(ग) केन्द्र की स्थापना अर्थात् 1955-56 से लेकर 1967-68 तक अनुसंधान कार्य पर किया गया व्यय "इन्फा-"संरचना के व्यय सहित निम्नलिखित है :

लाख रुपये

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	राशि
1.	आवर्ती	158.716
2.	पूंजी	72.437
	योग-	231.153

Raipur-Jagdalpur Highway

8564. Shri Lakhan Lal Cupta : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the road from Raipur to Jagdalpur in Madhya Pradesh is a national highway ;

(b) whether bridges to bear heavy traffic, have been constructed over all the river crossings on this road ;

(c) whether it is a fact that a bridge named Nandanmara is not in good condition for the last several years as a result of which traffic difficulty is being experienced on that road ; and

(d) if so, the time by which a new bridge would be constructed there in place of the old one ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir. The Raipur-Jagdalpur section is part of the Raipur-Vizianagaram road, National Highway No. 43.

(b) The existing five bridges on the road are weak and narrow. The replacement of four of these bridges by bridges of National Highway standards has been sanctioned. Two of these bridges are in an advanced stage of construction. The project for the reconstruction of the fifth bridge will be considered after the allocations for National Highways under the Fourth Plan have been finalised.

(c) and (d) : Yes, Sir. The construction of a new bridge over the Nandanmara river is expected to be completed by June, 1969.

Bridge on Mahanadi in Raipur District, M. P.

8565. Shri Lakhan Lal Gupta : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have made any request to the Central Government for the construction of a bridge over Mahanadi between Rajim and Navapara in Raipur District, Madhya Pradesh ;

(b) if so, the action taken in the matter ; and

(c) whether provision is being made in the Fourth Five-Year Plan for the construction of the said bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) The proposed bridge would fall on a State road. The Government of Madhya

Pradesh, who are primarily concerned, have not made any request so far for Central financial assistance for its construction.

(b) and (c) : Do not arise.

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों का विकास

8566. श्री स० चं० सामन्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की यात्रा के दौरान उनके समक्ष इन द्वीप समूहों का शीघ्र विकास करने संबंधी प्रस्ताव रखे गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस वर्ष फरवरी में अन्डमान व निकोबार द्वीप समूहों की यात्रा के समय प्रधान मंत्री को प्रशासन तथा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भी इन द्वीप समूहों के विकास के प्रस्तावों की जानकारी दी गई थी। प्रधान मंत्री ने किये जा रहे कार्य को देखा और उत्सुकता व्यक्त की कि उन प्रस्तावों पर जिन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, निर्णय किया जाए और शीघ्रता से उन्हें कार्यान्वित किया जाये। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा उनके कई विभागों में इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ललित कला अकादमी, कलकत्ता के लिये भूमि

8567. श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वि० कृ० मोडक : **श्री चक्रपाणि :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में ललित कला अकादमी को कितनी भूमि दी है;

(ख) वह भूमि किन-किन शर्तों पर दी गई; और

(ग) क्या यह देखने के लिये सरकार की कोई व्यवस्था है कि उपर्युक्त शर्तों का पालन हो ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने ललितकला अकादमी कलकत्ता को कोई भूमि नहीं दी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Compensation to Sufferers of Pak Attack on Ladakh

8568. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1947 when Pakistan attacked Ladakh area and had penetrated into Indian territory very deep, the Pakistani people, while retreating, had taken away the belongings of the Indian people and had also lifted cattle from 'Sham' and 'Jankar' areas of Ladakh ;

(b) if so, whether any financial assistance in the form of any compensation was paid to those Indian families, whose belongings were taken away by the Pakistanis ;

(c) if so, the amount of compensation paid to them and through whom this compensation was paid ;

(d) whether it is also a fact that the Central Government had sanctioned 3 lakhs of rupees to be paid to those families as compensation but the State Government did not allow the said sum of money to be paid ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (e) : As the question relates to matters twenty years old, information is not readily available. Efforts are being made to get it.

Capture of a Truck by Pakistanis in Barmer

8569. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistanis captured one truck, along with five persons on the night of the 29th March, at Barmer on Rjasthan border ; and

(b) if so, the efforts made by Government to get the truck and the persons released ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : A civilian truck with five persons was taken into Pak custody when it took a wrong road and inadvertently entered Pak territory near Gadra City on the night of 21st-22nd March, 1968. However, as a result of the intervention of the local Border Security Force authorities, the release of the truck and its five occupants was secured on the 29th of March, 1968.

विद्रोही नागा तथा मिजो द्वारा आक्रमण की योजना

8570. श्री म० ला० सोंधी :　　**श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :　　**श्री जगल मंडल :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्रोही नागा तथा मिजो जून मास में नागालैंड, मणिपुर तथा मिजो पहाड़ियों पर एक ठोस आक्रमण की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सामरिक नीति से उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई ऐसी निश्चित सूचना नहीं है। तथापि सुरक्षादल निगरानी रखे हुए हैं और देश की सुरक्षा के सभी सम्भावित खतरों के प्रति जागरूक हैं।

निजाम हैदराबाद

8571. श्री नारायण रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 836 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय निजाम हैदराबाद ने अपनी निजी सम्पत्तियों की सूचियां ठीक किस-किस तिथि को दी थीं तथा तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा किन-किन तारीखों को इन सूचियों की जांच की गई थी ;

(ख) जिस अवधि में इन सूचियों की जाँच की गई थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस बारे में बातचीत की गई थी तब हैदराबाद राज्य में मंत्रीमंडल के सदस्य कौन कौन थे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस समय की हैदराबाद राज्य सरकार से इन सूचियों के बारे में किन-किन तारीखों को बातचीत की थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ग) सरकार शासकों की निजी सम्पत्ति की व्यवस्था से सम्बन्धित ब्यौरों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना उचित नहीं समझती है ।

(ख) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1057/68**]

कलकत्ते में बम का फटना

8572. श्री दीवीकन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मार्च, 1968 को जब सेन्ट्रल कलकत्ते में दो बम फटे थे तब तीन व्यक्ति घायल हो गये थे तथा एक मर गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई जाँच की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसी स्थान से दो और बम पकड़े गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो कलकत्ते में बम फटने की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

आसाम-नागालैंड सीमा विवाद

8573. श्री दीवीकन :
श्री अंबचेजियान :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सीताराम केसरी :
श्री अजमलखां :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री कु० मा० कौशिक :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार तथा नागालैंड सरकार के बीच सीमा विवाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागालैंड सरकार ने हाल में आसाम के गांवों में कुछ मकानों को बलपूर्वक जला दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने आसाम के कुछ भागों पर बलपूर्वक कब्ज़ा कर लिया है; और

(घ) क्या स्थिति की गंभीरता को देखते हुये इस मामले में केन्द्र से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : आसाम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आसाम के मुख्य मंत्री ने 30 मार्च 1968 को राज्य विधान सभा में कहा था कि दोयांग रिजर्व में लगभग 200 मकान नागालैंड पुलिस द्वारा जला दिये गये थे। दूसरी ओर, नागालैंड सरकार ने सूचित किया है कि 258 मजदूर, जो मैदानों से पंगतौंग गांव में इनरलाइन परिमिट पर लाये गए थे, और जो परमिट की अवधि समाप्त होने पर राज्य छोड़ने के लिये इन्कार कर रहे थे, नागालैंड पुलिस द्वारा निकाल दिये गये क्योंकि राज्य सरकार ने परमिटों की अवधि न बढ़ाने का निश्चय किया था।

(घ) आसाम सरकार ने नागालैंड सरकार से इस मामले में बातचीत की है।

आसाम के कुछ भागों में कर्फ्यू

8574. श्री दीवीकन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कुछ भागों में 30 मार्च, 1968 को कर्फ्यू पुनः लगा दिया गया था;

(ख) यदि हाँ तो क्या वहाँ पर पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा साम्प्रदायिक तनाव अभी भी बनाया जा रहा है; और

(ग) राज्य में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आसाम सरकार को क्या सहायता देने का आश्वासन केन्द्र ने दिया है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 30 मार्च, को तिनसुखया में विधि और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिये कर्फ्यू लगाया गया था। वह 31 मार्च तथा आँशिक रूप में 1 अप्रेल तक जारी रहा।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक पाकिस्तान के एजेन्टों का हाथ होना बताने वाले कोई प्रमाण नहीं हैं

(ग) राज्य सरकार की सशस्त्र पुलिस के संसाधनों को भारत सरकार द्वारा यथासम्भव और मजबूत किया गया है।

भारत में होटल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष विभाग

8575. श्री दीवीकन : **श्री अंबचेजियान :**

चेंगल रायानायडू :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय होटल तथा रेस्टोरैण्ट संस्था संघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत में होटल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया जाये;

(ख) इस संस्था के प्रधान ने और क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० करण सिंह) : (क) जी, हां। भारत के होटलों और रेस्टोरैण्टों के एसोसियेशनों के फेडरेशन ने अप्रेल, 1968 में मद्रास में हुए अपने वार्षिक अभिसमय (कन्वैंशन) में एक ऐसा संकल्प पारित किया हैं।

(ख) बैठक में पारित किये गये अन्य संकल्प निम्नलिखित के बारे में हैं :

(i) होटल के लिए स्थानों को उचित दरों पर उपलब्ध करना, (ii) होटल उद्योग को दिये जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाएं, (iii) आयात लाइसेंसों का जारी करना, (iv) किराये के स्थानों में स्थित होटलों तथा रेस्टोरेण्टों के हितों की रक्षा करना, (v) मद्य निषेध नियमों को उदार बनाना, (vi) उत्पादन शुल्क कम करना, (vii) नये होटलों व रेस्टोरेण्टों की राशन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और (viii) कुछ होटल प्रायोजनाओं के बारे में सरकार के निर्णयों पर पुनर्विचार करना।

(ग) सरकार के पास औपचारिक रूप से भेजे जाने पर ईनकी जाँच की जायेगी।

Central School at Danapore, Patna

8576. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) the total number of girl and boy students on roll of the Central School at Danapore Cantt. (Patna) ;

(b) the number of Urdu-speaking students among them ;

(c) whether there is any arrangement for teaching of Urdu to such Urdu-speaking students and the teacher employed for the purpose in that school ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) 374 boys and 234 girls.

(b) to (d) Information regarding the number of Urdu-speaking students is not available. The Central Schools' uniform course provides only for teaching of Hindi and English, with a classical language Sanskrit for some period. No arrangement for teaching of other mother tongues exists hence there is no provision for teaching of Urdu also. If, however, there is a sizable number of pupils desirous of studying any other language, the Sangathan is prepared to share half the expenditure on the salary of the teacher (s).

Communal Riots

8577. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times communal riots took place in India during the period from 1950 to date ;

(b) the total number of persons killed in those riots ;

(c) the number of persons belonging to the minority community (Muslims) among the persons so killed ;

(d) the total amount of loss suffered during the riots ; and

(e) the amount of loss sustained by the persons belonging to minority communities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Action against Office-bearer of D.P.C.C. and Member of D. M. C.

8578. Shri Sharda Nand : Shri Ranjit Singh :

Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Brij Bushan Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the name of the offiee-bearer of the Delhi Pradesh Congress Committee against whom action was taken by police recently, the charges against him and the nature of action taken by the police ;

(b) whether it is a fact that action has been taken against a member of the Corporation also ; and

(c) if so, the name of the member and the charges against him ?

The Minister of State in the Minstry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A case under section 9 of the Punjab Security of the State Act 1953 was registeed against Shri Rajesh Sharma, President of the Delhi Pradesh Congress Committee, alleged to have exhorted the audience to join the demonstration in defiance of prohibitory orders promulgated under section 144 Cr. P.C. The case has been filed for insufficiency of evidence.

(b) Yes, Sir.

(c) A case under section 436/115 IPC was registered against Shri Ram Lal. He is alleged to have instigated the persons settled in the Seemapur Colony to act in violation of law.

सरकारी कर्मचारियों के अवकाश सम्बन्धों आवेदनपत्रों का निपटारा

8579. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अवकाश में यात्रा रियायत पर लम्बी छुट्टी पर अपने घर (होम टाउन) जाने के ईच्छुक सरकारी कर्मचारीयों को सम्वन्धित विभागों द्वारा उन के अवकाश सम्बन्धी आवेदनपत्रों का निपटारा करने में तंग किया जाता है और परेशानी में डाला जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही का गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री क० एस० रामास्वामी (क) गृह मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

Unauthorised Construction in Bulandshahr.

8580 : Shri Bramhanandji :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District Magistrate, Bulandshahr has received complaints against the unauthorised construction on the site of a Girls School of the Gram Sabha of Village Pavsara in Tehsil Bulandshahr with the collusion of the Pradhan of Gram Sabha ;

(b) whether it is also a fact that the Naib Tehsildar inspected the unauthorised construction on the spot ; and

(c) if so, the details regarding the action taken by Government to check the unauthorised construction ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. A complaint about unauthorised construction was received in the Collectorate Bulandshahr on 22nd March, 1968. Coulusion of Pradhan of Gram Sabha was not proved.

(b) Naib Tehsildar enquired and reported that two persons were indulging in unauthorised construction on the land.

(c) Further construction has been stopped and ejectment proceedings have been started.

टाउन प्लानरों और आर्किटेक्टरों में बेरोजगारी

8582. श्री अंबचेजियान : श्री चेंगलराया नायडू :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाउन प्लानरों में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है :

(ख) प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्लैनिंग तथा आर्किटेक्टर के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 2000 टाउन प्लानरों को रोजगार दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो यह कहाँ तक सच साबित हुआ है?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक के अनुसार 31-12-1967 को केवल 5 नगर आयोजक रोजगार दफतरों के रजिस्टरों में दर्ज थे।

(ख) संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1967 में 51 व्यक्तियों ने नगर आयोजकों के रूप में अर्हता प्राप्त की थी।

(ग) और (घ) आयोजना मन्त्रियों की समिति के अनुसार 1966-1975 के लिये विभिन्न स्तरों पर नगर आयोजन कर्मचारियों की माँग कुछ वर्ष पहले 2,100 लगाई गई थी। चूंकि पुनराजित चतुर्थ योजना अभी बनाई जानी है, योजनाविधि के दौरान नगर आयोजकों की आवश्यकता का निश्चित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

Cummunal Riots

8583. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of places where communal riots occurred in the country last year and the number of incidents of riots out of them in which foreign elements had a hand ; and

(b) the measures being adopted by Government at political level to check the recurrence of Communal riots ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) It has been decided to revive the National Integration Council, whose deliberations would be useful in devising measures to check Communal forces.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के उच्च आयुक्त

8585. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मत्री यह बताने की कृपा करगें कि

(क) क्या हाल ही में अंदमान तथा निकोबार द्वीपों के उच्च आयुक्त ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की मान हानि कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो मामले में तथ्य क्या थे ;

(ग) उस कार्यवाही में न्यायालय ने क्या निर्णय किया था ; और

(घ) मैसर्स आर० अकूर्जी यादवेट एंड कम्पनी की अंदमान द्वीपों में व्यापारिक अधिकारों सम्बन्धित मूल लेख या याचिका पर विचार किस स्थिति में है जिसके कारण उक्त मानहानि कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरुप कि मैसर्स नानकोरी ट्रेडिंग कम्पनी के लाईसेंस की अवधि 30-9-1967 से आगे न बढाई जाए, उपरोक्त कम्पनी से सितम्बर, 1967 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से, अन्दमान और निकोबार प्रशासन को कम्पनी के व्यापार तथा कार्य में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिये, अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी। फिर भी, उन द्वीपों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अंदमान तथा निकोबार प्रशासन ने कुछ सिविल रसद भणंडार खोले। मैसर्स नानकोरी ट्रेडिंग कम्पनी ने कलकत्ता न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशों की मानहानि के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रचालित किया जिसके परिणामस्वरुप उच्च न्यायालय ने प्रशासन को, भण्डारों को तब तक बन्द करने का आदेश दिया जब तक आदेष पर पूर्ण निर्णय नही ले लिया जाता। इसके पश्चात् न्यायालय ने अपने आदेश को पूर्ण रुप दे दिया तथा मुख्य आयुक्त तथा उप-आयुक्त में से प्रत्येक को 50 रुपये का जुर्माना किया, जो कि महान्यायाभिकर्ता द्वारा मौखिक क्षमा मांगने पर माफ कर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष में एक याचिका दायर की गई है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(घ) न्यायालय की मानहानि कार्यवाही मैसर्स नानकोरी ट्रैड़िग कम्पनी, न की मैसर्स आर० अकूजी यादवेट एण्ड कम्पनी, द्वारा दायर की गई लेख याचिका के मामले में आरम्भ की गई। फिर भी मैसर्स आर अकूजी आदवेट एंड कम्पनी ने एक अलग लेख याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की है। इस मामले में, लेख याचिका की कोई नियमित सुनवाई अभी नही हुई है यद्यपि कुछ अन्तःकालीन बातों की सुनवाई हुई है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम वर्ग संस्था

8586. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जून, 1965 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम वर्ग संख्या द्वारा पारित संकल्प के उत्तर में इस संख्या को कोई उत्तर भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य (मन्त्री विद्याचरण शुकल) : (क) और (ख) : संकल्प होने के कारण औपचारिक रुप में सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं भेजा गया। फिर भी एसोसियेशन की मागों पर उनके प्रतिनिधियों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था।

विभागीय पदोन्नति समितियां

8587. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भातीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय प्रतिरक्षा लेख सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि जैसी सभी केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों में सेवा सम्बन्धी मामलों का निपटारा इन्ही सेवाओं के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त विभागों में ऊच्च पदों पर नियुक्तियों के लिये स्थापित की गई सभी विभागीय पदोन्नति समितियों में अधिकांश सदस्य सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा के होते हैं और आयोग का एक सदस्य संघ लोक सेवा आयोग इन समितियों का अध्यक्ष होता है ।

(ग) क्या यह सच है कि ऊक्त सुविधा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मिजो पहाडियों में विदेशी वस्तुओं का तस्कर व्यापार

8588. श्री बी० ना० शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी गिरोह मिजो पहाड़ियों में लगातार विदेशी वस्तुओं को चोरी छिपे ला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी व्यापार को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

(क) **गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):** (क) पाकिस्तानी गिरोहों द्वारा पहाड़ियों में विदेशी माल की तस्करी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मिजो पहाड़ियों में ग्रामों का पुनर्वीकरण

8589. श्री बि० ना० शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ियों में ग्रामों का पुनवर्गीकरण किया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उक्त पुनवर्गीकरण के अन्तर्गत कितने गाँव तथा कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)

(क) जी हाँ, श्रीमान :

(ख) यह उपाय अपने उद्देश्यों में पर्याप्त मात्रा में सफल हुआ है ।

(ग) जनवरी और फरवरी, 1967 के बीच 100 गाँवों का, जिनकी जनसंख्या 45.107 थी, केन्द्रों में पुनवर्गीकरण किया गया था ।

शिव सेना

8591. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री टी० पी० शाह :
श्री मुरासोली मारन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शिव सेना के प्रधान, श्री बाल थाकरे के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया हैं जो 4 अप्रैल, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था और जिसमें उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि बम्बई में शिव सेना के लिये पूंजीपति लोग धन व्यवस्था कर रहे हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी हाँ श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार से पूछ-ताछ की गई है । उन्होंने कहा है "यह सन्देह किया जाता है कि शिव सेना संगठन को स्थानीय व्यापारिक हितों द्वारा सहायता दी जा रही है । फिर भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हो रहा है जो संगठन को पूंजीपतियों द्वारा सहायता दिये जाने के आरोपों की सत्यता को प्रमाणित करे ।"

Shortage of Teachers at Central School, Kotah

8592. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that studies of students cannot be completed in Central School, Kotah, Rajasthan, because of shortage of teachers there ;

(b) whether it is also a fact that the teachers there are not paid salaries according to the Central Government scales ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to increase the number of teachers there ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) All Teachers in Kendriya Vidyalayas are paid their salary according to the scales approved by the Sangathan, which are largely on the basis of scales in Delhi.

(c) and (d) Do not arise.

Sub-Registrars in Delhi

8593. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 4871, on the 22nd March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that no work is pending at present in the office of the Sub-Registrar (Buildings) Delhi ;

(b) whether it is also a fact that space for the office of a fourth Sub-Registrar is available in that office (Kashmiri Gate) and Room Nos. 14-15 are lying vacant where office of the fourth Sub-Registrar can be opened ; and

(c) if so, the need for opening another office for the fourth Sub-Registrar ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to c) : Sufficient volume of work is pending in the office of all the Sub-Registrars including that of the Sub-Registrar (Buildings). It is for this reason and for preventing inconvenience to the public that the office of a fourth Sub-Registrar is being opened. Rooms are lying vacant in the office of the Sub-Registrar (Buildings) at Kashmiri Gate and whether the new office would be opened there or elsewhere, is under consideration.

दुर्घटना जांच अनुभाग

8594. श्री स० चं० सोमन्त : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना अनुभाग को असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार से निकाल कर परिवहन मन्त्रालय अथवा अन्य किसी सम्बन्धित मन्त्रालय के अन्दर रखना उपयुक्त समझा गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) प्राक्कलन समिति की एक सिफारिश को कार्यान्वित करते हुए दुर्घटना की जाँच सम्बन्धी कार्य करने वाली शाखा को नागर विमानन के महानिदेशक के संगठन से अलग करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Sanskrit University in Madhya Pradesh

8595. Shri Ram Avatar Sharma : Shri Ram Gopal Shalwale
Shri Shashi Bhushan Bajpai :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Sanskrit University in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, when it is likely to be set up and the location thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : The Government of India have no such proposal. The Madhya Pradesh Legislative Assembly has passed a resolution that the State Government should establish a Sanskrit University in the State, when its financial position becomes favourable. No decision has so far been taken by the State Government in the matter.

Bridge over Ganga in Bulandshahr (U.P.)

8596. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a bridge on the river Ganga in Tehsil Anupshahr, District Bulandshahr (U.P.) ;

(b) if so, the time by which construction work of the bridge would start ;

(c) if not, whether Government would prepare a scheme for the construction of the said bridge ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) : The proposed bridge would fall on a State road in U.P. The

Government of U.P., who are primarily concerned, have intimated that they have no such proposal under consideration at present.

(c) and (d) : The State Government have sanctioned the construction of a road deck for the use of road traffic over the barrage across the Ganga under construction nearby at Narora.

Uttar Pradesh Roadways

8597. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the tools and Jacks are not provided to the Uttar Pradesh Government Roadways buses plying between Bulandshahr and Delhi ;

(b) whether it is also a fact that in the absence of tools and Jacks, the passengers travelling by these buses have to face great difficulty in the event of damage to a bus or a punctured wheel ; and

(c) if so, the reasons for not providing the tools and jacks to these buses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The information required is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

National Institute of Sports, Patiala

8598. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students in the National Institute of Sports, Patiala ;

(b) the expenditure incurred on each student ; and

(c) whether Government propose to transfer the National Institute of Sports to Gwalior in the near future ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a)

(i) Regular Course of 9 month duration.	29
(ii) Attendance Course of 9 month duration.	33
(iii) Condensed Course of 4½ month duration.	55
Total :—	117

(b) About Rs. 6,200/- during 1967-68 reckoned on a full course of 9 month duration.

(c) The matter is under consideration.

मनीपुर राइफल्स और विद्रोही नागाओं के बीच मुठ भेड़

8599 श्री हेम बरुआ : श्री हिम्मतसिंह का :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिविजन के दक्षिण भाग में अप्रैल, 1968 को मनीपुर राइफल्स और विद्रोही नागाओं के बीच भारी गोली-बारी हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अप्रैल, 1968 को मनीपुर के तामेंगलाँग सब-डिवीजन में नोनी गाँव के निकट सुरक्षा दलों तथा विद्रोही नागाओं के बीच गोली-बारी आधे घंटे तक चलती रही, जिसके पश्चात विद्रोही वापस चले गए। किसी ओर कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

शिलौंग में बम विस्फोट

8600. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 1 अप्रैल, 1968 की रात को शिलौंग में एक भारी बम विस्फोट हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1968 की रात को शिलांग में बन रहे एक सिनेघर में एक विस्फोट हुआ था। भवन की दक्षिणी दीवार को कुछ मामूली क्षति पहुंची थी तथा स्थल के निकट खड़ी एक कार के दरवाजों के शीशे टुकड़े-टुकड़े हो गए। कुछ हानि का अनुमान 200 रुपये है। मामले की जाँच की जा रही है।

मनीपुर के तीन सब-डिवीजनों का नागलैण्ड में विलय

8601. श्री मधु लिमये : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा राष्ट्रीय संगठन ने मनीपुर के युद्ध-विराम वाले तीन सब-डिवीजनों का नागालैंड के साथ विलय करने की माँग की है ;

(ख) क्या मनीपुर प्रादेशिक परिषद ने इसका विरोध किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) नागालैंड में नागा राष्ट्रीय संगठन समीपवर्ती नागाक्षेत्रों का नागा राज्य के साथ एकीकरण के लिए अनुरोध कर रहा है। प्रधान मन्त्री ने मनीपुर काँग्रेस अध्यक्ष से एक तार प्राप्त किया है जिसमें नागालैंड राज्य के साथ मनीपुर के तीन पहाड़ी उप-विभागों के विलय के बारे में नागा राष्ट्रीय दल एवं भारत सरकार के बीच तथाकथित समझौते के बारे में प्रेस रिपोर्टों पर चिन्ता व्यक्त की है। इन प्रतिवेदनों में कोई सत्यता नहीं है कि मनीपुर के इन तीन पहाड़ी उप-विभागों के सम्बन्ध में सरकार का नागा राष्ट्रीय दल के साथ कोई समझौता हुआ है।

Lathi Charge in Almora

8602. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the lathi-charge on public resorted to by the Police in Almora on the night of the 14th March, 1968 on Holi eve in which one Jawan of Army, one Jawan of P.A.C. and some persons from the general public were injured ;

(b) whether it is a fact that lathi-charge was resorted to without any orders from the District Magistrate or Magistrate and the Police manhandled the people arbitrarily; and

(c] if so, the action being taken by Government against the police ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) It is reported by the Government of Uttar Pradesh that no lathi-charge was resorted to by the Police in Almora.

(b) and (c) : Do not arise.

एक महिला के शव का पाया जाना

8603. **श्री मधुलिमये** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ यह समाचार सच है कि दिल्ली पुलिस को मुंडका नाले (नांगलोई मुंडका रेलवे स्टेशन) से एक महिला का शव मिला था;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने इस महिला को बहुत दिन पहले मार कर उसका शव फेंक दिया था और यह इतना अधिक खराब हो गया था कि उसे पहचानना कठिन हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शव-परीक्षा से मृत व्यक्ति की पहचान तथा मृत्यु के कारण का पता नहीं चल सका क्योंकि शव काफी खराब हो चुका था तथा उसमें घाव के कोई चिन्ह नहीं थे ।

(ग) मामले में जांच की जा रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

महात्मा गांधी हत्या षडयन्त्र सम्बन्धी जांच आयोग पर व्यय

8604. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी हत्याकाण्ड षडयन्त्र के बारे में एक सदस्यीय आयोग कब से जांच कर रहा है;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक इस आयोग पर कितना धन व्यय हुआ है; और

(ग) आयोग अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दे देगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयोग 23 मार्च, 1965 को स्थापित किया गया था ।

(ख) 23 मार्च, 1965 से 31 मार्च, 1968 तक 46,10,912 रुपये का व्यय हुआ है ।

(ग) आयोग का कार्य 30 जून, 1968 तक पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Anti-National Activities in Doda District of East Jammu

8605. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan fifth columnist distributed the pictures of President Ayub Khan and pro-Pakistani posters in Doda District of east Jammu on the eve of Sheikh Abdulla's tour ; and

(b) if so, the action taken by Government against these anti-national elements ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : It is reported that a worker of the Plebiscite Front was selling photographs of President Ayub Khan in Kishtwar. No legal action was warranted in respect of this.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की कार्य प्रणाली

8606. **श्री दी० चं० शर्मा** :　　　　**श्री शशिभूषण बाजपेयी**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की समूची कार्य-प्रणाली की जांच करने तथा जहां कहीं आवश्यक हो सुधार करने के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये संसद सदस्यों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या होंगे तथा उसके निर्देश पद क्या होंगे और उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, और

(ग) यह अपना प्रतिवेदन कब तक दे देंगी ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में निष्ठावान अध्यापकों को डराना

8607. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल के बच्चों तथा निष्ठावान अध्यापकों को, उनके उन सहयोगियों द्वारा जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में हड़ताल में भाग लिया था, तंग करने तथा डराने की घटनाएं सरकार के ध्यान में लायी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली प्रशासन के नोटिस में इस प्रकार के कुछ मामले लाये गये थे।

(ख) और (ग) इन मामलों की जांच की गई थी, किन्तु इसी बीच स्कूलों के वातावरण में सुधार होने और शनैः शनैः सामान्य स्थिति आने के कारण, प्रशासन ने व्यक्तिगत मामलों में कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा। फिर भी, दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने इस मामले से सम्बन्धित एक परिपत्र स्कूलों के प्रिंसिपलों को जारी किया था।

राष्ट्र विरोधी गतिविधि के विरुद्ध सर्वदलीय सम्मेलन

8608. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का है जो संयुक्त रूप से माओ समर्थकों की राष्ट्रविरोधी तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों के बारे में विरोध प्रकट करें और जनता में उनके विरुद्ध प्रचार करें क्योंकि ये गतिविधियां पश्चिम बंगाल में माओ-त्से-तुंग जिंदाबाद के नारों तथा जोरहाट की घटनाओं में परिलक्षित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। हमें आशा है कि राष्ट्रीयता की भावना स्वयं व्यक्त होगी और उन व्यक्तियों को, जो घातक विचारधारा से प्रभावित हैं, पृथक कर देगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओलम्पिक एसोसियेशन को वित्तीय सहायता

8609. श्री सीताराम केसरी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन ने 1970 के एशियाई खेल कराने के लिये सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता देने को कहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ है।

चीनी दूतावास के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

8610. श्री रवि राय : श्री वि० ना० शास्त्री :

श्री रा० राव सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी दूतावास के एक चौकीदार और एक ड्राईवर को, जिनकी 6 मार्च, 1968 को एक भारतीय पुलिसमैन के अपहरण के आरोप में तलाश थी, 3 अप्रैल, 1968 को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ; और

(ग) उनका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 3 अप्रैल, 1968 को चीनी दूतावास के दो भारतीय कर्मचारियों, खफील अहमद नामक ड्राईवर तथा वीर बहादुर नामक एक चौकीदार, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबल घनश्याम प्रसाद को अवैध रूप से बन्द करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

Issue of orders in Hindi

8611. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of annual, quarterly, monthly, weekly or such other intervals as may be fixed by Government, instructions, orders, circulars issued by the different Ministries, Departments and offices of the Central Government, duly printed or cyclostyled that fall under the category of "General Orders" ; and

(b) the number of such "General Orders" issued only in English ; the reason for not issuing them in Hindi as well and the arrangements made to issue them according ro the provisions of the Official Language Act ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The collection of this data will involve time and labour which may not be commensurate with the results to be achieved. Administrative instructions for the implementation of provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 are being issued shortly.

Anti-National Activities of Foreign Missionaries

8612. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that some foreign Missionaries in Assam were found indulging in anti-national activities recently ; and

(b) if so, the number of foreign missionaries arrested in the country during 1968 so far and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla :
(a) Yes, Sir.

(b) None was arrested. Two were made to leave the country.

मनीपुर के लिये पृथक उच्च न्यायालय बनाने की मांग

8613. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर अधिवक्ता संघ ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि मनीपुर के वर्तमान न्यायिक आयुक्त न्यायालय जिसमें एक न्यायाधीश हैं के स्थान पर मनीपुर के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाये;

(ख) क्या उक्त ज्ञापन पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री विद्याचरण शुक्ल**) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान् ।

(ग) मणिपुर के लिये एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आसाम में केन्द्रीय सरकार के गैर-आसामी कर्मचारी

8614. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में केन्द्रीय सरकार के गैर-आसामी कर्मचारियों को आसाम सरकार, आसाम पुलिस तथा असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-आसामी सिविलियन कर्मचारियों को ही नहीं, अपितु सैनिक कर्मचारियों को भी, तंग किया जा रहा है और कई व्यक्ति बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1968 को हुए दंगों के बाद आज तक तनाव बना हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. एस. रामास्वामी) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

लचित सेना की मांगें

8615. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की लचित सेना ने यह मांग की है कि आसाम में राज्य और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में तथा सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों में 90 प्रतिशत पद आसाम के लोगों के लिये रक्षित रखे जाने चाहियें तथा देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा होना चाहिये ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि ठेकों, ऋणों, उद्योगों के लिये लाइसेन्स, व्यापार और वाणिज्य भूमि का नियतन और शिक्षा संथाम्रों में प्रवेश केवल आसामियों को दिया जाना चाहिये ;

(ग) क्या इन मांगों पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) : लचित सेना ने मांग की है कि राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में सभी रोजगार असामियों को ही दिये जाएं। उन्होंने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार स्थानीय किसानों को पर्याप्त मात्रा में भूमि देने की अवश्य व्यवस्था करें।

(ग) और (घ)

सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रही है किन्तु किसी राज्य में रोजगार-अवसरों को उस राज्य के व्यक्तियों तक ही सीमित रखने की मांग संविधान के अनुकूल नहीं होगी।

आसाम में आग

8616. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 तथा 31 मार्च, 1968 को आसाम के विभिन्न भागों में आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तथा 72 परिवार बेघर हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री के. एस. रामास्वामी) (क) और (ख) : अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार एक महिला मरी, 32 मकान तथा दो बाजार जले और 64 परिवार बेघर हो गये।

अनुमानत : 34,000 रु० की हानि हुई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एयर इण्डिया का प्रचार कार्य

8617. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स जे० वाल्टर थौम्पसन कम्पनी ने, जो एक ऐसी विज्ञापन एजेंसी है जिसमें 40 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व है, 1965-66 को समाप्त होने वाले चार वर्षों में एयर इण्डिया के प्रचार कार्य से 5,18,433.77 रुपये का कमीशन कमाया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि क्लेरियन मैककैन एडवरटाइजिंग सर्विसेज, दिल्ली ने, जो एक विदेशी विज्ञापन एजेंसी है, 1965-66 को समाप्त होने वाले दो वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रचार कार्य से 1,95,000 रुपये का कमीशन कमाया है,

(ग) सरकार उन पूर्णतः भारतीय विज्ञापन एजेंसियों को संरक्षण क्यों नहीं देती है जिनमें से बहुत सी एजेंसियां सक्षम तथा सुसंगाठत हैं जब कि सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है ; और

(घ) सरकार का विचार वर्तमान स्थिति कब तक जारी रखने का है तथा उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एयर इण्डिया तगड़े मुकाबले के क्षेत्र में कार्य करती है और उन्हें ऐसी योग्यता वाले विज्ञापन अभिकर्ताओं की जरूरत होती है जोकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मेसर्स जे० बाल्टर थौम्पसन कम्पनी लगभग तीस वर्षों से उनका विज्ञापन-कार्य सन्तोषजनक रूप से करती आ रही है, और एयर इण्डिया इसलिए इस कम्पनी की सेवाओं को जारी रखना पसन्द करेगी, विशेषतया जबकि वे विश्व में सर्वोत्तम विज्ञापन अभिकर्ताओं में से एक हैं।

'क्लैरियन मैकैन' को विदेशी सहयोग से कार्य करने वाली एक भारतीय एजेंसी समझा जाता है। उन चार क्षेत्रों में जहां कि आई० ए० सी० कार्य करती है, उनकी अपनी शाखायें हैं। तथा, यह कम्पनी कारपोरेशन को सन्तोषजनक सेवा प्रदान करती आ रही है।

सरकार का ऐसे मामलों में कारपोरेशन के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है।

ईसाई धर्म प्रचारक

8618. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृहकार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई धर्मप्रचारकों की गतिविधियों के सम्बन्ध में नियोगी तथा रेगे आयोगों के प्रतिवेदनों में उल्लिखित विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र ने मध्य प्रदेश सरकार को कोई सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या रवैया अपनाया है ; और

(ग) क्या इन दो प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिये उपयुक्त विधान बनाने के सम्बन्ध में केन्द्र का विचार राज्य सरकार को और आगे निदेश देने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) चूंकि नियोगी तथा रेगे समितियां सन् 1954 में क्रमशः तत्कालीन मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत सरकारों द्वारा नियुक्त की गई थीं इसलिये उनके प्रतिवेदनों पर पहले राज्य सरकार को विचार करना था। उन्होंने ऐसा किया भी था। ऐसा करते समय उन्होंने केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रियाएं जाननी चाहीं थीं जो उन्हें दे दी गई थीं।

इंजीनियरों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार का विरोध

8619. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा बनाने की केन्द्रीय सरकार की योजना का मद्रास सरकार ने विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उसके क्या कारण बताये हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार ने कहा है कि उनका नई अखिल भारतीय सेवाओं में जिनका निश्चित रूप से राज्याधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विषयों से सम्बन्ध है, भाग लेने का इरादा नहीं है । राज्य सरकार का उत्तर विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल अन्तर्देशीय जल मार्ग

8620. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल अन्तर्देशीय जलमार्ग सम्बन्धी कलकत्ता मैट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गनाईजेशन द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को मिल गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कलकत्ता महानगर योजना संगठन ने पश्चिम बंगाल सरकार को अंतर्देशीय जलमार्गों पर एक प्रतिवेदन दिया है । इस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि भारत सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(ख) जिन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है उनके अलावा अन्य अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रश्न में उल्लिखित प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

बेलूरघाट में हवाई अड्डा

8621. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बेलूरघाट में हवाई अड्डा है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था ; और

(ग) क्या बेलूरघाट और कलकत्ता के बीच बिमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां, बेलूरघाट में डकोटा बिमानों के परिचालन के योग्य एक हवाई अड्डा है ।

(ख) विभाजन के बाद, पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर उड़ान करने से बचने के लिए बेलूरघाट हवाई अड्डे का प्रयोग कलकत्ता और सिलीगुड़ी के बीच एक आपातकालिक हवाई अड्डे के रूप में किया गया । यह हवाई अड्डा कलकत्ता और आसाम के स्थानों के बीच एक आपात-कालिक हवाई अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय लेखकों को सहायता देने की योजना

8622. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखकों को सहायता देने की सरकार की कोई योजना है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा जिन्हें अब तक सहायता दी गई है उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) विभिन्न योजनाओं का व्यौरा देने वाला तथा जिन लेखकों को उन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी गई है उनके नाम तथा संख्या देने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1058/68**]

शान्ति सेवा

8623. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सर्वोदय लोगों की शान्ति सेवा को कोई सहायता नहीं दे रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इसे अब तक किस रूप में सहायता दी है तथा इसे क्या-क्या सफलता मिली है तथा किन-किन क्षेत्रों में ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) शान्ति सेना नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्कादीव, मिनिकौय, अमिन्दिवी द्वीप समूह, दादरा तथा नगर हवेली और पांडीचेरी में कार्य नहीं कर रही है। हरियाणा, गोवा, दमन तथा दीप की सरकारों तथा चण्डीगढ़ प्रशासन ने शान्ति सेना से आर्थिक सहायता के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं की। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

विदेशियों की गिरफ्तारी

8624. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितने विदेशियों को भारत में गिरफ्तार किया गया और वे किन-किन देशों के थे ;

(ख) उन पर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे तथा उन्हें कितनी-कितनी अवधि के लिये सजा दी गई थी ; और

(ग) उनमें से इस समय भी जेल में कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Delhi Police

8625. **Shri Ram Charan :** **Shri Deven Sen:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Police authorities have adopted a policy to recruit Constables etc. to Delhi State Police only from amongst those who are the domiciles by birth of the areas within the radius of 200 miles from Delhi border ;

(b) if so, the basis thereof ; and

(c) whether it is also a fact that the majority of the new recruits do not fulfil the requirements regarding physique and height ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. The physical standards as laid down in the rules are strictly adhered to. Relaxations are granted only in exceptional cases by the competent authority.

काश्मीरियों का मत देने का अधिकार

8626. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के ऐसे निवासियों को, जो भारत के अन्य भागों से वहां जा कर बस गये है, मत देने का अधिकार दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जम्मु और काश्मीर सरकार की राय ली गई है और यदि हां, तो उनकी क्या राय है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) संसदीय चुनाव-क्षेत्रों के लिए मतदाताओं की अर्हताएं जम्मू तथा काश्मीर में भी वही हैं जो देश के अन्य भागों में हैं। जम्मू तथा काश्मीर की विधान सभा के चुनावों के लिए मत देने का अधिकार स्थायी निवासियों तक ही सीमित हैं। इस स्थिति को बदलने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

नई दिल्ली में नेहरू विश्वविद्यालय

8627. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आरम्भ किये जाने वाले संकायों तथा कालेजों को मान्यता देने सम्बन्धी नीति के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कोई स्टाफ भर्ती किया गया है और यदि नहीं, तो उन्हें कब भर्ती किया जायेगा;

(ग) क्या इस विश्वविद्यालय के खोले जाने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी कोई कर्मचारी भर्ती नहीं किए गए हैं। उपकुलपति की नियुक्ति के बाद यह किया जायेगा।

(ग) और (घ) यद्यपि कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है, फिर भी यथाशीघ्र विश्वविद्यालय खोलने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Police Excesses in Unnao

8628. Shri Ram Charan : Shri K. D. Tripathi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item published at page two of 'Daily Milap' dated the 4th April, 1968, regarding the devastation of village by the Police in District Unnao;

(b) whether it is also a fact that all the villagers have vacated the villages of Usnai, Rambuxheda and Makwa Kheda in the Unnao district due to police atrocities;

(c) whether Policemen are raping women and minor girls in the said villages and are setting on fire the Houses and granaries;

(d) whether one woman died as a result of rape; and

(e) if so, the action taken by Government in this behalf?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e): The State Government have ordered a magisterial enquiry in the matter. Further action, if necessary will be taken after the magisterial enquiry has been completed.

Scholarship to Madhya Pradesh Students

8629. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education** be pleased to state :—

(a) the number of Madhya Pradesh students who were awarded foreign scholarships and were sent abroad during 1967-68;

(b) the number of students who had applied for such scholarships, and

(c) the number of those students among them who were selected for such scholarships?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) 12, including one, who is yet to go.

(b) 8900

(c) 478

Foreign Tourists Visiting M. P.

8630. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Tourism and Civil** Aviation be pleased to state the number of foreign tourists who visited Madhya Pradesh during 1967-68?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The Department of Tourism maintains tourist statistical figures on all-India basis and not on the basis of individual States. Hence the information on the number of foreign tourists who visited the State of Madhya Pradesh is not available.

Judges in Madhya Pradesh

8631. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the numbet of judges in Madhya Pradesh High Court is in-adequate at present according to the opinion of that High Court; and

(b) whether Government propose to increase the number of judges in view of the increasing number of cases and a large number of pending election petitions besides other pending cases?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Government are not aware of the opinion of the High Court. The State Government have been advised to review the judge-strength of the High Court in the light of institutions and disposals and to send proposals to augment the judge-strength, if necessary. No such proposals have, however, so far been received from the State Government.

विदेशियों के विरुद्ध मामले

8632. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1968 को किन किन देशों के तथा किन किन विदेशियों के विरुद्ध भारतीय न्यायालयों में मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) ऐसे विदेशियों के नाम क्या हैं जो न्यायालयों में मामले अनिर्णीत होने पर भी देश छोड़ कर चले गये; और

(ग) ऐसे मामलों में अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Examinations Conducted by Sahitya Sammelan, Prayag

8633. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Ministry of Education had received a letter from Hindi Sahitya Sammelan, Prayag (Allahabad) Sanatak Parishad—during June, 1967 for the grant of recognition to the examinations conducted by Sahitya Sammelan ; and

(b) if so, the action being taken thereon.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) Yes, Sir. A letter was received in June, 1967 from the Hindi Sahitya Sammelan (Prayag) Allahabad—Sanatak Parishad, New Delhi requesting for grant of recognition to the "Sampadan Kala Visharad" examination conducted by the Sahitya Sammelan.

(b) The correspondent was informed that only the examinations in Hindi subject are considered for grant of recognition.

भारत सरकार की समुद्र पार छात्रवृत्तियां

8634. श्री देवराव पाटिल : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनधि सूचित खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश आदिम जातियों के व्यक्तियों से भारत सरकार को विदेश जाने के लिए यात्रा अनुदान दिए जाने के कितने आवेदन पत्र मिले, और

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए तथा कितने विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं मिला था और दाखिला न मिलने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) 1967-68 के दौरान, अनसूचित जातियों, अनसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से यात्रा भत्तों के लिए नौ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) इन नौ आवेदकों में से, चार को यात्रा भत्ते स्वीकृत कर दिए गए थे। इन चार उम्मीदवारों में से एक को यात्रा अनुदान नहीं दिया गया था, क्योंकि अनुसूचित जातियों। कबीलों आदि के लिए समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अधीन, उसे छात्रवृत्ति के लिए चुन लिया गया गया था, जिसमें यात्रा खर्च भी शामिल था। बाकी के तीन उम्मीदवारों में से, जिन्हें यात्रा

अनुदान स्वीकृत किया गया है, दा को दाखिला मिल चुका है, जबकि तीसरे को दाखिले का अन्तिम रूप देना बाकी है। विद्यार्थी द्वारा दाखिला लेने के बाद ही यात्रा-अनुदान दिया जाता है।

Road Accidents in Delhi

8635. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to State :

(a) the number of road accidents which occurred within the Municipal limits of Delhi every year from 1962 to date ;

(b) the number of persons injured and killed every year as a result of these accidents ;

(c) the number of persons arrested and prosecuted every year in this connection ; and

(d) the number of persons convicted and the number of persons acquitted by the court of law from among the persons against whom prosecutions were launched ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d) : The required information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the House, when received.

Burning of C. R. P. Barracks in Shillong

8636. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that tribals had burnt some barracks of the Central Reserve Police in Shillong as reported in the "Hindustan" dated the 2nd April, 1968; and

(b) If so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) In a scuffle that followed a raid on a group of gamblers by the Assam Police in Shillong, on the 31st March, 1968, some members of a crowd shot burning arrows at certain vacant barracks, setting them ablaze. These barracks, previously occupied by the Central Reserve Police, were vacated by them in January, 1968. They did not belong to the Central Reserve Police.

(b) The Assam Police have arrested 8 persons in this connection and the case is under investigation.

Arrest of Pak Nationals

8637. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some underground Pakistani nationals were arrested in District Sultanpur, U. P. during the last week of March, 1968 as reported in the "Nav Bharat Times" dated the 1st April, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that some important documents were recovered from them; and

(c) the number of Pakistani nationals arrested and since when they are living underground in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) to (c) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Suspended Officers of I. P. S. and I. A. S.

8638. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5053 on the 20th December, 1967 and state :

(a) the reasons for suspending officers of the Indian Police Service and Officers of the Indian Administrative Service in U. P. and M. P.;

(b) the number of Officers out of the said suspended officers who still remain suspended;

(c) whether the charges levelled against them have been looked into; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a), (c) and (d): The officers were suspended because of allegations relating to misuse of office lack of integrity, embezzlement, indiscreet conduct etc. The proceedings are in progress.

(b) Three.

गोपाल सेना

8639. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोपाल सेना की संख्या अब 15,000 हो गई है और इन स्वयं सेवकों को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) केरल सरकार दलीय विचारधारा का प्रचार करने तथा केन्द्र के विरुद्ध प्रचार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी धन खर्च कर रही है और गोपाल सेना इस सम्बन्ध में मुख्य भूमिका अदा कर रही है;

(ग) क्या गोपाल सेना की गतिविधियां उस राज्य के लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता के लिए भारी खतरा बनी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार के अनुसार, दल की विचारधारा का प्रचार करने के लिए तथा केन्द्र-विरोधी प्रचार के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) स्वयंसेवी कोर की गतिविधियां नागरिक स्वतन्त्रता के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करती हैं ।

(घ) केन्द्रीय सरकार साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा संगठित स्वयंसेवी कोर की गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी रखे हुए हैं ।

साम्यवादियों का उपद्रवी दल

8640. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : **श्री प्रेमचन्द वर्मा** :
श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया हैं कि साम्यवादी दल का उग्रवादी दल चीनीलाल रक्षकों की तरह एक नया उपद्रवी दल बनायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उग्रवादियों की गतिविधियों पर सरकार कड़ी निगरानी रखे हुए है।

ऋषिकेश में महेश योगी के आश्रम को जाने वाले विदेशी

8641. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो रूसी ध्यान योग के लिए महेश योगी के आश्रय गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों से कितने व्यक्ति इस आश्रम में आ रहे है;

(ग) क्या सरकार इन विदेशियों की गतिविधियों पर दृष्टि रख रही हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आश्रम में अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, जर्मन डिमोक्रेटिक रिपबिलक, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड तथा वैस्टइंडीज के व्यक्ति आये।

(ग) और (घ) : सरकार निगरानी रख रही है और अभी तक किसी विदेशी की जासूसी गतिविधियां उसके ध्यान में नहीं आई हैं।

आन्ध्र प्रदेश के मदकशिरा लोग

8642. श्री क० लकप्पा : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के मदकशिरा लोगों तथा पंचायती लोगों ने संकल्प पारित किया है तथा सरकार से भी कहा है कि वह मैसूर राज्य में मिलना चाहते हैं; और

(ख) उन्होंने किन कारणों से मैसूर राज्य में मिलना चाहा है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेफा बाड़ी जोरहाट में 14 मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस की बेरकों में आग लगने की घटना

8643. श्री दामानी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट के निकट रौरिया में नेफाबाड़ी के स्थान पर 14 मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस जिन बैरकों में थी, उन में से कुछ बैरकें हाल में आग लगने से बिल्कुल नष्ट हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ; और

(ग) क्या शस्त्र तथा गोला बारुद भी नष्ट हो गये थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा रद्द की गई उड़ानें

8644. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा गत एक वर्ष में कितनी उड़ाने रद्द की गईं ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप एयरलाइन्स को कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1967 के दौरान 42483 उड़ानों में से विभिन्न कारणों से रद्द की गयी उड़ानों की संख्या 1847 थी जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

हड़तालें और बन्ध	382
खराब मौसम	901
अन्य परिचालन सम्बन्धी कारण	564
योग :	1847

(ख) : 1967 के दौरान हड़ताल/बंध की वजह से रद्द की गयी उड़ानों के कारण 25 लाख रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है। अन्य कारणों से होने वाली राजस्व की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये

8645. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में आसाम में कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये पकड़े गये ;

(ख) कितने घुसपैठिये पाकिस्तान को निष्कास्ति किये गये ;

(ग) आसाम में शेष रह गये पाकिस्तानी घुसपैठियों को निष्कास्ति करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी, सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता लगाने तथा निष्कासित करने तथा उनकी और घुसपैठ को रोकने के लिए उचित उपाय कर लिए गये हैं। इन उपायों में सीमा-बाहरी चौकियों को सशक्त करना, उनकी संख्या बढ़ाना एवं सीमा की गश्त कड़ी करना शामिल है।

राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली

8646. श्री अहमद आगा : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर के गठन की सामान्य रूपरेखा क्या हैं ;

(ख) क्या वही रुपरेखा जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू होती है ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से पद हैं जिन्हें सामान्यतया अन्य राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा कैंडर में रखा जाता है और जिन्हें जम्मू और काश्मीर राज्य में कैडर में नहीं रखा गया है ; और

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर में इस समय मंजूरशुदा पद कितने है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्यों में भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्गी का सामान्य निर्माण इस प्रकार का है :-

1. राज्य सरकार के आधीन वरिष्ठ पद............................क
2, केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद............................ख
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमों, 1954 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद (क और ख का 25%)............................ग
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (क+ख—ग)............................घ
5. प्रतिनियुक्त आरक्षित (घ का 20%)............................ङ
6. छुट्टी आरक्षित (घ का 11%)............................च
7. कनिष्ठ पद (घ का 20.60%)............................छ
8. प्रशिक्षण आरक्षित (घ का 10.59%)............................ज

सीधी भर्ती पद (घ+ङ+च+छ+ज)............................झ

पदोन्नति पद............................ग

कुल अधिकृत पद (झ+ग)............................ज

(ख) जम्मू व काश्मीर के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की रुपरेखा भी निम्नलिखित अन्तर के साथ वैसी ही है :—

(i) जम्मू व काश्मीर में 4-9-58 से दस वर्ष के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या वहां के वरिष्ठ पदों का 50% है जब कि अन्य राज्यों में 25% है ; तथा

(ii) जम्मू व काश्मीर के मामले में केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों की संख्या राज्य सरकार के अधीन पदों का, 33⅓ प्रतिशत है जब कि अन्य राज्यों में 40% है ।

(ग) सामान्यत: कलक्टरों के सभी पद तथा अन्य उच्चतर प्रशासनिक पद, उदाहरणतया आयुक्त, राजस्व मण्डल के सदस्य, सरकार के सचिव, राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं ।

उपसचिवों के पदों को छोड़ कर ऐसे सभी पद जम्मू व काश्मीर के संवर्ग में सम्मिलित किए गए हैं।

(घ) वर्तमान मंजूर शुदा पद 51 हैं।

S. C. & S. T. Employees in Air Corporations

8647. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation be** pleased to state :

(a) the categorywise number of employees in each region of Air India and Indian Airlines Corporation respectively at present and the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them;

(b) whether posts have been reserved for Schedule Castes and Schedule Tribes in accordance with the instruction of the Ministry of Home Affairs ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Industrial Undertakings

8648. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, districtwise which are functioning under the control of Transport Department in U. P. and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each District during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each one of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertaking in Eastern U. P. with a view to remove unemployment in the area and to bring the backward economy of Eastern U. P. at par with that of the Districts of Western U. P., and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) The information required is being collected from the Government of U. P. and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Industrial Undertakings

8649. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings Districtwise which are functioning under the control of Home Department of U. P. Government and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each District during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertaking in Eastern U. P. with a view to remove unemployment in the area and to bring the backward economy of Eastern U. P. at par with that of Western Districts of U. P.; and

(d) if so, the details thereof ?

the Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d) : Informat ion is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the House in due course.

Shramik Vidyapiths

8650. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up 10 Shramik Vidyapiths through the the medium of National Council for Educational Research and Traninig for imparting education to labourers in various parts of the country during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) if so, the amoun t proposed to be spent on each of the said Vidyapiths and the places where they would be set up ;

(c) Whether Government propose to set up a Shramik Vidypith in Uttar Pradesh with a view to bring the State at per with other States economically in view of wide-spread unemployment and backwardness in the State; and

(d) if so, when ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) The National Council of Educational Research and Traninig in cooperation with UNESCO propose ro set up about ten Shramik Vidyapiths (Polyvalent Centres) as a Pilot Project to conduct integrated courses in general education (including literacy), vocational training and social education including civic, cultural and aesthetic aspects. So far, one centre has started functioning in Bombay and another centre is proposed to be started at Durgapur. As for the rest, precise number of centres to be started will be decided according to budget provision available. Each centre is estimated to cost about Rs. 90,000/- in the first year, and Rs. 60,000/- in each of the subsequent years.

(c) and (d) The question of location of the rest of the centres has not yet been considered.

दिल्ली में बिक्री कर न्यायाधिकरण

8651. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिक्री कर न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ;

होटल उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

7652. **श्री न० कु० सांघी** : **श्री वि० ना० शास्त्री** :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल उद्योग संघ के प्रधान ने सुझाव दिया है कि होटल उद्योग के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाये तथा पर्यटकों को बेची जाने वाली विदेशी शराब पर उत्पादन शुल्क तथा अन्य शुल्क घटाकर राज-सहायता दी जाये ; और

(ख) क्या विभिन्न स्तर श्रेणी के होटलों तथा बोर्डिंगहाऊसों में दरों के ढांचे का युक्तिकरण करने की सरकार की कोई योजना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां मन्त्री :

(ख) होटलों का वर्गीकरण और रेस्टोरैन्टों का अनुमोदन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा स्थापित होटल पुनरालोकन व सर्वेक्षण समिति को स्टार प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत होटलों

द्वारा ली जाने वाली दरों का पुनरालोकन करने को कहा गया है ताकि प्रत्येक वर्ग के होटलों की दरों के मानकीकरण के लिए एक युक्तिसंगत प्रणाली निर्धारित की जा सके।

भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था

8653. श्री अनिरुद्धन : **श्री उमानाथ :**
श्री चक्रपाणि : **श्री नम्बियार :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 29 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया फाउन्डेशन द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था की किन किन परियोजनाओं को धन दिया गया है और प्रत्येक परियोजना को कितना कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितने विदेशी कर्मचारी हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

जम्मू तथा काश्मीर में निवारक निरोध अधिनियम

8654. श्री अ० क० गोपालन : **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **गृह-कार्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में जनवरी, 1968 में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) उन्हें गिरफ्तार करने के कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1968 में कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया। तथापि दिसम्बर, 1967 में 63 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार तथा जम्मू तथा काश्मीर निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये ताकि सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के विपरीत कार्य करने से उन्हें रोका जा सके। अब इन सब को छोड़ दिया गया है।

श्रमजीवी कलाकारों के लिये सामग्री

8655. श्री अ० क० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री गणेश घोष :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में भारत में श्रमजीवी कलाकारों में वितरण करने के लिये ललित कला अकादमी ने कुल कितनी राशि की सामग्री का आयात किया था।

(ख) इसमें से पश्चिमी बंगाल में कितनी भेजी ।

(ग) इस प्रकार की सामग्री को किस प्रकार बाँटा गया है, और

(घ) उसके दुरुपयोग के विरुद्ध क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 के दौरान, भारत में श्रमजीवी कलाकारों में वितरण के लिए अकादमी द्वारा आयात की गई कलात्मक सामग्री का कुल मूल्य इस प्रकार है :

1965-66	20,899.63	रुपये
1966-67	17,380.31	रुपये

(ख) उपर्युक्त राशि में से, पश्चिमी बंगाल को भेजी गई सामग्री इस प्रकार है :

1965-66	2294.80	रुपये
1966-67	2139.64	रुपये

(ग) सामग्री राज्य अकादमियों और जहाँ कहीं राज्य अकादमियाँ नहीं हैं, वहाँ राज्य अकादमियों द्वारा मान्यता-प्राप्त सुस्थापित कला संगठनों के जरिए वितरित की जाती है । इस प्रयोजन के लिए देश को निम्नलिखित चार क्षेत्रों में बाँटा गया है :—

(1) **उत्तरी** : इसमें राजस्थान, और हरियाणा सहित पंजाब हिमालय प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है । दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी चारों केन्द्रों में, राज्य अकादमियां हैं और सामग्री इन्हीं के जरिए विपरीत की जाती है । दिल्ली में, वितरण, अखिल भारत ललित कला तथा शिल्प सोसायटी और दिल्ली शिल्पी चक्र द्वारा तथा कुछ मामलों में अकादमी द्वारा सीधे ही किया जाता है ।

(2) **दक्षिणी** : इसमें आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल शामिल हैं । इन सभी राज्यों में राज्य अकादमियाँ विद्यमान हैं और सामग्री का वितरण इन्हीं के जरिए किया जाता हैं ।

(3) **पूर्वी** : इसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम तथा नागालैंड शामिल हैं । क्यों कि पश्चिमी बंगाल में राज्य अकादमी हाल ही में स्थापित हुई है, इसलिए पश्चिमी बंगाल तथा नागालैंड में कलाकारों के उपयोग की सामग्री, ललित कला अकादमी, कलकत्ता द्वारा वितरीत की जाती रही है । उड़ीसा और असम में सम्बन्धित राज्य अकादमियों के जरिए सामग्री वितरीत की जाती है ।

(4) **पश्चिमी** : इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोआ शामिल हैं और इसलिए महाराष्ट्र और गोआ में सामग्री बम्बई कला सोसायटी बम्बई के जरिए बाँटी जाती हैं, जो उस क्षेत्र में पुरातन कला संगठनों में से एक है । गुजरात और मध्य प्रदेश में, जहाँ राज्य अकादमियाँ हैं, सामग्री उनके जरिए बाँटी जाती है ।

क्षेत्रों के अन्तर्गत, प्रत्येक वितरण केन्द्र को अभ्यासी कलाकारों की माँगों के आधार पर कूती गई आवश्यकताओं के अनुपात में तथा साथ ही अकादमी के पास उपलब्ध भण्डार को देखते हुए कोटा नियत किया जाता है । कोटा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वितरण केन्द्र से प्रार्थना की जाती है कि वे न केवल अपने सदस्यों में बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों के कलाकारों के बीच भी पर्याप्त प्रचार करें और अकादमी द्वारा निर्धारित फार्मों में उनके आवेदन-पत्र प्राप्त करें

प्रत्येक वितरण केन्द्र से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अकादमी द्वारा स्थिति की समीक्षा की जाती है और उपर्युक्त पद्धति के अनुसार नियतन निर्धारित किये जाते हैं। अकादमी द्वारा प्रत्येक नए आयात पर, सभी वितरण केन्द्रों को एक परिपत्र भेजा जाता है जिसके साथ बिक्री के लिए उपलब्ध सामग्री तथा अकादमी द्वारा निर्धारित मूल्यों की एक प्रति भी भेजी जाती है।

वितरण केन्द्रों के जरिए सामग्री इस शर्तों पर वितरित की जाती है कि वे सामग्री के वितरण का उचित लेखा-जोखा तथा साथ ही कलाकारों द्वारा हस्ताक्षरित रसीदें प्रस्तुत करें। पहले विवरण के सम्बन्ध में अकादमी की आवश्यकताओं की पूर्ति होने तक किसी वितरण केन्द्र को कोई और सामग्री नहीं दी जाती है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित सामग्री का लाभ अधिकतम कलाकारों को प्राप्त हो, आकादमी द्वारा प्रत्येक कलाकार के लिए 200/- रु० तक की सीमा निश्चित की गई है। अकादमी, महापरिषद के अपने कलाकार-सदस्यों को सामग्री सीधे ही वितरित करती है।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (ग) में बताया गया हैं, वितरण केन्द्र के जरिए नई सामग्री तब तक वितरित नहीं की जाती है जब तक कि अकादमी को पहले वितरण के ब्यौरे तथा कलाकारों की रसीदें प्राप्त नहीं हो जाती हैं। अकादमी किसी कलाकार को तब तक आयातित सामग्री नहीं बेचती है जब तक कि उसके आवेदन-पत्र पर सम्बन्धित क्षेत्र के वितरण केन्द्र द्वारा सिफारिश न की गई हो।। नई सामग्री के आने की घोषणा करते समय, सभी अकादमियों, मान्यता प्राप्त कला संगठनों को बिक्री के लिए उपलब्ध सामग्री तथा मूल्य सूची की एक-एक प्रति भेजी जाती है। प्रत्येक वितरण केन्द्र की अकादमी द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार सामग्री की लागत, तथा स्थानीय कलाकारों के मामले में 5 प्रति की दर से तथा बाहरी कलाकारों के मामलों में 10 प्रतिशत की बिक्री कर एकत्रित करना होता है।

आसाम के कोयले से गन्धक निकालना

8656. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट की क्षेत्रीय अनुसंधानशाला आसाम के कोयले से अमिश्रित गन्धक (एलामेंटल सल्फर) निकालने की एक व्यापारिक विधि निकालने में सफल हो गई है ;

(ख) यदि इस नई विधि को पूरी तरह से प्रयोग में लाया गया तो क्या देश के लिये पर्याप्त मात्रा में गन्धक उपलब्ध हो सकेगी ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कोयले से गन्धक निकालने के लिये कोई केन्द्रीय योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने असम कोयला से यौगिकों के रूप में गन्धक प्राप्त करने के लिये प्रयोगशाला प्रक्रियाएं तैयार की हैं। विस्तृत खान परीक्षण अभी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस्पात, खान और धातु मन्त्रालय (खान और धातु विभाग) द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में साथ-साथ यह सिफारिश की है कि कोयला पर

आधारित खाद प्रायोजना कोयले के पूर्ण गैसीकरण के साथ उप उत्पाद गंधक की प्राप्ति की विस्तृत योजना कोयला बोर्ड द्वारा तैयार की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट फर्टिलाइजर कोरपोरेशन आफ इण्डिया और क्षेत्र में परामर्शदात्री फर्मों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

भारती ं विधान

8657. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कर्त्ताओं में से एक हस्ताक्षर कर्त्ता शेख अब्दुल्ला भी था ; और

(ख) यदि हां तो उसने उस पर भारतीय नागरिक होने के रूप में हस्ताक्षर किए थे ;

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

नेफा के आदिम जाति के लोगों द्वारा विद्रोही नागाओं की सहायता

8658. श्री म० ला० सोंधी : श्री चित्तीबाबू :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली हैं जिनमें बताया गया है कि नेफा की आदिम जातियों के कुछ लोग विद्रोही नागाओं के गलत कामों में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Linguistic Minorities in Punjab

8659. Shri Ramavatar Sharma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made adequate arrangements to safeguard the interests of the linguistic minorities in Punjab ;

(b) if so, the details thereof : and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) In addition to the various Constitutional provisions in this behalf, the Commissioner for Linguistic Minorities is also required to investigate all matters relating to the safeguards assured to the linguistic minorities.

(c) Does not arise.

दिल्ली में जौक का मकबरा

8660. श्री नीतिराजसिंह चौधरी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरपुरी दिल्ली में अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के उस्ताद तथा उर्दू के महान् शायर जौक के मकबरे को सार्वजनिक शौचालय में परिवर्तित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री शेर सिंह): (क) और (ख) : मन्त्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मकबरा केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है।

दिल्ली की अधीनस्थ कार्यकारी सेवा

8661. श्री निहाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियम, 1967 के प्रवंतन के पश्चात् दिल्ली प्रशासन की अधीनस्थ कार्यकारी सेवा के ग्रेड 2 के कितने अधिकारियों की पदोन्नतियां की गई हैं ;

(ख) दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियम, 1967 के लागू किये जाने के पहले दिल्ली प्रशासन की अधीनस्थ कार्यकारी सेवा के ग्रेड 2 के कितने अधिकारी तदर्थ आधार पर ग्रेड 1 के पदों पर पदोन्नत किये गये थे और जो अब भी उन्ही पदों पर काम कर रहे हैं ; और

(ग) दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियम, 1967 के प्रवर्तन के बाद दिल्ली प्रशासन की अधीनस्थ कार्यकारी सेवा के ग्रेड 2 के कितने अधिकारी (ड्यूटी पदो) तथा 'नान ड्यूटी पदों' पर, अलग-अलग, नियमित किये गये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कुछ नहीं।

(ख) 28.

(ग) जबकि ड्यूटी पदों पर कोई अधिकारी नियमित नहीं किया गया है, 'नान ड्यूटी पदों पर दो अधिकारीं उद्योग अधिकारीयों के रूप में नियमित किये गये हैं।

Indian Shipping Industry

8662. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the place of India among advanced countries of the world in the matter of shipping ; and

(b) the steps taken by Government to implement the suggestions put forth recently by the Chairman of the Shipping Board for developing the shipping industry ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The place of India amongst advanced maritime countries is 17.

(b) No specific suggestions have been put forth recently by the Chairman, National Shipping Board, for developing the shipping industry and the question of Government implementing these suggestions does not therefore arise.

Bridge over Jamuna at Mathura

8663. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the amount spent on the construction of a bridge over the river Jamuna in District Mathura, Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that toll tax of 75 paise per round is charged from every bus, bullockcart, tonga that pass over that bridge and from every bus passenger 25 paise over and above his bus-fare ;

(c) if so, the reasons therefor and whether this bridge has been constructed by some private person or by Government ;

(d) the amount of money recovered so far as toll-tax during the last five years and the action taken by Government to abolish this tax ; and

(e) the number of other bridges in Uttar Pradesh where such tax is realised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e) : The information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Play-Grounds in Schools in Delhi

8664. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Schools and Colleges in Delhi which do not have any play-grounds for playing hockey and football ;

(b) whether Government have under consideration any scheme to provide play-grounds for children in the old and new colonies of Delhi ;

(c) if so, the particulars thereof ; and

(d) whether the Central Government and the Delhi Administration have received any suggestions in this regard and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d) : The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Demand for a Separate Muslims' Majority Area in U. P.

8665. Shri Hardayal Devgun : Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a public meeting in Karnalganj, Uttar Pradesh, the President of the Uttar Pradesh Majlis-e-Mashwarat, Dr. A. J. Faridi, demanded a separate Muslim's Majority area for the Muslims of the State ;

(b) if so, whether Government have taken any action against him ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) Facts are being ascertained from the State Government.

Hindi Teachers in Madras

8666. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4739 on the 22nd March, 1968 and state :

(a) Whether it is a fact that Hindi Teachers have not been appointed in Madras State and the amounts earmarked for the appointment of Hindi Teachers in 1966-67 and 1967-68 were not utilised and have been surrendered ; and

(b) if so, the reasons advanced by the State Government for not making appointments of Hindi Teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) No, Sir. During 1966-67, the Madras Government had appointed 120 Hindi Teachers and received a grant of Rs. 90,000 from the Central Government. The actual expenditure incurred was Rs. 97,814. The State Government has now intimated that an expenditure of Rs. 1,80,500 is estimated to have been incurred in 1967-68 on the continuance of the teachers appointed during the previous year and those appointed during 1967-68. The State Government has accordingly asked for a grant of Rs. 1,80,500 for 1967-68 which will be considered for sanction in due course.

संसत्सदस्यों तथा विधायकों के साथ व्यवहार करने सम्बन्धी आचार संहिता

8667. श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसत्सदस्यों और विधायकों के साथ व्यवहार करने सम्बन्धी आचार संहिता के बारे में केन्द्र और राज्यों दोनों के सभी अधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या-क्या हिदायतें जारी की गई हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अगस्त, 1957 में भारत सरकार के सभी अधिकारियों को संसद सदस्यों के साथ शिष्ट व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए आदेश जारी किए गये थे। अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 1059/68]**

उपरोक्त अनुदेशों के अतिरिक्त संसद सदस्यों व विधायकों तथा प्रशासन (केन्द्र और राज्य दोनों) के बीच सम्बन्ध को नियमित करने के लिये एक संहिता का प्रारुप भी विचाराधीन है । 24-8-1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 630 की आश्वासन-पूर्ति के सम्बन्ध में 21-3-67 को सदन के सभा-पटल पर संहिता के प्रारूप की एक प्रतिलिपि रखी गई ।

शेख अब्दुल्ला

8668. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला तथा उसके समर्थकों से दूसरी बार बातचीत करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों में किस प्रकार के विशेष मामलों पर बातचीत होगी ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्राव चव्हाण) : (क) और (ख) शेख अब्दुल्ला से बातचीत के लिये सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

मंगलौर पतन

8669. श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : श्री क० लकप्पा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में सभी मौसमों वाला एक बड़ा पतन बनाने का काम इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या इस क्षेत्र से हटाये गये लोगों को पुनर्वास तथा अन्य प्रतिकर के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मंगलौर पतन परियोजना से संबद्ध समस्त प्राथमिक निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं। कुछ समुद्रीकार्य अर्थात पतन क्षेत्र की खुदाई और पनकट दीवार के एक भाग का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ।

(ख) और (ग) : जिन व्यक्तियों की भूमि प्राप्त कर ली गई है उनसे प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं—पुनर्वास तथा ली गई भूमि के मुआवजे के बारे में ।

जहां तक पुनर्वास का संबंध है, प्राप्त प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। क्योंकि यह उनका विषय है हटाये हुये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपायों में ये हैं, बगैर लागत के मकान की जगहो का आवंटन, बगैर लागत के इमारती सामग्री का हटाया जान और परिवहन करना, अनुग्रहपूर्वक अदायगी, 'चलगेनी', किरायेदारों को तीन वर्षों का किराया दिया जाना, सामुदायिक सुविधाओं जैसे कुँये, बाजार स्थान, सड़क, स्कूल और पूजास्थानों की व्यवस्था करना।

जहां तक प्राप्त भूमि के लिये मुआवजा देने का सम्बन्ध हैं, यह राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास उपलब्ध बिक्री आकड़ों के आधार पर उनके द्वारा और भूमि अवाप्ति अधिनियम के अधीन मामलों के निपटाने में अदालत द्वारा मुआवजा तय किया जाता है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रश्न पत्रों का मालूम हो जाना

8670. श्री गणेश : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दिगलीपुर सीनियर बेसिक स्कूल की सीनियर बेसिक कक्षाओं की अन्तिम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले ही मालूम हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। सीनियर बेसिक स्कूल, डिगलीपुर की कक्षा आठ की केन्द्रीकृत परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही मालूम हो गये थे ;

(ख) दफ्तर के कमरे में रखे हुए प्रश्न पत्र कमरे की चटखनी हटा कर चुराए गये थे; और

(ग) पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 457/480 के अधीन मामला दंज कर लिया है। दोषी को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा तफतीश और विभागीय जांच की जा रही है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इमारत में आग लगना

8671. श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री धीरेन्द्र नाथदेव :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रेल, 1968 के पहले सप्ताह में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की इमारत में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मूल्य की क्षति हुई थी ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ। एक कमरे में आग लग गयी थी।

(ख) से (घ) : मामले की जांच की जा रही है ।

जहाजरानी सेवायें

8672. श्री वेदव्रत बरुआ : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न भागों की जहाजरानी सेवाओं के अधिकारियों के वेतन-मानों और भत्तों के प्रश्न पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, कांडला, विशाखापटनम, मारमोगाव और पारादीप के बड़े पत्तनों की समुद्री सेवाओं के अधिकारियों के वेतन मान और भत्ते के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्ति की गई है ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय ये हैं, सन्दर्भित बड़े पत्तनों की समुद्री सेवा के अधिकारियों के वेतन मान और भत्ते के बारे में जांच करना तथा सिफारिशें करना ।

सैन्य शिक्षा में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

8673. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **शिक्षा** मन्त्री 20 अप्रेल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन धिश्वविद्यालयों तथा तदनुरूप विभागों के क्या नाम हैं जिनमें सैन्य शिक्षा की व्यवस्था है, और

(ख) इनमें से प्रत्येक के द्वारा इस बारे में अपनाये जाने वाले पाठ्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री डा० त्रिगुण सेन : (क) इलाहाबाद, गोरखपुर और पूना के विश्वविद्यालयों में सैनिक विज्ञान विभागों द्वारा सैनिक विज्ञान के अध्ययन के लिये सुविधाएं दी जा रही हैं ।

निम्न विश्वविद्यालयों के कुछ सम्बद्ध कालिजों में इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं :-

1. आगरा	7. पंजाब
2. गोरखपुर	8. पंजाबी
3. इन्दौर	9. पूना
4. जबलपुर	10. रांची
5. जिवाजी	11. कलकत्ता
6. मेरठ	

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1060/68**]

Amenities for Tourists in Rajasthan

8674. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the details of the schemes for providing tourist amenities in Rajasthan and the total amount likely to be spent next year on this account ;

(b) the transport and catering facilities provided to the tourists at various places of historical and scenical importance in Rajasthan like Udaipur, Chittor, Ralakpur, Jaisalmer, Jodhpur, Abu, Ajmer, Jaisamund, Ram Samund, Haldighati and Mandor ;

(c) whether it is a fact that there are neither lodging facilities nor any hotel at Chittor ; and

(d) if so, the steps taken to remove this hardship ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Government of Rajasthan has so far not intimated details of tourism schemes to be taken up during 1968-69. A provision of Rs. 1 lakh has been made for the development of tourist facilities in Jaipur-Bharatpur-Deeg area under Part I and an allocation of Rs. 10.50 lakhs has been made for Part II schemes during 1968-69.

(b) During the Second and Third Plan periods board and lodging facilities were provided at the following places in Rajasthan :—

1. Rest House at Bharatpur.
2. Improvements to rest house at Siliserh.
3. Tourist Bungalow (Class II) at Jaipur.
4. Tourist Bungalow (Class II) at Udaipur.
5. Tourist Bungalow (Class II) at Mt. Abu.
6. Canteen in the fort at Chittorgarh.

Provision of transport facilities is the responsibility of the State Government. No funds have, therefore, been provided for this purpose.

(c) and (d) There is a large volume of traffic to Chittor but this primarily consists of home tourists for whom more medium priced accommodation needs to be provided.

Accommodation is available at :

1. Tourist Rest House
2. P.W.D. Dak Bungalow
3. Irrigation Deptt. Dak Bungalow

Besides, there are Indian style hotels and dharamshalas in Chittorgarh.

An amount of Rs. 50,000/- has been provided in Part II of the Annual Plan for 1968-69 for carrying out improvements to the Government sarai at Chittorgarh.

अखिल भारतीय सेवाएं

8675. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी तथा किस श्रेणी की सेवाओं को हाल में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में स्वीकृति तथा मान्यता दी गई है और किस श्रेणी की सेवाओं को अभी तक अखिल भारतीय सेवाएं नहीं बनाया गया है ;

(ख) अन्य सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं बनाने में देरी के क्या कारण हैं इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में कितना समये लगेगा ; और

(ग) क्या कृषि स्नातकों तथा वैज्ञानिकों की सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हाल में अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में संशोधन करके निम्नलिखित अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की व्यवस्था की गई है :-

1. इंजनियरों की भारती सेवा (सिंचाई, शक्ति भवन तथा सड़क) ;
2. भारतीय वन सेवा ;
3. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा ।

इनमें से भारतीय वन सेवा का गठन पहले ही 1-7.1966 से हो चुका है । अन्य दो के गठन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के सम्बन्ध मे नियम तथा विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों से सलाह लेने तथा संघ लोक सेवा आयोग की राय लेने पर ही बनाये जाते हैं । राज्यों से सलाह लेने की प्रणाली में समय लगता है क्यों कि राज्य सरकारें अपने वित्त विभाग समेत सम्बन्धित विभागों में प्रारूप नियमों पर विचार किए जाने के उपरान्त ही अपना दृस्टिकोण बना सकती हैं प्रारूप नियम विभिन्न राज्य सरकारों के विचारों के साथ तब संघ लोक सेवा आयोग को उसकी राय के लिये भेजे जाते हैं । ये सारी औपचारिकताएं पूरी होने पर ही आवश्यक नियम अधिसूचित किये जासकते हैं तथा सेवा के निर्माण के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है ।

इस हालत में यह बताना कठिन है कि इन नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने में कितना समय लगेगा ।

(ग) जी नहीं । भारतीय शिक्षा सेवा तथा भारतीय कृषि सेवा को बनाने के सम्बन्ध में मार्च, 1965 में राज्य सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 312 के आधीन एक संकलप पारित किया गया था । तथापि इन दो सेवाओं के निर्माण की व्यवस्था के लिये अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 को अभी संशोधित नहीं किया गया है ।

हवाई अड्डों पर राडार

8676. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ हवाई अड्डों पर, हवाई मार्गों पर निगरानी रखने के लिये कुछ शक्तिशाली राडार लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में व्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के हवाई अड्डों पर लोंग रेंज एयर रूट सर्वेलैंस राडार (ए० आर० एस० आर०) लगाने का प्रस्ताव है ।

काबली ऋण दाता

8677. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में काबुली लोग ऋण देने का कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने विदेशी इस देश में ऋण देने का कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार काबुली ऋण दाताओं के व्यापार को बन्द करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : विभिन्न राज्यों में लागू ऋण लेन-देन के अधिनियमों द्वारा पाबन्दियों के अतिरिक्त ऋण लेन-देन के वर्तमान व्यापार को बढ़ाने तथा नया व्यापार आरम्भ करने को निरुत्साह किया जाता है। इस उद्देश्य के लिये अफगान राष्ट्रकों का भारत में प्रवेश करना तथा ठहरना विदेशियों से सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत नियमित किया जाता है।

सीमा क्षेत्रों में मुसलमानों को पहचान-पत्र देना

8678. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को पहचान-पत्र जारी करने के बारे विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसे पहचान पत्र जारी किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो किन से ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) 29 फरवरी, 1968 को हुई गृह-मंत्रालय के लिये अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक में सीमा क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को पहचान-पत्र जारी करने के लिये एक सुझाव दिया गया था ताकि पुलिस उनके साथ किसी प्रकार से विदेशियों जैसा व्यवहार न करें। यह मामला विचाराधीन है।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन के बोर्डों के सदस्य

8679. श्री जुगल मण्डल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के बोर्डों में जो सदस्य हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों की क्या योग्यताऐं हैं और उनकी नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति यदि कोई हो तो किन तिथियों से हैं ; और

(ग) उनकी उपलब्धियां क्या हैं तथा उन्हें क्या कार्य करना होता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1061/68**]

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी किस्म के उग्रवादी

8680. श्री मुहम्मद इमाम: **श्री मत्तुस्वामा** :
श्री गाडिलिगन गौड :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री काकुलम और आन्ध्र प्रदेश के अन्य जिलों में नक्सलबाड़ी किस्म का उग्रवादी दल सक्रिया है;

(ख) क्या श्री काकुलम के विभिन्न भागों में तेलगु भाषा में माओ की विचारधारा सम्बन्धी पुस्तिकायें और माओ के चित्र निर्बाध रूप से बांटे और प्रदर्शित किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस नवीन गतिविधि की ओर ध्यान दिया है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवायी करने का विचार है तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 26 मार्च, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5687 के भाग (क) तथा (ख) के दिये गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रयाप्त व्यवस्था कर ली गई है।

भारतीय प्रशासनिक सीमान्त सेवा का भारतीय विदेश सेवा में विलय

8681. श्री गार्डिलिगन गौड : श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री मुहम्मद हमाम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा का भारतीय विदेश सेवा में विलय करने की योजना बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां तो क्या उस योजना को स्थगित कर दिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें

8682. श्री क० लकप्पा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत-सी गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं व्यापार केन्द्र बन गई हैं और संस्थाओं के नाम पर लोगों से पैसा लूट कर मुनाफा कमा रही हैं; और

(ख) सभी गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं में लाभ कमाने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) और (ख) : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अक्तूबर, 1964 में हुई अपनी बैठक में इस मामले को सरकार की जानकारी में लाया था और सिफारिश की थी कि :

"राज्य सरकारों को चाहिए कि अनधिकृत लोगों को संस्थाएं स्थापित करने, परीक्षाएं लेने, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र देने और विश्वविद्यालयों, उप कुलपतियों आदि जैसे नाम रखने से रोकने के लिए कानून बनाने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई करें। बोर्ड ने सुझाव दिया है

कि भारत सरकार इस काम के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार करे जो राज्य सरकारों के लिए आदर्श बन सके। विधेयक में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी गैर-सरकारी पार्टी शिक्षा संस्था शुरू करने से पूर्व सरकार से ऐसा करने के लिए अनुमति प्राप्त करे।

विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे किसी कालिज को मान्यता देने या संबद्ध करने से पूर्व इस बात की तसल्ली कर लें कि निजी संस्थाओं के व्यवस्थापिकों के पास उचित स्तर स्थापित करने और उसके रख-रखाव के लिए उनके पास पर्याप्त साधन हैं। यदि कोई संस्था व्यावसायिक आधार पर काम करती पाई जाए और अनैतिक आचरण की दोषी पाई जाए तो विश्वविद्यालयों को चाहिए कि ऐसी संस्थाओं को संबद्ध नहीं रहने दें।"

शिक्षा मंत्रालय ने उक्त सिफारिशों को राज्य सरकारों के संघ क्षेत्रों में घुमाया और ऐसी संस्थाओं के क्रिया-कलाप को नियमित और नियंत्रित बनाने के लिए एक आदर्श विधेयक भी भेजा। मद्रास सरकार ने पहले ही इस उपाय को अधिनियम का रूप दे दिया है और यह मामला अन्य राज्य सरकारों के विचाराधीन है। जहां तक संघ क्षेत्रों का संबंध है मणिपुर प्रशासन ने भी इस उपाय को विधिक रूप दे दिया है। अन्य संघीय क्षेत्रों (जिनकी अपनी विधान सभाएं नहीं हैं) जिनमें दिल्ली भी शामिल है के लिए उपायों को कानूनी रूप देना विचाराधीन है। इस काम के लिए इस समय विधि मंत्रालय में एक विधेयक की जांच की जा रही है।

Remission of Prison Sentences on Gandhi Birth Centenary

8683. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant remission to prisoners on the occasion of Gandhi Birth Centenary and whether Sarvodaya Leaders have requested for the grant of such remission on this occasion ;

(b) whether Sarvodaya Leaders have also requested the Central Government to release dacoits and withdraw cases against them ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) : The National Committee for Gandhi Centenary have requested Government to consider the question of grant of remission of sentences of imprisonment to prisoners, on the occasion of the Gandhi Birth Centenary. Jails being a State Subject, this request has been forwarded to State Governments etc. for their consideration. No proposal has been received from Sarvodaya leaders in this connection.

'विश्व वीर' नामक भारतीय मालवाहक जहाज में आग लगना

8684. श्री चित्ति बाबू : श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मालवाहक जहाज 'विश्व वीर" में 5 अप्रैल, 1968 को बैंकक में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 25000 रुपये से अधिक मूल्य का पटसन का सामान तथा पशुओं की खालें जल गई थी; और

(ग) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) एम० वी० "विश्व वीर" के स्टार बोर्ड गहरी टंकी संख्या 4 में 5 अप्रैल, 1968 को अग्नि दिखाई दी उस समय उसमें बजरे से जूट की गाँठें लादी जा रही थीं। अग्नि काण्ड के कारण और आग बुझाने के लिए डाले गये पानी के भर जाने के कारण क्षतिग्रस्त माल की निम्न मात्राएं जहाज के चलने से पहले बैंकाक में उतारी गयीं :—

जूट	......	......	1500 गांठें
कापोक	......	......	200 गांठें
इमारती लकड़ी	......	......	235 बण्डल

अन्य माल को यदि कोई क्षति हुई तो उसका पता पक्की तौर पर जापान में माल उतारने वाले पत्तन पर लगेगा। माल को हुई क्षति का रुपयों में मूल्यांकन अभी किया जाना है। अग्नि-कांड के कारण की जाँच की जा रही हैं।

केरल बन्दरगाहों के लिए ड्रेजर

8685. श्री चित्ति बाबू : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने पहले ड्रेजर का छोटी बन्दरगाहों में प्रयोग के लिए केरल में जलावतरण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ड्रेजर पर कितनी लागत आई है; और

(ग) इसे किस जहाज बनाने के कारखाने में बनाया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) केरल सरकार को उनके लघुपत्तनों में इस्तेमाल करने के लिए लगभग 24, 10 लाख रुपये की लागत से मेसर्स आई० एच० सी० हालैण्ड के सहयोग से मैसर्स ब्रन्टन एंड कम्पनी ने अपने कोचीन यार्ड में एक 12" कटर सकशन ड्रेजर बनाया है। ड्रेजर की परीक्षा 29 अप्रैल, 1968 को प्रारम्भ की जायेगी। भारत में बनने वाला यह पहला ड्रेजर नहीं है क्योंकि पहले भी विदेशी कम्पनियों के सहयोग से देश में ड्रेजर बनाये जा चुके हैं।

चक्रवात (साइक्लोन) चेतावनी केन्द्र, मद्रास

8686. श्री चित्तिबाबू : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में चक्रवात चेतावनी केन्द्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कब;

(ख) इस योजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए सरकार को किसी देश से कोई सहायता मिल रही या मिलेगी और यदि हाँ, तो किस देश से; और

(घ) इस केन्द्र में स्थापित होने वाली राडार व्यवस्था की कितनी क्षमता होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : मद्रास में एक चक्रवात चेतावनी एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए तथा भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रतटों पर विभिन्न स्टेशनों में तूफान चेतावनी विषयक राडारों की स्थापना के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की चौथी योजना के मसौदे में एक स्कीम सम्मिलित की गई थी। परन्तु अभी तक फण्ड न उपलब्ध हो सकने के कारण इस पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। आधुनिकतम मूल्यांकन के अनुसार, चार वर्ष की अवधि में स्कीम पर कुल 240.67 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं, इस स्कीम के लिए नहीं।

(घ) राडार का परास (रेंज) 400 किलोमीटर है।

हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में चोरी

8687. श्री ही० ना० मुकर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हैदराबाद के 'एंटी करप्शन" नामक साप्ताहिक पत्र में जनवरी 1968 में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय से कुछ वस्तुओं की कथित चोरी से सम्बन्धित कुछ लेखकों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त लेखों में अजायबघर के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की जांच कर ली गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सालारजंग संग्रहालय से वस्तुओं के खोने का मामला स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दिया गया था। अभी हाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संग्रहालय के दो कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई करने का सुझाव दिया है। अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में इस संबंध में कारवाई करने के लिए सालारजंग संग्रहालय बोर्ड को कहा जा रहा है। सालारजंग संग्रहालय बोर्ड ने निदेशक तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जाँच के लिए एक उच्च अधिकार युक्त समिति की नियुक्ति की। समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरोप. निदेशक और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध दोषारोपण के रूप में नहीं थे किन्तु नियमों की कुछ कमियों को प्रशासन की जानकारी में लाने के रूप में थे। मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बोर्ड ने नियमों के पुनरीक्षण के लिए एक उप समिति नियुक्त की है और इन व्यवस्थाओं को सुसंगठित बनाने के लिए एक पूर्णकालिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

अजन्ता-एलौरा के भित्ति चित्र

8688. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1968 के "इण्डिया एण्ड वर्ल्ड इवेन्ट्स" (दिल्ली) में "अजन्ता-एलौरा फ्रेसकोज आन दि वर्ज आफ रूइन" (अजन्ता-एलौरा के भित्ति चित्र नष्ट होते जा रहे हैं) नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत सभी संग्रहालयों की दशा परिक्षण के उपायों, अनुसंधान कार्य, पहरा और निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था आदि की कमी के कारण थोड़ी बहुत खराब हो रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं, (ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अधीन सभी स्थल संग्रहालयों में प्रदर्शनीय वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। फिर भी वहां सुसंगठित आधार पर अनुसंधान कार्य चलाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। किन्तु व्यक्तिशः अध्येयता की प्रार्थना पर पुरावस्तुओं के अध्ययन, उनके फोटोग्राफ लेने आदि के लिए सभी सम्भव सुविधाएं दी जाती हैं सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध निधियों की सीमा के भीतर सम्भव देखरेख की अच्छी से अच्छी व्यवस्था संग्रहालयों में की जाती है। यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का काम जब कभी पर्याप्त निधियां उपलब्ध होंगी किया जा सकेगा।

भारत सरकार के सचिव

8689. श्री लोबो प्रभु : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के ऐसे सचिवों की कुल संख्या कितनी कितनी है जो 4000 रुपये के वेतनाम और भारतीय प्रशासन सेवा के वेतन मान में है;

(ख) यदि ये पद वारिष्ठता के आधार पर नहीं भरे हैं तो इन पदों पर पदाधिकारियों का चयन किस आधार पर किया जाता हैं;

(ग) क्या इन पदों का चयन संघ लोक सेवा के आधार पर छोड़ने का सरकार का विचार है;

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार ने इस नियम की अवहेलना की है कि सचिवालयों में तीन अथवा पांच वर्ष की सेवा के बाद अधिकारियों को बदला जाये और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकारियों को बदलने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 4000 रुपये प्रति माह पाने वाले सचिव

(विशेष सचिवों समेत)	....	....	34
3, 500 रुपये प्रति माह	......	....	8

(ख) सचिवों के पद उपयुक्त अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं :

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। क्योंकि सरकार के सचिवों समेत वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को भरने की योजना पहले ही संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेकर बनाई गई है।

(घ) वह नियम जो विभिन्न सचिवालीय पदों के लिए कार्यकाल निर्धारित करता है लोक-हित में कार्यकाल को वृद्धि के लिए भी व्यवस्था करता है। सचिवालीय पदों पर आसीन 62 अधिकारी ऐसे हैं जिनके मामलों में नियुक्तियां साधारण कार्यकाल के आगे जारी रखना लोक-हित में आवश्यक समझा गया है।

(ङ) कार्यकाल के नियम का पालन किया जाता है तथा कार्यकाल की वृद्धि केवल अत्यन्त आवश्यक समझे जाने पर तथा लोक-हित में ही की जाती है।

दक्षिण कनारा जिला में मेक्केकट्टू मन्दिर में लकड़ी की मूर्तियां

8690. श्री लोबो प्रभू : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कनारा जिले के बारकुर मैंगने में, स्थित मेक्केकट्टू मन्दिर की कुछ लकड़ी की मूर्तियां, जिनमें से कुछ 15 फुट तक की हैं दिल्ली के संग्रहालय में ले जायी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को मूल मूर्तियों के स्थल पर, इस समय मन्दिर में बनाई जा रही प्रति-मूर्तियों के रखने के विरुद्ध जनता में हुए रोष का पता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बात को ध्यान में रख कर उसी स्थान पर इन राज्यों के लिए एक उचित स्थान की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए अनुरोध किया गया है।

पारादीप पत्तन में शराब की दुकान

8691. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से शराब के लिए लाइसेंस प्राप्त एक व्यक्ति ने पारादीप पत्तन न्यास अधिकारियों से बिना पूर्वानुमति के पारादीप पत्तन क्षेत्र में एक शराब की दुकान की इमारत का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या इस स्थिति पर विचार करने के लिए हाल में पत्तन न्यास की एक आपात-कालीन बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड की एक विशेष बैठक 4-4-1968 को बुलाई गई थी मगर कोरम पूरा न हो सकने के कारण वह बैठक हो न सकी।

(ग) राज्य सरकार के अधिकारियों और पोट ट्रस्ट के अध्यक्ष के बीच विचार विमर्श द्वारा मामला सहानुभूति पूर्वक तय हो गया है। यह तय हुआ है कि जिस प्लाट पर लाइसेंसधारी ने निर्माण कराना शुरू किया था उसे वह छोड़ देगा और बोर्ड 31 मार्च, 1969 तक अथारबंकी क्रीक के दूसरी ओर उसे एक मकान पट्टे पर दे देगा।

सेनाएं

8692. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री बेदब्रत बरुआ :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्य सरकारों को देश में विभिन्न सेनाओं की गतिविधियों को दबाने के लिए हिदायतें भेजी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वयं सेवक संगठनों द्वारा, जो अपने आप को सेना प्रदर्शित करती है, कानून के उल्लंघन के बारे में राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। कानून तोड़ने वालों से निपटने के लिए विधि के अन्तर्गत राज्य सरकारें उपयुक्त कार्यवाहियां कर रही हैं।

एरियल खाड़ी पर घाट (जेटी) का निर्माण

8693. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर अन्दमान द्वीप समूह में एरियल खाड़ी पर घाट-निर्माण की परियोजना कब मंजूर की गई थी और इस समय निर्माण कार्य किस स्थिति में है।

(ख) इस परियोजना को पूरी करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यात्रियों के जहाज में चढ़ने तथा उतरने और माल लादने-उतारने की इस समय क्या सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(घ) इस परियोजना की कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एरियल खाड़ी पर घाट-निर्माण की स्वीकृति जुलाई, 1967 में दी गई थी। जल सर्वेक्षकीय सर्वेक्षण, घाट की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक वर्ष की पूरी अवधि तक हवा तथा लहरों का अध्ययन, डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाना, निर्माण सामग्री तथा संयंत्र को एकत्रित करना इत्यादि पूरा हो गया है। घाट के लिए आर० सी० सी० स्तम्भों की ढलाई तथा स्तम्भों को गाड़ने का कार्य चालू है।

(ख) कार्य की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार चल रही है तथा निर्माण-कार्य में कोई बिलम्ब नही हुआ है।

(ग) यात्रियों के जहाज में चढ़ने तथा उतरने का और जहाज से किनारे तक माल लादने उतारने तथा विपरीत ढंग से कार्य ठेके के आधार पर डैंगियों की सहायता से किया जा रहा है क्योंकि कोई भी घाट अन्तर-द्वीप का चक्कर लगाने वाले पोतों को ठहराने में सक्षम नहीं है।

(घ) घाट का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1969 तक पूरा हो जाने की आशा है।

अन्दमान द्वीपसमूह के निवासी

8694. श्री गणेश : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह में हैवलाक, नील, बाराटांग तथा कदमतल्ले द्वीपों में निवासियों की तथा अन्य लोगों की संख्या क्या है :

(ख) इन द्वीपों को कितनी बार नौका सेवा आती जाती है तथा क्या वे सेवा पर्याप्त है ; और

(ग) क्या नौका सेवा के फेरे बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) स्थान का नाम	बन्दोबस्त के प्रारम्भ का वर्ष	निवासियों की संख्या	1961 की जन गणना के अनुसार जनसंख्या
हैवलाक	1955	181 परिवार	897
नील	1967	86 परिवार	—
बाराटांग	1959	143 परिवार	720
कदमतल्ला	1954	153 परिवार	698

(ख) और (ग) सामान्यतः बाराटांग और उत्तरा (कदमतल्ला) के लिए सप्ताह में दो बार, जब कि हैवलाक और नील के लिए सप्ताह में एक बार, नौका-सेवा आती जाती है। पोर्टब्लैयर से रंगत तक, नील और हैवलाक होते हुए सप्ताह में एक बार की बजाय दो बार नौका-सेवा चलाने का प्रस्ताव अन्दमान व निकोबार प्रशासन के विचाराधीन है।

पाकिस्तानियों द्वारा बाड़मेर से भारतीयों का अपहरण

8695. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1968 के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तानी बाड़मेर जिले के पाडनरिया गांव की एक हरिजन महिला तथा उसके लड़के को उठा ले गये थे ;

(ख) क्या इसी अवधि में पाकिस्तानी जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों से 271 पशु तथा चार ऊंट भी भगा ले गये थे ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 28 और 29 मार्च, 1968 के बीच की रात को एक हरिजन महिला तथा उसके लड़के को गांव पडारिया (पाडनरिया नहीं), जिला बाड़मेर से एक भारतीय राष्ट्रिक द्वारा पाकिस्तान ले जाया गया।

(ख) बाड़मेर क्षेत्र से 20 और 21 मार्च, 1968 के बीच की रात को पाकिस्तानी अपराधियों द्वारा 270 भेड़ें और बकरियां ले जायी गईं। 28 मार्च, 1968 को जैसलमेर क्षेत्र से 5 ऊंट भगा ले जाए गए।

(ग) अपहृत हरिजन महिला तथा उसका लड़का एवं सभी ले जाए गये भेड़, बकरियां और ऊंट पुन: प्राप्त कर कर लिए गए हैं।

तटीय नौवहन सेवायें

8696. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में तटीय नौवहन सेवाओं में सुधार करने और उनका विस्तार करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) देश में तटीय नौवहन टनभार में किस गति से वृद्धि हुई है; और

(घ) तटीय नौवहन सेवाओं का बिस्तार किन कारणों से रुका है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी. के. आर. वी. राव) : (क) से (ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तटीय टनभार 1.19 लाख जी० आर० टी० था, और वह 31-12-1964 तक बढ़कर 4·11 लाख जी० आर० टी० हो गया। उसके बाद इसमें कमी हुई और 1·4-1968 को टनभार केवल 3·35 लाख जी० आर० टी० था। फिर भी, तटीय नौवहन से सम्बद्ध समस्यायें सरकार की समीक्षाधीन रहती हैं।

तटीय नौवहन की चालू समस्याओं का अध्ययन करने के लिये और उसके विकास के लिये सिफारिशें करने के लिये 8-9-67 को राष्ट्रीय नौवहन मंडल ने एक अध्ययन दल स्थापित किया था। अध्ययन दल ने राष्ट्रीय नौवहन मंडल को 4-4-68 को अपनी रिपोर्ट पेश करदी है और मंडल उसकी जांच कर रहा है। राष्ट्रीय नौवहन मंडल की सिफारिशें और टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(घ) तटीय नौवहन के विकास में इन मुख्य कारणों से बाधा पड़ी :—

(1) खुला माल विशेषकर कोयले की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता।

(2) विदेश से जहाज़ प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता।

(3) तटीय पोत मालिकों में उत्साह का अभाव, क्योंकि उनके अनुसार तटीय भाड़ा दर मुनाफा नहीं देती है।

(4) पतनों में देरी के कारण और विशेषकर कलकत्ता में डुबाव अवरोधन के कारण क्षमता का पूर्ण उपयोग न किया जाना।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खनन विज्ञान के विद्यार्थियों का ज्ञापन पत्र

8697. श्री जार्ज फरनेंन्डीज : श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खनन विज्ञान के विद्यार्थियों की समिति के मंत्री से उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या शिकायतें और मांग की गई हैं ; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। प्राप्त ज्ञापन पत्र इण्डियन स्कूल आफ माइन्ज, धनबाद और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के खनन इंजीनियरी विद्यार्थियों की ओर से है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलगन है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1062/68**]

पश्चिमी बंगाल में अम्ता के निकट पुल

8698. श्री जुगल मंडल : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की तीसरी योजना के बजट में दामोदर नदी पर अम्ता के निकट एक पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया था ;

(ख) क्या उक्त पुल पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य कब आरम्भ होगा तथा पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मुश्शवरत

8699. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० फरीदी ने उत्तर प्रदेश में 'मुश्शवरत' नामक मुसलमानों के एक नये संगठन की स्थापना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इस संगठन के ध्येय और सिद्धान्त भारत-विरोधी और पाकिस्तान समर्थक हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भारत-थाईलैंड विमान सेवायें

8700. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री स्वैल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनः विमान सेवा चालू करने के बारे में भारत और थाईलैंड के बीच एक करार हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक देश एक दूसरे के क्षेत्र में प्रति सप्ताह कितनी-कितनी उड़ानें करेगा ;

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) गत वर्ष के दौरान किन कारणों से विमान सेवायें बन्द कर दी गई थीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) : थाई एयरवेज़ इण्टरनेशनल को प्राधिकृत किया गया है कि वे भारत को या भारत से होकर दोनों दिशाओं में प्रति सप्ताह अधिक से अधिक सात सेवायें परिचालित कर सकेंगे। इन में से दिल्ली को या दिल्ली से होकर चार से अधिक सेवाएं परिचालित नहीं की

जा सकेंगी। उसी प्रकार पारस्परिक रूप से एयर इण्डिया को प्राधिकृत किया गया है कि वे थाईलैंड को या थाईलैंड से होकर सप्ताह में अधिक से अधिक सात सेवाएं परिचालित कर सकेंगे।

(ग) : करार के मुताबिक दोनों देशों की नामित एयरलाइनें विमान सेवाएं शीघ्र पुन: आरम्भ करेंगी। थाई एयरवेज़ को भारत में कलकत्ता और दिल्ली में यातायात के अधिकार दिये गये हैं इसके अतिरिक्त उन्हें काठमाण्डू और भारतीय स्थानों के बीच भी यातायात के अधिकार दिये गये हैं। उसी प्रकार पारस्परिक रूप से एयर इण्डिया को पैसिफिक के आर-पार टोकियो से होकर न्यूयार्क के मार्ग पर बैंकाक में यातायात के अधिकार दिये गये हैं।

(घ) एयर इण्डिया की बैंकाक होकर सेवाएं और थाइ एयरवेज़ की कलकत्ता को सेवाएं 1 नवम्बर, 1967 से बन्द की गयीं क्योंकि बैंकाक में इससे पहले हुई बातचीत के दो दौरों में कोई करार सम्पन्न नहीं हो सका। लेकिन अब किये गये करार के अनुसार एयर इण्डिया ने 19 अप्रैल, 1968 से बैंकाक से होकर विमान सेवाएं पुन: आरम्भ कर दी हैं और थाई एयरवेज़ ने कलकत्ता के लिए अपनी सेवाएं 25 अप्रैल, 1968 से पुन: आरम्भ कर दीं।

Sheikh Abdullah's Invitation to Kashmiri Pandits to Join Plebisite Front

8701. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while addressing a public meeting in Srinagar, Sheikh Abdullah advised the Kashmiri Pandits to join the Plebiscite Front ;

(b) whether it is also a fact that the Sheikh also threatened them that if they did not join the Plebiscite Front, they should be prepared to face the consequences ; and

(c) if so, the steps taken by Government to protect the minorities there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : Enquiries were made from the State Government. According to the report received from them, in the course of a speech at Rainawari, Srinagar, on 6th Aptil, 1968, Sheikh Abdullah did advise the minority community to join the Plebiscite Front ; he also said that as Muslims had stood against Pakistan for the rights of Hindus, the Hindus should also stand up against India for the rights of Muslims, and that he would give advice and it was for them to act upon it or not.

(c) There is peace in the State of Jammu and Kashmir. The State Government are fully alive to their responsibility to protect the minorities ; and the Government of India would take every possible step to protect the minorities everywhere.

Arrest of Hindus in Allahabad

8702. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prominent organisations of Allahabad have submitted a memorandum to Government against the arrest of Hindus in Allahabad ; and

(b) if so, the action taken by the Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) A menorandum was received on behalf of the Eastern Uttar Pradesh Chamber of Commerce wherein the causes and course of the recent incidents at Allahabad was described.

(b) The State Government have appointed Shri M. Lal, Member, Board of Revenue, to inquire into the causes and course of the incidents at Allahabad.

Escape of a Police Guard to Pakistan

8703. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact thas one Police Guard posted on the Assam-Nagaland border has absconded to Pakistan ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) A constable, who was a member of a patrol party deployed on the Assam-Nagaland border, has been missing since the 21st March, 1968. No report about his having crossed over to Pakistan has been received.

(b) Efforts to trace the constable are being made.

यार्दी समिति का प्रतिवेदन

8704. डा० महादेव प्रसाद : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 में यार्दी समिति बनाई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिवेदन लोक-सभा में पुरस्थापित होने से पहले ही समाचार-पत्रों को दे दिया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ। किन्तु अध्ययन-दल की स्थापना अप्रैल, 1967 में की गई थी।

(ख) सरकार ने दल के प्रतिवेदन को प्रेस को प्रकाशन के लिये नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

8705. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 से 1967 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिऐ अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यार्थी चुने गए थे ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यार्थी नियुक्त किए गए ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1063/68]**

दिल्ली में पुलिस की हड़ताल के कारण हुआ व्यय

8706. श्री देवेन सेन : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1967 में दिल्ली पुलिस आन्दोलन के सम्बन्ध में बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस तथा जम्मू और काश्मीर छाताधारी सैनिकों के बलाने पर कुल कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) उस समय एकत्रित किये छाताधारी दल तथा अन्य दलों के लोगों की कुल संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अप्रैल, 1967 में दिल्ली में पुलिस आन्दोलन के सम्बन्ध में कोई छाताधारी तैनात नहीं किए गए थे। विभिन्न पुलिस दलों को जमा करने की लागत सम्बन्धित अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अप्रैल, 1967 में दिल्ली में सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के 4,558 पुलिस कर्मचारी थे।

Persons Dealing with Parliamentary Work

8707. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the persons have been appointed exclusively for Parliamentary work in various Ministries consequent to which only these employees can handle this work ;

(b) whether it is also a fact that more salary is paid to the Parliament Assistants in various Ministries as compared to other Assistants ;

(c) if so, the reasons thereof ; and

(d) whether Government would ensure that other employees of the Ministries are also posted against these posts so that they can also benefit therefrom, and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) : Yes, Sir.

(b) For doing wholetime Parliamentary work, a special allowance of Rs. 4/- per diem is allowed to an Assistant drawing pay of less than Rs. 500/- and Rs. 3/- per diem to a U. D. C. This allowance is **in lieu** of overtime allowance and is admissible for the duration of the Parliament Session. The special allowance is not admissible to persons drawing a pay of Rs. 500 p. m. or more.

(c) The special allowance is allowed as compensation for the strenuous duties involving additional hours of work.

(d) Instructions already exist that except where the interest of efficiency of work dictate otherwise, appointments to posts of Parliament Assistant should be made by rotation from among qualified and capable persons the period of rotation not exceeding three years.

National Fitness Corps Instructors

8708. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2,000 Physical Traininig Instructors of the National Fitness Corps had submitted a memorandum to Government in February, 1968 and had also staged a demonstration ;

(b) if so, the details in regard thereto; and

(c) the action taken by Government in that regard ;

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) They marched peacefully in a procession from Panchkuin Road to my residence and submitted a memorandum desiring :

(i) continuance of the National Fitness Corps under the Centre ;

(ii) making this schene a Statutory Scheme by an Act of Parliament ; and

(iii) replacement of the present Director General, National Fitness Corps who lacks confidence of 7,000 employees.

(c) In this connection on 23rd February, 1968 Shri Bhagwat Jha Azad, Minister of State made a statement in the Lok Sabha regarding decentralisation of N.F.C. Details are under examination of the Government. The Government does not accept the third demand.

Memorial for I.N.A.

8709. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2397 on the 1st March, 1968 and state :

(a) whether Government have considered the question of giving a grant for the construction of a National Memorial of the Indian National Army ; and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) The proposal is still under consideration.

D.T.U. Fares

8710. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that D.T.U. has raised the fares for shorter routes ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the income expected from such increase in fares and the steps taken by Government to provide relief to passengers on shorter routes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : There is no proposal at present under the consideration of the Delhi Transport Undertaking to increase fares on any routes. However, with effect from the 1st April, 1968, the undertaking has introduced Express Services, which represent 5% of the total services run by the undertaking, on 15 routes. On these Express Services, an extra charge of 5 paise per passenger is made, irrespective of the distance travelled.

Arrangements for Drinking Water at Kutab Minar, New Delhi

8711. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no arrangements for drinking water at Kutab Minar, New Delhi, as a result of which the Indian and foreign tourists have to face much inconvenience ;

(b) whether it is a fact that the shopkeepers and the residents af that locality sell a glass of water for 5 or 10 paise each and a pitcher full of water for 75 paise or one rupee ;

(c) if so, whether Government propose to take some steps to check the said practice and to make satisfactory arrangements in regard to drinking water there ; and

(d) if not, reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Arrangements for free supply of drinking water exist at Qutab Minar. In addition, the Archeological Survey of India has made arrangements for the supply of refrigerated water at 3 paise per glass.

(b) Within the archaeological enclosure this is not permitted.

(c) and (d) Do not arise.

रूरकेला में सम्प्रदायिक दंगे

8712. **श्री लताफत अली खाँ :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 मार्च, 1964 को रूरकेला (उड़ीसा) में साम्प्रदायिक दंगों में कितने अफगान नागरिक मारे गये ;

(ख) उनकी जो सम्पत्ति जलाई गई तथा लूटी गई उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) प्रतिकर के भुगतान के लिये केन्द्रीय सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए ;

(घ) इस सम्बन्ध में कितना प्रतिकर दिया गया और उसका व्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

होटलों में विदेशी कूनर और कैबरे कलाकारों की नियुक्ति

8713. **श्री सु० कु० तापड़िया पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में होटलों और जलपान गृहों में मनोरन्जन की सुविधाओं की कमी के बारे में विदेशी पर्यटकों द्वारा अनुभव की जाने वाली अनेक शिकायतों पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों के मनोरन्जन के लिए विदेशों से गुनगुनाकर गाने वाले कूनर और मनोरन्जन करने वाले (कैबरे) कलाकारों की नियुक्ति के लिये विदेशी मुद्रा देने के मामले में उदारता बरतने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और विदेशी मुद्रा कमाने के लिये "केसिनोज" की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क] जी, हाँ। होटल व्यवसाय से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रकार के मनोरन्जन की देशीय प्रतिभा के ज़रिये व्यवस्था करें, तथा पर्यटकों के लिये मनोरन्जन की व्यवस्था के लिये चौथी पंच-वर्षीय योजना के मसौदे में अन्तिम रूप से 50 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(ख) मनोरन्जन के अभाव के बारे में पर्यटकों से प्राप्त शिकायतों से लगाये गये सामान्य अन्दाजे के आधार पर यह देखा गया है कि विदेशी पर्यटक ऐसे मनोरन्जन को अधिक पसन्द करते हैं जिस में देश के स्थानीय रूप एवं प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। तथा पश्चिमी ढंग के मनोरन्जन की भी देशीय कलाकारों के ज़रिये व्यवस्था की जा सकती है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, विदेशी मुद्रा के अत्यन्त सीमित साधनों के विदेशों से "कैबरे" कलाकारों की नियुक्ति के लिये नियतन के विषय में किसी प्रकार की छूट देने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[ग] जी, नहीं।

पश्चिमी बंगाल में पर्यटक स्थलों में जाने पर पाबन्दी

8714. **श्री सु० कु० तापड़िया** : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** :

क्या **गृह-कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों पर लगी पाबन्दियां जारी हैं ;

(ख) इस प्रकार की पाबन्दियां देश के अन्य किन-किन स्थानों पर लगी हुई हैं ;

(ग) ऐसी पाबन्दियां लगाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार की पाबन्दियों से पर्यटन के प्रोत्साहन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) विदेशियों (सीमित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अधीन पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, माल्दा और पश्चिम दिनाजपुर ज़िले, उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल और स्पिति जिले, आसाम के सभी जिले एवं त्रिपुरा और अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों को जाने के इच्छुक विदेशियों को विशेष परमिट लेने पड़ते हैं।

(ग) सुरक्षा के कारणों के लिए।

(घ) पश्चिम बंगाल में पर्यटकों की रुचि के स्थानों में जाने के लिए पर्यटकों को परमिट उदारता से दिए जाते हैं।

"मदर इण्डिया" मासिक पत्रिका की प्रतियों का जब्त किया जाना

8715. श्री मुन्नावंलू : श्री कमलनाथन :
श्री मयावन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई की मासिक पत्रिका "मदर इण्डिया" के अप्रैल, 1968 के संस्करण की प्रतियों को जब्त करने का आदेश दिया था ;

(ख) यह संस्करण किस तारीख को प्रकाशित किया गया था तथा इसे जब्त करने का आदेश किस तारीख को दिया गया था ; और

(ग) कितनी प्रतियां जब्त की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 99-क के अधीन अधिसूचना संख्या एफ० 2 (42)/68-सी। एच० (जी०) दिनांक 8 अप्रैल, 1968 के द्वारा "मदर इण्डिया" की अप्रैल, 1968 की प्रत्येक प्रति तथा सभी अन्य दस्तावेजों को, जिनमें उक्त पत्रिका से उद्धारणों के संस्करणों तथा अनुवाद और उसकी प्रतियां शामिल हैं, सरकार के पास जब्त घोषित कर दिये।

(ग) दिल्ली में अभी तक 5 प्रतियां पकड़ी गई हैं। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पकड़े जाने के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

"केयर" नामक विदेशी संगठन

8716. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भगवान दास :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "केयर" नामक विदेशी संगठन को पश्चिम बंगाल, जो एक सीमावर्ती राज्य है, के गाँवों में खाद्य उत्पादन में सहायता देने के बहाने काम करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संगठन का एशिया फाउण्डेशन से कोई सम्बन्ध है; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल में "केयर" द्वारा किये गए कार्य के बारे में तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाईकाउण्ट विमान

8717. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने राज हन्स तथा पुष्प हन्स नाम के दो वाईकाउन्ट विमानों के प्रयोग के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है जोकि उनके पास लगभग एक वर्ष से हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उन विमानों का क्या प्रयोग होगा ; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अब तक इन विमानों की देखभाल तथा खड़ा करने पर कुल कितनी हानि उठाई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन विमानों को नगर (सिविल) उपयोग के उपयुक्त बनाने के लिए इनमें परिवर्तन करने आवश्यक थे जो कि किये जा रहे हैं। हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

कारपोरेशन ने इन विमानों के पार्किंग चार्जेज के रूप में अब तक 3,550/- रुपये दिये हैं।

विदेशों में अध्ययन के लिये अनुसूचित आदिम जातियों को विदेशी छात्रवृत्तियां

8718. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विदेशों में अध्ययन के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को कुल कितनी विदेशी छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देते समय ईसाई बनाया गया ; और

(ग) विदेशों में अध्ययन के लिये इन विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां देने में अब तक कुल कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित कबीलों के 9 विद्यार्थी चुने गए थे और विदेश भेजे गए थे । इसके अलावा, 9 अन्य उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं और उपयुक्त संस्थाओं में उनके दाखिले तय किए जा रहे हैं। पहले वर्षों के बारे में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर संगत अभिलेख समाप्त किए जा चुके हैं ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दोनों ओर के यात्रा व्यय और 500 रुपये के उपस्कर अनुदान के अलावा, किसी विद्यार्थी पर होने वाला औसतन वार्षिक खर्च क्रमश अमेरिका और इंग्लैण्ड में लगभग 3,000 डालर और 650 पाउन्ड है । इस खर्च में शिक्षा शुल्क, अनुरक्षण भत्ता, पुस्तकें आदि शामिल हैं। अधिकतर विद्यार्थी अमेरिका और इंग्लैण्ड ही भेजे जाते हैं ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

8719. श्री ओंकार सिंह : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी प्रेसों के नाम क्या हैं, जिनमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अपनी पाण्डुलिपियां छपवा रहा है ;

(ख) क्या मुद्रण तथा लेखन सामग्री महा नियंत्रक द्वारा उन प्रेसों को क, ख तथा ग श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है ;

(ग) क्या इन प्रेसों को क श्रेणी के प्रेसों को दी जाने वाली दरों पर भुगतान किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है तथा इस के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आयोग मुद्रणालयों की स्थायी सूची नहीं रखता क्योंकि छपाई का आम टेन्डर मंगा कर निम्नतम दरों पर दिया जाता है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Hindi Officers in Central Ministries

8720. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Advisory Committee has emphasized time and again that Hindi Officers should be appointed in each Ministry and Department :

(b) if so, the number of Ministries, attached and Subordinate Offices and autonomous bodies in which Hindi Officers have not been appointed ;

(c) the arrangements made in these offices for supervising Hindi work ; and

(d) the date by which Hindi Officers would be appointed in these offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Out of a total of 41 Ministries/Departments, Hindi Officers are already functioning in 21 Ministries/Departments. In each of another 15 Ministries/Departments,

an Officer is looking after Hindi work in addition to his normal duties. In the remaining 5 Ministries/Departments quantum of Hindi work has not yet warranted the appointment of a Hindi Officer. The attached and subordinate offices and autonomous bodies generally do not have Hindi Officers.

(d) Hindi Officers are to be appointed having regard to the size and the organisational set up in each Ministry/Department.

हिन्दी सलाहकार समिति

8721. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति ने 10 जुलाई, 1967 के अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 37 में विचार व्यक्त किया है कि सरकार ने हिन्दी प्रचार-कार्य को कोई महत्व नहीं दिया है ;

(ख) क्या उसी पृष्ठ पर इस समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि अनुवाद का काम कर रहे हिन्दी असिस्टेण्टों के वेतन मान अन्य असिस्टेन्टों की अपेक्षा अधिक होने चाहियें; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं निकाला गया है। सम्भवतः माननीय सदस्य का ध्यान हिन्दी सलाहकार द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन के पृष्ठ 37 की ओर है जिसमें हिन्दी के कार्य को पर्याप्त महत्व नहीं दिये जाने तथा हिन्दी सहायकों के वेतन मान में सुधार करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

(ग) हिन्दी सलाहकार के प्रतिवेदन की प्रतियां सम्बन्धित मंत्रालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं।

Work in Hindi in Various Ministries

8722. **Shri Shardanand :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the opinion expressed by the Hindi Advisor that Hindi work is not being done in the Ministries particularly in the Ministry of Irrigation and Power of the Government of India to the required extent ;

(b) whether it is a fact that the number of Hindi Assistants and Hindi Translators is considerably less in various Ministries and the entire Hindi work of a Ministry has to be handled by only two or three employees ;

(c) if so, whether Government propose to increase the number of employees for doing Hindi ; and

(d) whether a Scheme is proposed to be drawn up for the purpose and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Hindi Adviser has commented upon the meagre quantity of Hindi work in the Ministry of Irrigation and Power. He has also drawn attention to the poor quality of Hindi translations of Reports being prepared with the help of the staff of low calibre and the practice of getting even very shot letters in Hindi translated into English before examining them.

(b) Hindi Assistants/Translators are not doing the entire Hindi work in the Ministries. They do mainly translation work as other Hindi work is to be translated with the help of the Hindi-knowing staff in the Sections.

(c) and (d) All the Ministries/Departments have the staff, including those trained under the Hindi Teaching Scheme, required for doing Hindi work. These arrangements can be supplemented where necessary to meet the increasing requirements. General instructions for implementing the provisions of the Official Languages Act will issue shortly.

Hindi Assistants and Hindi Stenographers

8723. Shri Sharda Nand : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Hindi Assistants Class III in various Ministries have been confirmed after they had completed 3 years of service ;

(b) whether it is also a fact that Hindi Stenographers, Class III are still temporary even after completion of 12 years of service ; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) Under orders issued in July, 1966, Hindi Assistants holding Class III posts, who did not qualify in the examination held by the U. P. S. C. in 1959, but had rendered not less than three years' service in the post on 1-9-1959, are eligible for confirmation, subject to suitability and availiabity of permanent posts.

The question of exempting Hindi Stenographers (Class III), who have rendered long service, from the requirement of passing the U. P. S. C. test and making them eligible for confirmation is under consideration.

Hindi Stenographers

8724. Shri Sharda Nand : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Stenographers Class III, working in various Ministries were not appointed through the Union Public Service Commission ; and

(b) if so, the reasons for which it has now been made obligaory for such Hindi Stenographers, who were so appointed and have put in more than 10 years of service, to pass the U. P. S. C. Examination for their confirmation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir. The posts of Hindi Stenographers (Class III) being isolated posts were allowed to be filled by the Ministries/Departments on *ad-hoc* basis.

(b) Under orders issued in 1955, the Hindi Stenographers (Class III) appointed on **ad-hoc** basis were required to pass a qualifying test to be held by the U. P. S. C. to become eligible for confirmationt. Passing of a U. P. S. C. test for confirmation is thus not a new requirement. However, in view of the long service rendered by the Hindi Stenographers (Class III). the question of exempting them from passing the U. P. S. C. test for confirmation is presently under examination.

Ad-Hoc Promotions in the Commission for Scientific and Technical Terminology

8725. Shri N.S. Sharma : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twelve Assistant Education Officers were promoted to the post of Senior Research Officer on *ad-hoc* basis recently in the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) if so, the reasons for not filling these posts through the Union Public Service Commission ; and

(c) when these posts would be filled ; through the U.P.S.C. ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) 11 and not 12 Assistant Education Officers have been promoted to the post of Senior Research Officer on ad-hoc basis in the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) Appointments have been made purely on an ad-hoc basis in the interest of work till such time as the nominees of the Union Public Service Commission/Departmental Promotion Committee become available.

(c) These posts will be filled up through U.P.S.C., Departmental Promotion Committee according to recruitment rules after these have been finalised.

Central Publication Organisation

8726. Shri N.S. Sharma : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been prepared under the auspices of his Ministry in regard to the formation of Central Publication Organisation ;

(b) if so, the broad outlines thereof ;

(c) the annual expenditure likely to be incurred thereon ; and

(d) the steps taken to implement the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Education (ShriSher Singh): (a) No, Sir. Not so far.

(b) to (d) Do not arise.

Printing of Manuscripts in the Commission for Scientific and Technical Terminology

8727. Shri N.S. Sharma : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are a number of manuscripts with the Commission for Scientific and Technical Terminology which have not been sent for publication ;

(b) if so, the total number of manuscripts which are at present complete for printing and the dates on which they were received ;

(c) whether it is also a fact that some manuscripts which are received later than others, had been sent for printing ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) No manuscript complete in all respects is lying for printing with the Commission.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. It is not a fact that some manuscripts which were received later than other manuscripts complete in all respects, had been sent for printing.

(d) Does not arise.

साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलियोबाटैनी

8728. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ स्थित बीरबल इंस्टीट्यूट आफ पैलियोबाटैनी के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और अब तक उसके जांच निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस संस्था को अपने अधिकार में ले रही है और यदि हाँ, तो ऐसा करने पर कितना व्यय होगा तथा इस समय संस्था की देनदारी कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1064/68**]

(ग) समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

लचित सेना

8729. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने 'लचित सेना' पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये जो कार्यवाही की है उसके बारे में उसने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार ने 29 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन पर लचित सेना के इश्तहारों के प्रचार करने का सन्देह किया जाता है, नजरबन्दी के आदेश जारी किये हैं। उनमें से 26 पहले ही नजरबन्द कर दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7915 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTI ON OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION No.7915

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : दिनांक 19 अप्रेल, 1968 को माननीय सदस्य श्री के० पी० सिंह देव द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 915 के उत्तर में मैंने यह जानकारी सदन को दी थी कि दिल्ली प्रशासन के सहायक निदेशक [उद्योग], श्री के० सी० कंसल ने अनुशासनात्मक जांच के एक मामले में दो सुनवाई की थीं। परन्तु पुनः देखे जाने पर यह पता चला कि श्री कंसल द्वारा सुनवाई की छः तारीखें निश्चित की गई थीं, न कि दो।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Rabi Ray (Puri) : I thank you for allowing me to raise a question of breach of privilege against the Minister of Industrial Development and Company Affairs. It is a very pertinent question : whether our parliamentary democracy is going to be based on facts and truth or on lie wrong and misleading statements. The question of privilege I am going to raise is very much related to it. The Minister has made two false and misleading statements regarding acceptance of directorship of the Bank of India by Prof. M. S. Thacker who was chairman of Industrial Licensing Policy Inquiry Committee. In reply to a short notice question on the above subject the Minister said on 2nd April that Prof. M. S. Thacker has declined the offer." On 24th April Shri F.A. Ahmad said he was not aware of the fact that Prof. Thacker was going to Bombay to attend the meeting of the Board of Directors of the Bank of India. But after two minutes later he said that before Prof. Thacker's departure to Bombay he had a meeting with him (Prof. Thacker). As regards the Minister's statement given on 2nd April, Prof. Thacker himself repudiated the same. In his letter Prof. Thacker said that on the whole complexion of the discussion on April 2nd in Lok Sabha would perhaps have changed if one important fact that "I had taken prior permission of the

Government to consider the offer of directorship' had been disclosed". He further said that "his going to Bombay was also within the knowlege of the Government". In view of such contradictory and misleading statements given by the Minister of Industrial Development and Company Affairs I say that there is a prima facie case of breach of privilege. I, therefore, beg for leave of the House to raise a question of privilege againt him.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : हमे इस पर आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दिये जाने, के पक्ष में है, वे कृपया खड़े हो जायें । चूंकि 25 से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हैं इसलिये अब श्री रबी राय प्रस्ताव पेश करेंगे ।

Shri Rabi Ray : Sir, beg to move :

"Whereas in the opinion of this House, it clearly appears necessary to inquire whether a breach of privilege of the House has been committed or not by the Minister of Industrial Development and Company Affairs by the reply given by him on the 2nd April, 1968, this House, therefore, resolves to refer this matter to the Committee of Privileges with instructions to report on the first day of the next session."

Sir, I want to submit that Shri F. A. Ahmed has deliberately tried to conceal the facts. I will keep something reserved for the occasion of reply.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास इस चर्चा के लिये दो घण्टे का समय है । प्रत्येक दल को 5 से 7 मिनट तक का समय मिल सकेगा ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय अब हमें यह देखना है कि एक मंत्री का अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अपने सहयोगियों का इस सभा तथा पूरे देश के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये : मंत्री महोदय को पर्याप्त अनुभव है और वह मंत्री पद की जिम्मेदारियों से भली भांति परिचित हैं सम्बद्ध तथ्यों से पता चलता है कि सभा के सामने सत्यता न रखकर उन्होंने सभा को गुमराह किया है । चूंकि प्रधान मंत्री ने तथ्यों की जांच के बाद उक्त मंत्री को मंत्री परिषद से अलग नहीं किया इसलिये इस सभा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सम्बद्ध मंत्री के कृत्यों के बारे में जाँच करें ।

यदि श्री थैंकर ने निदेशक मंडल में समिति का अध्यक्ष रहते हुए सम्मलित होना स्वीकार कर लिया तो उसमें श्री थैंकर का क्या दोष है । उसने सब तथ्य मंत्री महोदय के समक्ष रखे थे और मंत्री महोदय तथा अन्य परामर्शदाताओं से परामर्श मांगा था । उन्होंने श्री थैंकर को परामर्श दिया कि वह लाइसेंस समिति के अवैतनिक अध्यक्ष के रूप में और बैंक के डायरेक्टर के रूप में साथ-साथ काम कर सकते हैं । यहां पर भी मंत्री महोदय ने उन्हें अनुमति देकर गलती की । दुसरे इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने गलत बयानी की और सभा को गुमराह किया । गलत सलाह देने के बजाय मंत्री को श्री थैंकर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिये था और उन्हें स्पष्ट रूप से बैंक के निदेशक मंडल में शामिल होने से रोकना चाहिये था । मंत्री की गलती के कारण एक जाने-माने वैज्ञानिक को दोनों ओर से हाथ धोना पड़ा । जनता चाहती है कि एक मंत्री अपने पूर्ण उत्तरदायित्व से काम करे । इस प्रकार के कार्य से मंत्री ने सभा और अपने साथियों में अपना विश्वास खो दिया है । मंत्री महोदय ने उस निष्ठा और दायित्व से काम नहीं किया

जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती थी। अतः मेरा अनुरोध है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

श्री गोविन्द मेनन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो सदस्य किसी मंत्री के किसी वक्तव्य के आधार पर बिशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता है उसके द्वारा सम्बन्धित वक्तव्य का वह भाग विशेष उद्घृत किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि क्या मंत्री ने दो गलत वक्तव्य देकर सभा को गुमराह किया है : मैं इस बात से सहमत हूँ कि वक्तव्य का सम्बन्धित अंश उद्घृत किया जाना चाहिये। श्री अमृत नाहटा।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : The question of privilege is based on the letter of Prof. Thacker in which he has stated that "The Minister would recall that he did not have any objection to his continuing as honorary chairman of the Committee and accepting the directorship of the Bank." He also wrote that "I have taken prior permission of the Government to consider the offer of directorship". On the other hand the Minister told the House that Prof. Thacker has sought his advice regarding the offer of Bank's directorship and he has told him (Prof. Thacker) that it was his personal affair to accept or not to accept the offer of Bank's directorship, but he (prof. Thacker) cannot continue on both the posts. Secondly Prof. Thacker went to Bombay as a Chairman to attend a meeting of the Industrial Licensing Inquiry Committee. But there he attended a meeting of the Board of Directors of the Eank and this was not in the knowledge of the Minister. On his return from Bombay Prof. Thacker informed the Minister that he has accepted the directorship of the Bank. at which the Minister has expressed his displeasure. At this Prof. Thacker has decided leave the directorship of the Bank and accordingly he informed the Minister. Now we have to decide whether the hon. Minister is correct or Prof. Thacker is correct. I think the Minister is right in telling Prof. Thacker that he cannot oontinue on both the posts. But Prof. Thacker has misused his office of Chairman of the Committee. While being in the Committee he acted in favour of big businessmen. He told them that the report of the Committee is being prepared against them. Thus the conduct of Prof. Thacker has not been clean and we can condemn his action. As such there is no question of privilege against the Minister and so the Motion should be rejected.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आप सबसे अनुरोध हैं कि श्री थैकर के वारे में आप लम्बी चर्चा न करें।

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi Sadar) : The minister has denied that he has ever given chit of clearance to Prof. Thacker for accepting the directorship of the Bank and that he was aware of the fact that Prof. Thacker had gone to Bombay to attend the meeting of the Board of Directors of the Bank of India. But the Minister has not given the proof in support of his statement in which he has contradicted the above two facts. I will try to prove that this statement of Minister was wrong, he twisted the facts ; he tried to conceal some facts from the House and thereby mislead the House. On March 25, 1968, Shri Rathee the Secretary of the Committee wrote a letter to Shri Wanchoo, the Secretary of the Department which stated as follows :

"The Chairman mentioned to Shri Wanchoo that he was going to Bombay on 28th March, 1968. Shri Rathee was also going with him as they were meeting the representatives of the Maharashtra State Financial Corporation. The Chairman, in addition, was also attending to his personal matter which he discussed with Shri Wanchoo."

It means that the Secretary of the Department was informed by Shri Thacker that he would also attend to his personal matter while staying in Bombay.

Secondly a letter of 19th March 1968 written by Sri Rathee to Shri Wanchoo is a clear proof of the fact that the clearance chit was given to Prof. Thacker regarding taking up the directorship of the Bank in private sector. This letter goes to prove that this matter was discussed between Shri Rathee and the Secretary of the Department and they agreed that there should be no objection to Prof. Thacker's taking up the work during the period of leave provided he starts drawing remuneration from the Bank after the expiry of leave period. A letter written by Prof. Thacker to the Minister shows that the Minister also agreed to this proposal later on. It says :

"In continuation of my D. O. No. so and so dated so and so, many thanks indeed for giving me the time yesterday to meet you. I am grateful to you that you have been kind enough to appreciate my position and to agree to what Rathee, Secretary of our Committee, had sent to Shri Wanchoo in his D. O. No. so and so dated so and so, concerning my personal matter."

These letters are the documentary evidence to prove that the Minister had given clearance and that it was in the knowledge of his Department that Prof. Thacker attended the meeting of the Board of Directors of Bank at Bombay. Therefore, the Minister is guilty of misleading the House by giving wrong information. Either he should resign or this matter should be referred to the Privilege Committee.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 10 मिनट म०प० पर पुन : समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at ten minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Chandra Jeet (Azamgarh) : Sir, Shri Kanwar Lal Gupta has levelled allegations against the Minister that he has made a wrong statement and has misled the House. To prove it he has read some extracts of the letters allegedly written by Shri Rathee and Prof. Thacker. We should not give any credence to these letters because the conduct of the senders of these letters is also suspicious.

The Minister made it clear to Prof. Thacker that he could not continue on both the posts simultaneously. There is sufficient ground to take it for granted. The letter of Shri Rathee written by him on 30th March ; itself proves that the Minister advised Prof. Thacker not to accept the directorship of the Bank and that is why Prof. Thacker decided not to accept the offer of the Bank of India. Had it been otherwise and the Minister would have given clearance to Prof. Thacker for joining the new post simultaneously, he would have surely done it. It is clear that the Minister advised him not to accept the directorship of the Bank. Thus I can say that the statement of the Minister was perfectly right and there is no question of breach of privilege in it. I, therefore, request you that this matter should be dropped.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Here the main question is : whether Prof. Thacker can continue on both the posts i.e. the post of Chairman of the Committee and the post of the Director of the Bank. The Minister could not produce any documentary evidence in support of his contention that he advised Prof. Thacker against accepting the directorship of the Bank. On the basis of the letters of Shri Rathee and Prof. Thacker it can be said

that the Minister has, in the first instance, agreed to this arrangement of Prof. Thacker's continuing on both the posts. But later on he objected to it, as Shri M. K. Mangalam, the other member of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee has objected to this arrangement. He termed it as an "act of impropriety". It opened the eyes of the Minister and then he advised Prof. Thacker not to accept the directorship of the Bank.

It is also alleged that Shri Rathee and Prof. Thacker are the agents of big businessmen. If they are agents, why were they appointed to be the Secretary and Chairman of this Committee? Who appointed them? It is again the Minister or his Department and they are guilty for appointing such persons for an inquiry committee. I do not hold the Minister responsible for all things. Some Government officers may be responsible or guilty in this case. Now it is to be decided whether the Minister is at fault or anybody else. This thing can be decided only in the Privilege Committee.

It is no use accusing Shri Rathee and Prof. Thacker as being supporters of the big business. If it is so, why is it that such persons are appointed to a committee like this which is set up to inquire into the activities of these business houses?

There was a collusion between the bureaucracy, the businessmen and the Ministers and it is this collusion which is responsible for such things. Therefore, this matter should go to the Privileges Committee which can call necessary papers and bring out the truth.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): It has been said in the motion that the Minister has misled the House by making wrong statement. But what the Minister had stated is a fact. If Professor Thacker had been permitted by the Minister to join the Bank what was the necessity for him to come and see Minister again after attending the Bank's meeting.

We have to consider whether the statement made in the House by the Minister carries more weight or the statements made by the people outside the House. In the past when Shri Madhu Limaye's statement made in the House was challenged outside we had held the Member's statement to be correct. Therefore, in the present case also the Minister's statement should carry more weight with us unless it is proved otherwise by production of relevant papers and documents.

Acceptance of Directorship of a bank is not to commit any sin. Since Prof. Thacker was already holding an important position, the question came up for discussion whether the Minister could agree to his taking up the Directorship of the Bank of India. During the course of conversation between Prof. Thacker and the hon. Minister, it was evident that the Minister had clearly stated to Prof. Thacker that if he accepted the offer, it would be impossible for him to remain the Chairman of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee. Now the question arises whether it was proper for Prof. Thacker to occupy both the posts together when he was already the chairman of the Committee. Then he writes a letter to the Secretary of the Ministry, and before getting a reply from the Minister, he goes to the press. His action could not be justified. However, we have to appreciate the steps taken by Prof. Thacker, namely, resignation from the Chairmanship of the Committee in view of the criticism made in the House.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न यह है कि इस विषय पर मन्त्री जी द्वारा हाल में दिया गया उत्तर सभा को गुमराह करने वाला था अथवा उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाये गये थे। वास्तविक प्रश्न पर आने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर थैकर को इन्डस्ट्रियल लाइसेंसिग पालिसी इन्कुआरी समिति का अध्यक्ष बनाने से पहले उनके पूर्ववृत्त की जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी। वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्रालय में आने से पहले प्रो० थैकर गैर-सरकारी क्षेत्र

में नौकरी करते थे और उसी क्षेत्र की विचारधारा के समर्थक थे। अतः उन्हें बड़े-बड़े व्यापारियों के मामलों की जांच करने वाली समिति का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।

प्रो० थैकर को किसी ऐसे बैंक के निदेशक का पद स्वीकार करने के लिये विभाग से नहीं पूछना चाहिए था जिसका नियंत्रण बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाएं करती हैं और जिनकी जाँच होनी अभी बाकी है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यह भी सच कि जब यह प्रश्न पर रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री झा से विचार करने के लिये कहा गया तो उन्होंने वित्त मन्त्री को उनकी राय जानने के लिये टेलीफोन किया और वित्त मन्त्री ने कहा कि बैंकों पर प्रस्तावित सामाजिक नियंत्रण को दृष्टि में रखते हुए प्रो० थैकर के किसी बैंक की डारेक्टरशिप स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री राठी द्वारा श्री वांचू को लिखा गया पत्र तथा अन्य कई पत्रों से जाहिर है कि कोई जबर्दस्त घुटाला चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि प्रो० थैकर, श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा श्री वाँचू के बीच क्या चल रहा है, अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि सचाई सामने आ सके।

श्री गोविन्द मेनन : प्रस्ताव में 2 अप्रैल, 1968 को औद्योगिक विकास मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर का उल्लेख किया गया है। किन्तु मुझे इस बात की हैरानी है कि जिन लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है उनमें से किसी ने भी मन्त्री महोदय के 2 अप्रैल के वक्तव्य के किसी ऐसे अंश का उल्लेख नहीं किया है जिसे सभा को गुमराह करने वाला ठहराया जा सके। श्री पाणिग्रही द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में मन्त्री द्वारा पढ़ा गया लिखित उत्तर इस प्रकार था :

> '(a) and (b) : The facts regarding the question are that it is understood that Prof. M.S. Thacker, Chairman of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, was invited informally to a meeting of the Board of Directors of the Bank of Iudia on 28th March, 1968, to let them know his decision on the offer made to him of Directorship on the Board of the Bank..............................Subsequently the Government have been informed that he has declined the offer. In the circumstances it is not proposed by Government to take any further action in the matter."

मैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं देखता जो झूठी हो अथवा सभा को गुमराह करने वाली हो।

हमें यही कहा गया है कि मन्त्री महोदय का वक्तव्य सभा को गुमराह करने वाला है इस कारण इसकी विशेषाधिकार समिति द्वारा जाँच की जानी चाहिए। क्या विशेषाधिकार समिति का काम ऐसे मामलों की जाँच करने का है जो उठाये गये मामलों से संगत नहीं हैं? क्या इस सभा के विशेषाधिकार के साथ ऐसा खिलवाड़ करना उचित है कि हर एक चीज को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये, यदि हममें से कुछ सदस्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत देते हैं तो इसका कारण यह है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की पवित्रता की सुरक्षा की जाये और उन्हें उछाला न जाये।

हो सकता है कि किसी विशेष अवस्था में मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हो गये हों कि प्रो० थैकर दोनों पद रख सकते हैं। यह सुझाव दिया गया था श्री कुमार मंगलम के कहने पर प्रो० थैकर ने बाद में सोचा कि वह त्यागपत्र दे देंगे, मैं नहीं समझता कि यह बात सच है। लेकिन यदि उसे सही भी मान लिया जाये, तो भी क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति

के पास भेजा जाना चाहिए ? मन्त्री महोदय ने 2 अप्रैल को जो कुछ कहा हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए । इन परिस्थितियों में इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के पास नहीं भेजा जाना चहिए ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा साधारण प्रश्न है । मन्त्री महोदय को कहना चाहिए था कि मैंने यह समझा कि यदि कोई व्यक्ति विशेष दो पदों पर आसीन रहता है तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ऐसा ठीक नहीं है अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । यदि मन्त्री जी ऐसा कहते तो मामला उठता ही नहीं और वहीं पर खत्म हो जाता ।

हम देखते हैं कि कांग्रेस दल के सदस्य किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अपने विचारों के सम्बन्ध में परस्पर विरोध कर रहे हैं । लेकिन मतदान के समय वे सभी एक ही ओर मत देंगे । इसलिये इस प्रश्न का निर्णय सभा द्वारा नहीं अपितु पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए कि क्या यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये अथवा नहीं । पीठासीन अधिकारी को इस जिम्मेदारी से कतराना नहीं चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को मालूम है कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष आता है और अन्तिम विश्लेषण में यह सभा ही सर्वोपरि है । चाहे मैं इस अवस्थान पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करूं अथवा अपना निर्णय दूं या न दूं वह अलग बात है पर ऐसा न करने पर पीठासीन अधिकारी पर यह दोष नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसका झुकाव इस ओर है या उस ओर है ।

श्री रबिराय का प्रस्ताव कुछ देर से परिचालित हुआ था । श्री कंवर लाल गुप्त उस पर संशोधन पेश कर रहे हैं और मैं उन्हें इसकी अनुमति दे रहा हूं :

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

कि श्री रबिराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में "2री" के बाद "और 24वी" रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सभा के समक्ष है ।

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : जहां तक इस विशेष विशेषाधिकार प्रस्ताव का सम्बन्ध है, वह मंत्री महोदय के आचरण के विरुद्ध है न कि प्रो० थैकर के । विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमें 2 अप्रैल के उत्तर तक ही सीमित रहना चाहिए । उसी दिन मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैंने प्रो० थैकर को न्यूयार्क जाने से पहले बताया था कि यदि वह बैंक-निदेशक बन गये तो वह इस समिति के सभापति नहीं रह सकेंगे । फैसला इस बात का करना है कि क्या मंत्री महोदय ने उन्हें आरम्भ में ही यह बता दिया था या उन्होंने पहले कुछ और कहा था जिसे उन्होंने 2 अप्रैल को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में नहीं बताया ।

अभिलेखों से पता चलता है कि मन्त्री महोदय ने यह बात स्वीकार की थी कि यदि प्रो० थैकर समिति के सभापति रहने के साथ-साथ निदेशक के पद पर आसीन रहते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है । क्रम यह है कि सबसे पहले समिति के सचिव ने मंत्रालय के सचिव को लिखा और उनसे अनुरोध किया कि मंत्री महोदय से सिफारिश की जाये कि यहां रहने के साथ-साथ प्रो०

थैकर को बैंक के निदेशक के पद पर आसीन होने की अनुमति दी जाये। इसके बाद 20 मार्च, 1968 को भी थैकर और मन्त्री महोदय की बातचीत हुई। अन्त में भी थैकर ने मन्त्री महोदय को पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि मुझे प्रसन्नता है कि कल की बैठक में उन्होंने वह स्थिति स्वीकार कर ली है। अब मन्त्री महोदय के अनुसार उन्होंने पहली बैठक में कहा था, "आप सभा-पति के पद पर नहीं रह सकते"। लेकिन यहां एक पत्र है जिसमें बिलकुल उल्टी बात कही गई है। मंत्री महोदय को सबसे पहले यह करना चाहिए था कि उसका खण्डन करते और उसे गलत बताते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे सिद्ध हो जाता है कि श्री थैकर के पत्र के तथ्य सही हैं। मंत्रालय के सचिव ने भी पत्र को फाइल करने का आदेश दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस स्थिति को स्वीकार कर लिया गया था।

दूसरे, दिनांक 2 अप्रैल को प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया था श्री थैकर के साथ उनकी पहली बैठक उनके (श्री थैकर के) न्यूयार्क जाने से पहले अर्थात् 28 मार्च को हुई थी। इसलिये वह पहली बैठक की बात को दबा रहे हैं जो उनके साथ 20 मार्च को हुई थी।

तीसरे, मंत्री महोदय ने वित्तीय संकट के कारण श्री थैकर की ग्रहणशीलता के प्रश्न पर भी सभा को गुमराह किया है। क्योंकि श्री थैकर ने उन्हें बताया था कि मेरे सामने वित्तीय कठिनाइयां हैं जिस कारण मैं निदेशक का पद भी ग्रहण करना चाहता हूं। यदि इस सभा में बहुमत से लाभ उठाकर ऐसे मामलों का निर्णय किया गया तो इस संसद की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायेगी। इसलिये इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : उपाध्यक्ष महोदय, समूची चर्चा तथ्यों से नहीं बल्कि सैद्धान्तिक पक्षपात से अधिक प्रभावित है और इस मामले को राजनैतिक रंग देने के लिये इस चर्चा का प्रयोग किया जा रहा है।

समिति का गठन इस समस्या का मूल कारण है। प्रो० थैकर ने बेईमानी की अपेक्षा अनौचित्य की कार्यवाही अधिक की है। यह मंत्री और प्रो० थैकर का मामला है और चर्चा के लिये यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हो सकते थे कि प्रो० थैकर बैंक-निदेशक का पद ग्रहण कर लें। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि मन्त्री महोदय ने प्रो० थैकर को स्पष्ट बता दिया था कि ऐसा करना केवल अनुचित ही नहीं है बल्कि यह उनकी वर्तमान स्थिति के विरुद्ध भी है और उन्हें बैंक के निर्देशक का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाद में इस बात को सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया जब उन्होंने यह कहा कि प्रो० थैकर ने उस स्थिति को स्वीकार न करने का निश्चय किया है। यह सभी पत्रव्यवहार इकतरफा था। मन्त्री महोदय इसमें शामिल नहीं थे। यदि सदस्यगण इस पत्र व्यवहार से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मन्त्री महोदय ने सभा को गुमराह किया, तो यह बिल्कुल गलत है।

यदि सदस्य महोदय यह मांग करते हैं कि इस पूरे काण्ड की जांच की जाये तो मैं उनसे सहमत हो जाता। लेकिन यदि वे विशेषाधिकार प्रस्ताव के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं। इससे कोई विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है क्योंकि मन्त्री महोदय ने अपने

वक्तव्य के दौरान सही बातें बताई थीं और बाद में भी उन्होंने इस सभा को गुमराह करने का कभी प्रयास नहीं किया और न ही इस सभा का विशेषाधिकार भंग किया।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : ऐसा प्रतीत होता है कि विधि मंत्री ने सभा के विशेषाधिकारों का महत्व कम कर दिया है। क्या यह विशेषाधिकार के प्रतिकूल है कि ऐसे मामले की, जिसके बारे में आरोप लगाया गया है कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने सभा का विशेषाधिकार भंग किया है, विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच की जाये।

2 अप्रैल, 1968 को गलत उत्तर देकर मन्त्री महोदय ने सभा को गुमराह किया है। एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि न्यूयार्क के लिये रवाना होने से पहले प्रो० थैंकर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने (प्रो० थैंकर ने) पेशकश को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। यह कथन बिल्कुल गलत है। बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि वह इस पेशकश को स्वीकार करने वाले थे।

एक सदस्य ने कुछ रिकार्ड और दस्तावेजों का उल्लेख किया है और उनका अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। कांग्रेस सदस्यों ने यह नहीं कहा कि पत्र झूठे और मनगढ़न्त हैं। अतः सभा को उन पत्रों तथा दस्तावेजों को सही प्रतियां मान लेना चाहिए।

24 अप्रैल को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा था "यदि यह सच भी होता कि मैंने श्री थैंकर के बैंक का निदेशक बनने के बाद भी समिति के सभापतित्व को संभाले रहने की बात को स्वीकार कर लिया होता तो भारत सरकार अथवा समिति का उनके साथ इस आशय का कोई न कोई पत्र व्यवहार अवश्य होता।" अतः मन्त्री महोदय यह अपेक्षा करते हैं कि इस बात को साबित करने के लिये कि उन्होंने श्री थैंकर की स्थिति को स्वीकार कर लिया था, रिकार्ड में कोई दस्तावेज अवश्य होना चाहिए, यह तर्क यह तो साबित कर सकता है कि मन्त्री महोदय का 2 अप्रैल का वक्तव्य गलत था। इसका मतलब यह हुआ कि प्रो० थैंकर ने मन्त्री महोदय की मौन स्वीकृति से डाइरेक्टरशिप स्वीकार की थी अथवा करने वाले थे।

यह स्वीकार कर लिया गया है कि प्रो० थैंकर 20 अप्रैल को मन्त्री जी से मिले थे। अगले दिन अर्थात् 21 अप्रैल को प्रो० थैंकर ने मन्त्रालय के सचिव को इस वार्तालाप के बारे में लिखा था और इस पत्र में उस पुराने पत्र का भी हवाला दिया गया था जिसमें शर्तें तय की गई थीं। जब मन्त्रालय के सचिव को यह पता था कि प्रो० थैंकर बैंक आफ इण्डिया की डाइरेक्टरशिप स्वीकार करने वाले हैं, तो फिर मन्त्री महोदय को इस बात का पता कैसे नहीं था ?

इसलिए मन्त्री महोदय ने इस बारे में जो कुछ कहा वह या तो सभा को गुमराह करने के लिये कहा गया था या फिर वह असत्य था। अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, सभा को अनेक सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिला। प्रश्न यह है कि क्या मैंने 2 अप्रैल को सभा को कोई गलत जानकारी दी थी ? प्रश्न यह भी है कि क्या प्रो० थैंकर ने बैंक आफ इंडिया की डाइरेक्टरशिप स्वीकार कर ली थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में

सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का था ? पहले प्रश्न के लिये मेरा उत्तर यह है कि प्रो० थैंकर को बैंक की डाइरेक्टरशिप की पेशकश की गई थी और वह बम्बई गये और वहां पर डाइरेक्टरों के बोर्ड की एक औपचारिक बैठक में उन्होंने कहा कि वह तीन या चार सप्ताह का समय चाहते हैं और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डाइरेक्टरशिप स्वीकार नहीं की है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने उस दिन जो बात कही थी उसके एक-एक शब्द के लिये मैं जिम्मेदार हूं।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री रंगा द्वारा पूछे गये अन्तिम प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था "जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उन्होंने बैंक के डाइरेक्टर बनने की पेशकश स्वीकार नहीं की थी…" जहां तक इस तथ्य का सम्बन्ध है, मैंने गलत सूचना नहीं दी थी।

न्यूयार्क जाने से पहले प्रो० थैकर मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने बैंक से तीन-चार सप्ताह का समय मांगा है। मैंने उनसे कहा कि यदि वह बैंक के डाइरेक्टर बन गये तो उनके लिये इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना सम्भव नहीं होगा। इसमें क्या असत्यता है ? उस दिन किसी भी सदस्य ने मुझसे यह नहीं पूछा था कि क्या प्रो० थैकर मुझे 20 मार्च को मिले थे और उन्होंने क्या कहा था या प्रो० थैकर मुझे 27 मार्च को मिले थे और उन्होंने मुझे क्या बताया था। उन्होंने केवल 29 मार्च को हुई बैठक का उल्लेख किया था। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बैंक के निदेशक के पद को स्वीकार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है। इसमें सभा को गुमराह करने या गलत बयान देने की कौन-सी बात है ?

मैंने 2 अप्रैल को तथा आज जो कुछ कहा उसका सारा रिकार्ड मौजूद है। मैंने सभा को गुमराह करने वाली कोई बात नहीं कही। अतः मैंने विशेषाधिकार भंग नहीं किया। अतः इस प्रस्ताव के सभा में पेश किये जाने का प्रत्यक्षतः कोई मामला नहीं है।

मैंने अपने 33 वर्ष के संसदीय जीवन में राज्य विधान मण्डल अथवा संसद के प्रति कभी भी कोई अनादर का भाव प्रदर्शित नहीं किया। मैं अपना काम हमेशा ईमानदारी व बफ़ादारी से करने का प्रयत्नशील रहा हूं। यदि मुझसे कोई गलती भी हो जाती तो मैं सबसे पहले संसद के समक्ष उसे ठीक करने तथा यह कहने के लिये आता कि मुझसे गलती हो गई है।

दूसरा, मेरे मित्र श्री कंवरलाल गुप्त ने कुछ पत्र पढ़े हैं। मैं नहीं जानता उन्हें ये सरकारी पत्र किस स्रोत से प्राप्त हुए। इसके अलावा जो प्रस्ताव लाया गया है, वह भी पूर्णतया निर्दोष नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker Sir, it has been the practice in this House and in the House of Commons that members try to get information in this way so that truth may be known. It is most unjustified to use such words for the Members who are doing good work. When a Member asks some information in public interest and is unwilling to discuss his source, it is not proper to accuse him that he has not come with clean hands. So I demand the hon. Minister should withdraw his words unconditionally.

Shri Shashi Bhushan Bajpai : If he is honest, he should disclose the source of information.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि वह भी पूर्णतया निर्दोष नहीं हैं। इन शब्दों पर "पूर्णतया निर्दोष नहीं हैं" आपत्ति उठाई गई है। जो प्रस्ताव

प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। केवल एक ही बात है और वह यह कि जिस तरीके से दस्तावेज प्राप्त किये गये हैं, उसे बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। परन्तु ऐसा करना उनका अधिकार है। इस लिये यह कहना उचित नहीं है कि क्योंकि प्रस्ताव पेश किया गया है, इसलिये आप पूर्णतया निर्दोष नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मंत्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री नाथ पाई : उन्हें पहले अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री रंगा : मन्त्री महोदय ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो उन्हें शोभा नहीं देते तथा अनुचित हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें।

श्री जी० भा० कृपालानी : मेरा प्रश्न स्थाई महत्व का है। हमने इस बात का निर्णय करना है कि क्या संसद् सदस्यों को यह बताना जरूरी है कि उन्हें सूचना कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई अथवा संसद् का काम सुचारु रूप से चलाने के लिये तथा देश की सेवा करने के लिये वे किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि जैसा कि समाचार पत्रों के सम्पादकों को यह बताना जरूरी नहीं है कि उन्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई, ऐसे ही संसद् सदस्यों को भी सूचना का स्त्रोत बताना जरूरी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में अध्यक्षपीठ द्वारा पहले एक विनिर्णय किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई सदस्य सरकार के किसी गोपनीय दस्तावेज को प्राप्त करता है चाहे उसके तरीके को अनियमित ही क्यों न कहा जाये- तो भी अध्यक्षपीठ उस सदस्य को यह बताने के लिये बाध्य नहीं करेगी कि उन्हें वह दस्तावेज कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ। अतः यह विनिर्णय बिलकुल स्पष्ट है।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि माननीय सदस्यों को जिस किसी स्रोत से भी उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है, जानकारी प्राप्त करने से रोका जायेगा, तो वे सभा का कार्य उचित ढंग से नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार में उन्हें यह बताने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जानकारी किस स्रोत से प्राप्त की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने दिया जाये। उप प्रधान मन्त्री ने मेरे विनिर्णय का समर्थन किया है तथा अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मन्त्री महोदय को अपने शब्द वापस लेने को कहा जाना चाहिये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनें। मैंने माननीय सदस्य को यह नहीं कहा है कि वह जानकारी का स्रोत बतायें, तथापि मेरे कथन से यदि माननीय सदस्यों की भावना को वास्तव में ठेस पहुंची है, तो मैं अपने शब्द बिना शर्त वापस लेता हूं। माननीय सदस्यों को मेरी भावना पर भी ध्यान देना चाहिये, क्योंकि मेरे विरुद्ध एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कोई सार नहीं है।

Shri Rabi Ray : My main allegation against the Industry Minister, Shri F.A. Ahmed is that it has been proved without doubt that he has knowingly and consciously misled the House.

I want to bring it before the House that Mr. Thacker met the Minister on 27th and 29th. This meeting was held before his going to America. I want to know, when the

meeting was held before his going to America, why he was allowed to go to America with the official delegation ? When this matter was raised in Parliament on 2nd, he was recalled from New York. It shows that an attempt has been made to hide the truth.

I would request the Congress Party Member and its leaders that this matter should not be considered as a party matter but they should think over it with cool mind. It is a vital question for the survival of our democracy. I would request the Deputy Prime Minister who is sitting in the House as a leader of his party, that no whip should be issued to congress members regarding this matter and they should be given freedom to vote with the opposition. It is not a question of congress or opposition, but it is a question—rather a test of our democracy.

श्री नाथपाई (राजपुर) : इससे पूर्व कि आप इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखें, में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आप का ध्यान नियम 226 और 227 की ओर दिलाना चाहता हूँ।

नियम 226 इस प्रकार है "यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाये, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।

नियम 227 इस प्रकार है :

"इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा।

मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय ने गलती से यह समझा हुआ है कि हम उन्हें दोषी ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु प्रस्ताव में कोई ऐसी बात नहीं है। हम मंत्री महोदय को दोषी ठहराना नहीं चाहते। हमने तो यह कहा है कि मंत्री महोदय के दोनों वक्तवय परस्पर विरोधी हैं। अतः इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह पैदा हो गया है, इसलिये मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ताकि वहाँ इस पर निष्पक्ष रुप से सविस्तार विचार किया जा सके और सचाई का पता लगाया जा सके। साथ ही मैं उपप्रधान मंत्री से भी यह निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में कांग्रेस के बहुमत का प्रयोग न करें तथा इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये राजी हो जायें।

महोदय मैं आप से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्वविवेक से इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपे। महोदय नियमों के अन्तर्गत आप को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है।

श्री रा० दो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक बार नियम 226 लगाये जाने के बाद नियम 227 को लागू नहीं किया जा सकता। प्रार्थना करना अध्यक्ष पीठ तथा माननीय सदस्यों पर दबाव डालना है। इस लिये यहां नियम 226 लागू नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य की बात सुन ली है। उन्होंने अध्यक्ष पीठ के अधिकार की ओर ध्यान दिलाया है। यदि मुझे स्वयं स्वविवेक से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना होता तो, मैं पहले ही यह निर्णय करता। यदि माननीय सदस्य की मांग के अनुसार मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप भी देता हूँ, तो भी अन्ततः विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर इस सभा का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसलिये जहां तक

विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध है अन्तिम निर्णय सभा को करना हैं।" सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस मामले को पुनः विशेषाधिकार समिति को सौंपे अथवा इस में संशोधन करे। इसलिये, यद्यपि श्री नाथ पाई की बात संगत है तथा उन्होंने मुझ से प्रार्थना भी की है, तथापि इस समय मेरे लिये इस मामले को अपने निर्णयानुसार विशेषाधिकार समिति को सौंपना उचित नहीं है। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

Shri Rabi Ray: Mr. Deputy Speaker, my submission is that you should refer this matter to the privilege Committee. Justice demands this.

श्री पीलू मोडी : नियमों के निर्माताओं ने यह सोच कर कि सभा के समक्ष उत्पन्न हुए जांच आदि के प्रश्न को केवल बहुमत के आधार पर अस्वीकृत न किया जाये, आप को स्वाविवेक की शक्तियां दी हैं। आप ने दोनों पक्षों के तर्क सुन लिये है और आप यदि अब स्वविवेक से निर्णय नहीं करते हैं, तो यह सभा की कार्यवाही के लिये दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The motion was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब में मुख्य प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"जब कि इस सभा की राय है कि इस बात की जांच करना स्पष्टतया आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा 2 अप्रैल, 1968 को दिये गये उत्तर के कारण उनके द्वारा सभा के विशेषाधिकार को भंग किया गया है अथवा नहीं, अतः यह सभा संकल्प करती है कि यह विषय विशेषाधिकार समिति को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ सौंप दिया जाये"।

सभा में मतदान हुआ

The Lok Sabha dividd

पक्ष में 78; विपक्ष में 145

Ayes 78, Noes 145

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं केन्दीय सरकार द्वारा 1968-69 में प्राप्त किये गये बाजार ऋणों के बारे में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 4(4)-डब्ल्यू एण्ड एम/68 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1044/68**]

नौवहन विकास विधि (ऋण) संशोधन नियम

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं डा० वी० के० रा० वी० राव की ओर से व्यापरिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि (ऋण) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 665 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1046/68**]

अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय पुलिस सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 690 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासन सेवा (एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 691 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासन सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 692 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1045/68**]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही का सारांश

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलराम पुर) : मैं सरकारी अश्वासनों सम्बन्धी समिति की तेरहवीं से उन्नीसवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं :

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

दूसरा प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलराम पुर) : मैं सरकारी आस्वासनों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

साक्ष्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पचपनवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुबय्या (नन्द्याल) : मैं भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के तेहतरवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का पचपनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

उन्नीसवां तथा बीसवां प्रतिवेदन

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मैं सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ;

(1) सरकारी उपक्रमों के नगरों और कारखानों-भवनों के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक-सभा) के आठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में उन्नीसवां प्रतिवेदन ।

(2) नेशनल बिल्डिंगस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक-सभा) के पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में बीसवां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : महोदय, 29 अप्रैल, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची में लिखित सरकारी कार्य की कोई मद जिस पर आज विचार न किया जा सके ।

(2) वर्ष 1968-69 के लिए अनुदानों की मांगों (उत्तर प्रदेश) पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) नागरिक सुरक्षा विधेयक, 1967
विचार तथा पास करना

(5) पाँडिचेरी विधियों का विस्तारण विधेयक, 1967
विचार तथा पास करना

(6) केन्द्रीय विधियां जम्मू तथा काश्मीर पर विस्तारण विधेयक, 1967
विचार तथा पास करना

(7) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण नियम, 1968 में रूपभेद के लिये प्रस्ताव पर जिनकी सूचना सर्वश्री श्रीनिवास मिश्र, और मधु लिमये द्वारा दी गई, पर गुरुवार, 2 मई, 1968 को 5-30 बजे म० प० पर विचार ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आगामी सप्ताह के लिये सभा का जो कार्य घोषित किया गया है, उसमें तीन अथवा चार महत्वपूर्ण बातों को जिन पर हमने चर्चा करने की मांग की थी शामिल नहीं किया गया है। हमने स्वचालित संगणकों से चालू किये जाने के बारे में चर्चा करने की माँग की थी । इस की अनुमति दी जानी चाहिये । माननीय गृह-कार्य मंत्री को पुलिस-मैनों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य देना चाहिये । हरियाणा में राष्ट्रपति का राज लागू है । वहाँ 200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सताया गया है । राज्यपाल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है । गृह मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये ।

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

मैंने जिन तीन बातों मदों का ऊपर उल्लेख किया है, उन्हें सभा के आगामी सप्ताह के कार्य में शामिल किया जाना चाहिये। ये तीनों बातें अर्थात पुलिस की हड़ताल, स्वाचालित संगणकों का लगाया जाना और हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इन पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये तथा इसके बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मन्दसौर) : मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि वित्त विधेयक के पारित किये जाने के बाद कुछ 'न नियत दिन वाले प्रस्तावों' को लिया जायेगा । इस पत्र में कोई भी 'न नियत दिन वाला प्रस्ताव' नही लिया गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि यदि इन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती तो इन्हें पेश करने और स्वीकार करने का क्या लाभ है ? अतः मैं संसद कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कुछ न नियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिये समय निकाला जाये ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सत्र के आरम्भ में यह निर्णय किया गया था कि कुछ "न नियत दिन वाले प्रस्तावों" पर चर्चा की जायेगी । अब सत्र समाप्त होने वाला है, अतः मेरा सुझाव है कि कुछ ऐसे "न नियत दिन वाले प्रस्तावों" पर चर्चा की जानी चाहिये, तथा जिन्हें सभा में चर्चा के लिये चुना गया था ।

रामाकृष्णापुरम सरकारी कर्मचारियों की सब से बड़ी बस्ती है । वहां पानी की बहुत कमी है । इस सम्बन्ध में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अल्प सूचना प्रश्न पेश किये गये थे, परन्तु उन को स्वीकार नहीं किया गया । निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री को पानी की स्थिति के बारे में और विशेष रूप से रामाकृष्णापुरम की पानी की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

पुलिस का प्रश्न यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । हजारों लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है तथा उन में से बहुत से लोग हड़ताल पर हैं । इस सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

हरियाना में राष्ट्रपति का राज लागू है वहां के सरकारी कर्मचारियों में भारी असंतोष है । कुछ कर्मचारी भूख हड़ताल पर है तथा सैंकड़ों कर्मचारियों को सताया जा रहा हैं । इस सम्बन्ध में एक वकतव्य दिया जाना चाहिये ।

इन सब बातों को आगामी सप्ताह के सभा के कार्य में शामिल किया जाना चाहिये ।

Shri George Fernandes (Bombay South): I suppose the view expressed by the hon. Members just now that statements should be made regarding Police and automation. At the same time I would request the Railway Minister to give a statement regarding the difficulties of passengers, because the Railway Trains have been running late since last 15 days and many trains have been cancelled. The Communal riots are on increase in the Country. The Home Minister should make a statement in this regard.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): The question of Haryana Government employees is a very emplicated one. Two Employees are on hunger strike since 31st March and they have been arrested in Chandigarh on 12th April and sent to Ambala Jail. Though the Governor has stated that they are feeling at home in the Jail, yet the doctor has certified that their condition is such that they are not able to go to the court for tendering evidence. In addition to this the second batch of the employees has also been arrested and the third batch is on hunger strike. The Home Minister should mediate in this matter and try to solve the problem. A categorical statement should be given by the Home Minister in this regard and this item should be included in the next week's business of the House.

श्री उमानाथ (पुदुकोटे) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि सभा के आगामी सप्ताह के कार्य में स्वचालित संगणकों के लगाये जाने तथा पुलिस वालों की भूख-हड़ताल के बारे में चर्चा करने के लिये समय निश्चित किया जाये ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The condition of policemen is very pitiable. Nearly 42 Members have written to the Minister in this regard, but no answer has been received from the Minister. A statement should be given by the Minister regarding Government's policy in regard to Police.

श्री सोनवाने (पेंढरपुर) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है । मैं माननीय संसद-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस सत्र के समाप्त होने से पहले इस पर चर्चा करने के लिये समय निश्चित किया जायेगा ।

श्री समर गुह : में चाहता हूं कि पुलिस के बारे में तथा साम्प्रदायिक दंगों के बारे में सभा में वाद विवाद होना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : कार्य परामर्शदात्री समिति में जो आश्वासन दिये गये हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा । यह कार्य 29 तारीख से आरम्भ होने वाले सप्ताह का है । इस सप्ताह में वित्त विधेयक पास करना तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बजट पास करने हैं । मैं समझता हूं इस सप्ताह और किसी कार्य को लेना संभव नहीं है । अतः मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिका के कृत्यों का प्रथक्करण) विधेयक

UNION TERRITORIES (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिका के कृत्यों के पृथक्करण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिका के कृत्यों के पृथक्करण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनीसवें प्रतिवेदन से, जो 24 अप्रैल. 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनीसवे प्रतिवेदन से, जो 24 अप्रैल, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 217)

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्रमिक (प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेना) विधेयक

LABOUR (PARTICIPATION IN MANAGEMENT) BILL

श्री निवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक अथवा वाणिज्य का उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा उन उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने तथा आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक अथवा वाणिज्य का उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा उन उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने तथा आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 90, 92 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 90, 92 etc.)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

(धारा 6 का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 6)

श्री मणीभाई जे० पटेल (दमोह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Ordinarily a bill introduced by a Private member should not be opposed at the introduction stage. This principle has always been adhered to by the House. This bill deals with the salaries and allowances of the Members of Parliament. It proposes to make a provision that if a Member is unable to get a room in the 1st Class compartment due to rush, he should be allowed to travel by air conditioned coach. I strongly oppose it. At the same time I demand that the facility of travelling by air conditioned coaches should not be given to anyone—be he a minister, an officer or a member of the Railway Workers' Federation. This bill should be withdrawn.

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 86क का रखा जाना)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

Insertion of New Section 86A

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

(धारा 3, 6 आदि का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 3, 6 etc.)

Shri P.L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Chairman, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliaent Act, 1954 be taken into consideration".

This bill was introduced by me during the last session. This bill is in confirmity with the needs of members of Parliament and my attempt has been to get the cooperation of the opposition Members for getting this bill passed I would request the hon. Members belong ing to all parties to co-operate with me in regard to this bill and get it passed.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री माननीय सदस्य अपने अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये अगले सत्र के पहले दिन तक के लिये परिचालित किये जाये।"

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये 2 सितम्बर, 1968 तक के लिये परिचालित किया जाये"

श्री गार्डिलिंगन गौड (कुरनूल) : लगभग 15 दिन पहले सब दलों की एक अनौपचारिक समिति का गठन किया गया था। उस समिति की लगभग चार बैठकें हुई थी समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि यदि आप चाहते हैं कि संसद् सदस्य जनता की सेवा ईमानदारी से और अधिक दक्षता से करें, तो उन्हें आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहियें। समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि सदस्यों के वेतन अथवा भत्ते में वृद्धि की जाये, अपितु समिति ने यह सिफारिश जरूर की थी कि सदस्यों को आवश्यक सुविधायें अवश्य ही दी जानी चाहियें। अब मुझे बताया गया है कि बहुत सी सिफारिशों को इस मामले की संयुक्त समिति को सौंपने और नियमों में परिवर्तन करने से सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले को दोनों सदनों की नियमों सम्बन्धी संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My suggestion is that this Bill should neither be referred to a joint Parliamentary Committee, nor it should be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon. I would request the hon. Mover of the Bill to withdraw this Bill. Thereafter a resolution may be passed by the House and a Committee of 10 or eleven Members may be constituted in pursuance of the Resolution. That Committee will make unanimous recommendation and on the basis of those recommendations a bill should be presented by Government itself.

श्री तेन्नेन्टि विश्वानाथम (विशाखापतनम्) : महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ विवादस्पद बातें कही गई हैं। मैं समझता हूं कि इन विवादों को दूर करने के बारे में सरकार को पहल करनी चाहिये थी। जब मंत्रियों के वेतन आदि के बारे में कोई बात कही जाती है, तो वे आशा करते हैं कि सदस्य उनके पक्ष में मत दें, परन्तु जब सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में कुछ कहा जाता है तो वे कहते हैं कि यह सदस्यों का मामला है तथा उन्हें आपस में फैसला करना चाहिये और यदि सदस्य गण आपस में कोई फैसला कर लेते हैं, तो वह मान्य होगा। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि इस विधेयक को एक समिति को सौंपा जाये। वास्तव में इसको एक समिति को सौंपा गया था तथा उस समिति में सभी दलों के सदस्य हाजिर थे। एक तथा दो बात को छोड़ कर बाकी शेष बातों पर सहमति प्राप्त कर ली गई थी। मैं समझता हूँ कि मेरे नाम में तथा अन्य कई सदस्यों के नाम में जो संशोधन हैं, वे वस्तुतः उस समिति की सहमति पर तैयार किया गया था। अब यदि कोई मतभेद बाकी है, तो उन्हें विभिन्न ग्रुपों के नेताओं द्वारा आपस में दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अधिनियम में संशोधन किये बिना ही नियमों में परिवर्तन करके स्वीकार किया जा सकता है। अतः इस विधेयक को नियम समिति को सौंपा जाना चाहिये और वह जिन-जिन बातों के बारे में सर्वसम्मत सिफारिश करे उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये।

मेरा निवेदन तो यह है कि संयुक्त समिति इस मामले पर विचार कर सकती है। हमें इस सम्बन्ध में बहसबाजी में पड़ने तथा एक दूसरे की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि संसद कार्य मंत्री इसे उस समिति को सौंपने के बारे में संशोधन पेश कर सकते हैं, तो हमें इस पर सभा में विचार-विमर्श करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक गरीब देश है और हमें जनता को या अपने सदस्यों को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि हम अपने बारे में आवश्यकता से अधिक दावे कर रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

इस प्रश्न पर इस समय इतने विस्तार में जाने के बदले मैं संसद कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसे संयुक्त समिति के पास भेजने के लिये एक संशोधन पेश करें और वह समिति जो भी फैसला करे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : प्रस्तुत विधेयक के गुण-दोषों में न जाकर मैं इस गलत धारणा को, जो पैदा की गई है, दूर करना चाहता हूँ कि विभिन्न दलों के सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों की एक समिति में विचार किया और वे कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे और अब कुछ सदस्य अथवा दल उनसे मुकर गए हैं। जहाँ तक मेरे दल का सम्बन्ध है, हमने अपने प्रतिनिधि श्री कन्डप्पन के माध्यम से यह स्पष्ट बता दिया था कि हम पेंशन योजना, पी० टी० ओ० नौकर के लिये पास आदि के सम्बन्ध में प्रस्तावित व्यवस्था से सहमत नहीं हैं, इसलिये इस प्रक्रम पर ऐसा कहना उचित नहीं है कि ये सभी चीजें सर्वसम्मति से स्वीकार की गई थीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने राय दी है कि प्रस्तुत विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया जाना चाहिए, आदि। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को पारित करने में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हमनें खुद अपने फायदे के लिये मतदान करने में जल्दबाजी में हैं। यह सच है कि हमें कुछ सुविधाओं की जरूर आवश्यकता है। किन्तु वे सुविधायें क्या हों और वे किस प्रकार दी जायें आदि मामलों पर एक ऐसी समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदस्य या इस सभा द्वारा चुने गये सदस्य हों।

विधेयक में एक उपबन्ध ऐसा है कि दैनिक भत्ता 50 रुपये होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इस उपबन्ध पर अभी तक किसी ने अपनी स्वीकृति दी है। इसके अलावा विधेयक में बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनका प्रारूप अच्छी तरह तैयार नहीं किया गया है और अच्छे शब्द नहीं चुने गये हैं। कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हम सहमत हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर हम सहमत नहीं हैं। इसलिए प्रस्तुत विधेयक पर उसके वर्तमान रूप में मतदान करना कठिन काम है अतएव इसे सुझायी गई समिति को सौंपना बेहतर होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, as representatives of the people it is our responsibility to see that we do not take any undue advantage of our position and secure for ourselves such facilities as are not concerned with discharging our duties.

It is wrong to say that all these things provided in the Bill have been agreed to unanimously. I want to make it clear that we do not agree to certain provisions in the Bill. For instance, I am opposed to the grant of free railway first class 'A' pass, P.T.O.'s facility of travelling by air by paying the difference between railway first class 'A' fare and the air fair and the pension scheme. I am also opposed to the members getting treatment from their personal physicians at Government expenses. They should get treatment from Government Hospitals functioning all over the Country.

It is true that a Member has to discharge multiferious duties which devolve upon him after his election. He should, therefore, have some reasonable perquisitives. In this connection I would like to say that every body cannot afford to spend from his pocket, some poor people are also there as members. So certain postal facilities for parliamentary and public work and stenographic assistance should be provided. There can be a pool of stenographers in parliament for this purposes certain telephone facilities in the constituency can also be provided. Jeeps for touring the constituency free of cost should not be provided but jeeps can be made available on hire.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : संसद सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिये किंतु वे ऐसी होनी चाहिएं कि लोग यह महसूस न करें कि हम विधान बनाने की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हर संसद सदस्य इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने जेब से खर्च कर सके । लेकिन हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि हमारे देश में बहुत से लोग गरीब हैं और कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं और हम उनके लिये कुछ नहीं कर पाये हैं । यह मेरी व्यक्तिगत राय है । इस समय सरकार संसद सदस्यों को 31 रुपये रोज दैनिक भत्ते के रूप में दे रही है जो दिल्ली जैसी जगह के लिये काफी नहीं है । रहन-सहन की लागत बढ़ गई है । जब हम दिल्ली में होते हैं, तो हमारे पास बहुत-से मेहमान आते हैं । हमें उनका केवल सत्कार ही नहीं करना पड़ता अपितु उन्हें वापस भेजने के लिए रेलवे के टिकट तक खरीदने पड़ते हैं, इसलिये दैनिक भत्ता 31 रुपये के बदले 51 रुपये होना चाहिए ।

संसद सदस्यों को पेंशन की मांग नहीं रखनी चाहिए । इसके अलावा मकान किराये के रूप में उन्हें जो लगभग 75 रुपये देने पड़ते हैं, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । संसद सदस्यों को पानी और बिजली का खर्च देने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इस पर भी कोई खास ज्यादा खर्च नहीं आता ।

जहां तक डाक सुविधाओं का प्रश्न है, मैं महसूस करता हूँ कि प्रत्येक संसद सदस्य को लगभग 50 रुपये की डाक टिकटें दी जानी चाहिए ताकि वह अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों तथा सरकार के साथ पत्र व्यवहार कर सके । निःशुल्क टेलीफोन की सुविधा तो हमें मिल ही रही है ।

प्रत्येक सदस्य के लिये अलग स्टेनोग्राफर की व्यवस्था करने के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इस व्यस्था का दुरुपयोग होने की सम्भावना है । अतः संसद भवन में जो स्टेनोग्राफर हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा से लाभ उठा सकें ।

संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ट्रैक्टर दिये जाने का सुझाव अनुचित हैं अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । 'ए' श्रेणी रेलवे पास दिया जाना चाहिए लेकिन तीसरे दर्जे का कोई अतिरिक्त टिकट नहीं दिया जाना चाहिए । यह प्रस्ताव कि सदस्य के परिवार तथा आश्रितों को जिनकी संख्या एक बार में छः से अधिक न हो, सारे देश में यात्रा करने की सुविधाएं दी जायें, एक दम अनुचित है । इसके बजाये दो सप्ताह में कम से कम एक बार विमान से यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिये ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान अपने चुनाव-क्षेत्र में आसानी से आ-जा सके । यदि कोई संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा देश में कहीं अन्यत्र जाना चाहे, तो उससे रेलवे टिकट और विमान भाड़े में अन्तर की राशि लेकर उसे विमान से यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में समिति में एक मत नही था। इस विधेयक के कुछ पहलु आपत्तिजनक हैं और उसे उसके वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए। विधेयक में मुफ्त बिजली निःशुल्क मकान तथा 50 रुपये दैनिक भत्ते के अलावा यह भी मांग की गई है कि प्रत्येक सदस्य को तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त टिकट भी दिया जाये। इस रूप में विधेयक का समर्थन नहीं किया जा सकता।

सदस्यों की कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये उन्हें बहुत पत्र-व्यवहार करना पड़ता है और इस प्रयोजन के लिये उन्हें पार्टटाइम स्टेनोग्राफर रखने पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक सदस्य के लिये स्टेनोग्राफर की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें मुफ्त डाक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। इसके अलावा संसद में प्रत्येक ग्रुप या दल के लिये स्टेनोग्राफर की व्यवस्था करना आवश्यक है। निःशुल्क ट्रंक कॉल की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा सकता है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ और इसे वापस किया जाना चाहिए। संसद सदस्यों की वास्तविक कठिनाइयों को जानने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Srinagar) : I rise to support the bill moved by Shri P. L. Barupal. While considering its provisions and aspects we should not criticise each other. We are being paid Rs. 31 as daily allowance which is not at all enough here in Delhi. The cost of living has gone up. There is, therefore, need to increase salaries and allowances of Members of Parliament. The present salaries and allowances are not adequate to meet the expenses in view of the rising prices.

The Minister of Parliamentary Affairs has in addition to his ministerial duties, a special responsibility to maintain the dignity of this august House. I would, therefore, urge upon him to constitute a committee to go into the needs of Members of Parliament and their expenditure on public work. The Government should bring forward a Bill in the light of the recommendations of that Committee.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Sir, after the introduction of the Bill an informal committee constituting of a representative from each of the political parties was constituted. The Bill as well as the proposed amendments were considered by the committee and after their deliberations all these things were agreed to almost unanimously.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह तो ठीक है। लेकिन उसकी कोई वैधानिक मान्यता तो नहीं है क्योंकि उल्लिखित समिति इस सभा की नियमानुसार गठित समिति नहीं थी और इस लिये उसकी कोई पद-स्थिति ही नहीं थी।

Shri Tulshidas Jadhav : Sir, I did not say that it was a committee of the House what I urge at this stage is the matter can be further discussed by the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament or another committee Consisting of representatives of different political parties.

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस सभा के सदस्यों को विश्व की अनेक संसदों में काम करने वाले लिपिकों से भी बहुत कम लाभ तथा वेतन मिलते हैं। किन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे देश में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जिन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता—जो केवल किसी तरह जी रहे हैं और जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरा दल यह जानते हुए भी कि

हमें अपने लिये सुविधाएं बढ़ाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है संसद सदस्यों की सुविधाएं बढ़ाने के विरुद्ध है। लेकिन देश के उन लाखों लोगों की जो हाड़-मांस के ढांचे मात्र हैं, और अच्छे ढंग से सेवा करने के लिये हमें अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए । मेरा निजी अनुभव यह है कि मैं रात के 12 बजे तक काम करता हूँ और फिर सुबह 6 बजे काम पर लग जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि मुझे संसदीय पत्रों को देखने तक की फुरसत नहीं मिलती, न मुझे कोई पुस्तक पढ़ने का मौका मिलता और न कोई लेख लिखने का, इसके अलावा मैं उन पत्रों का जवाब तक नहीं दे सकता जो मुझे निर्वाचिकों से प्राप्त होते हैं।

मुझे बंगाली में दर्जनों पत्र प्राप्त होते हैं। यदि मुझे उपलब्ध निकाय (पूल) से एक सचिव मिल भी जाये, तो वह बंगाली पत्रों को कैसे पढ़ पायेगा और उनके उत्तर दे पायेगा ? अतः प्रत्येक सदस्य को एक स्टेनो टाइपिस्ट-सचिव मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि संसद सदस्यों को निःशुल्क टेलीफोन और डाक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। तीसरी बात यह कि जो सदस्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं उन्हें कुछ परिवहन सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्रों के लोगों से सम्पर्क बनाये रखने तथा वहां आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है।

जहाँ तक प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है, मैं उसके गुण-दोषों पर तो जाना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उसके वर्तमान रूप में पूर्णतया परिवर्तन करने की जरूरत है। इस बात पर विचार करने के लिये कि हम जनता की सेवा करने की दृष्टि से अपनी कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभी दलों की ओर से अब तक दिये गये भाषणों से मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि प्रस्तुत विधेयक का उसके वर्तमान रूप में सभी ओर से विरोध किया जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि इस अनौपचारिक समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं लेकिन उसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है क्योंकि वह सभा की नियमानुसार गठित समिति नहीं है।

लेकिन सभा में दिये गये भाषणों से स्पष्ट है कि कुछ सुविधाएं आवश्यक हैं। कौन कौन सी सुविधाएं जरूरी हैं और कौन-कौन सी नहीं हैं, इस बात पर इस समय यहां विचार नहीं किया जा सकता।

इस मामले पर एक छोटी सी समिति, जैसा कि सुझाव दिया गया है, विचार कर सकती है। लेकिन इस प्रश्न पर पहले मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहूंगा।

इस प्रश्न पर सभी दलों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना भी जरूरी है। श्री उमानाथ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : हमारे दल ने विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार नहीं किया है। हम इस विधेयक का पूर्णतय विरोध करते हैं। निःशुल्क पास के अलावा हमें यात्रा-भत्ता एक पहले दर्जे का अतिरिक्त यात्रा-भत्ता और एक तीसरे दर्जे का अतिरिक्त यात्रा-भत्ता मिलता है, जो पर्याप्त है। हम प्रस्तुत विधेयक इन सभी उपबन्धों को जिनमें दूसरे दर्जे का पास, पेंशन, किराया-मुक्त आवास आदि की व्यवस्था है, मौलिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिये हम प्रस्तुत विधेयक का घोर विरोध करते हैं।

ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि इसे विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। हम इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उसका अर्थ यह होगा कि एक ऐसे विषय को

प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है जिसका हम विरोध करते हैं। फिर भी तदर्थ समिति बनाने के प्रस्ताव पर, जो आपने रखा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की समिति सर्वसम्मति से जो कुछ भी निर्णय करे उसे विधेयक के रूप में पेश किया जासकता है।

कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना जरूरी है, उदाहरणार्थ यदि हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा दी जाये तो उससे हमें जनता की और अच्छी तरह सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार डाक सुविधाओं के सम्बन्ध में है। लेकिन प्रत्येक संसद सदस्य को स्टेनोग्राफर नहीं दिया जाना चाहिए। यदि संसद में मान्यता प्राप्त प्रत्येक दल अथवा वर्ग को उसी तरह एक स्टेनोग्राफर भी दे दिया जाये जिस तरह उन्हें कार्यालय-कक्ष दिये गये हैं, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

Shri Sheo Narain (Basti): Sir, I strongly oppose the Bill moved by Shri P.L. Barupal. A unanimons decision was taken by the representatives of different political parties to secure certain facilities for members of Parliament and all these proposals were duly considered by them and agreed to unanimously. But now almost all political parties in the House are opposing the bill tooth and nail and similarly I am also opposed to it in toto. As the Bill has not received a general support from various groups, I will request the mover to withdraw his bill.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सुझावों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इसे संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी समिति के पास न भेजकर किसी ऐसी अन्य समिति को सौंपेंगे जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा और जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। लेकिन हमें ऐसी धारणा को जन्म नहीं देना चाहिए जिससे ऐसा समझा जाये कि हम अपने वेतनों आदि के लिये विवाद कर रहे हैं।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभाग सिंह) : प्रस्तुत विधेयक शुरू से हैं विवादास्पद सिद्ध हुआ है। इसके उपबन्धों के बारे में सभी एकमत नहीं हैं फिर भी रियायतों के सिद्धान्त को प्रत्येक ने वस्तुतः स्वीकार किया है। कुछ सुविधाएं देने के बारे में हर दल ने सहमति प्रकट की है। श्री गुलाम मुहम्मद बक्शी का यह सुझाव बहुत उपयुक्त तथा विचार करने योग्य है कि संसद सदस्यों को जिन परिस्थितियों में काम करना होता है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः इस प्रश्न पर कि संसद सदस्यों को क्या-क्या रियायतें तथा सुविधाएं दी जानी चाहिए। एक समिति विचार कर सकती है। सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में दोनों सदनों की एक समिति है। वही समिति इस प्रश्न पर विचार कर सकती है। इस समिति में इस प्रयोजन के लिये हम आपकी अनुमति से विधेयक के प्रस्तावक, एक निर्दलीय सदस्य तथा मेरा नाम जोड़ा जा सकता है। लेकिन यह समिति पूर्णातः एक अलग समिति होगी। इस समिति का गठन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा और राज्य सभा के सभापति से उसके आधे सदस्यों को नामजद करने का अनुरोध किया जायेगा। इस समिति में प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

इसे एक समिति को सौंपा जायेगा जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित किया जायेगा। अतः मैं श्री प० ला० बारुपाल से निवेदन करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

Shri P.L. Barupal (Ganganagar): The House has appreciated the spirit of my Bill in general and I would like to withdraw my Bill in view of the explanation of the Minister of Parliamentary Affairs and Communications.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की सभा अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां,

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Bill was, by leave, withdrawn

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और अन्य सुविधाओं के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SALARIES AND ALLOWANCES AND OTHER AMENITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

डा० राम सुभागसिंह : मैं प्रस्ताव पास करता हूँ :

'कि श्री पन्नालाल बारूपाल के संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, पर 26 अप्रैल, 1968 को लोक-सभा में हुए वाद विवाद के सन्दर्भ में संसद के सदस्यों को वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के विषय में और सुविधायें देने के प्रश्न को उसकी जांच तथा प्रतिवेदन देने के लिये दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जो लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट की जायगी ;

कि इस समिति के 21 सदस्य होंगे, 14 इस सभा के और 7 राज्यसभा के ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे संयुक्त समिति में परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 7 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रस्ताव को अब सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह हैं :

"कि श्री पन्नालाल बारूपाल के संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, पर 26 अप्रैल, 1968 को लोक-सभा में हुए वाद-विवाद के सन्दर्भ में संसद के सदस्यों को वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के विषय में और सुविधायें देने के प्रश्न को उसकी जांच तथा प्रतिवेदन देने के लिये दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जो लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी ;

कि इस समिति के 21 सदस्य होंगे, 14 इस सभा के और 7 राज्य सभा के ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्त्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 7 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक

ALL-INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि भारत के लिये एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, समस्त भारत के लिये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे अगले सात्र के प्रथम दिन तक परिचालित किया जाये ।"

मैंने पहले भी इसी तरह का एक विधेयक प्रस्तुत किया था लेकिन तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री के इस आश्वासन पर कि सरकार इसी तरह का एक विधेयक लायेगी, मुझे वह विधेयक वापस लेना पड़ा था । लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कुछ नहीं किया है । सरकार ने नियम तथा विनियम बनाने के लिये एक समिति तो बनाई है लेकिन इस समिति की अभी तक कोई बैठक ही नहीं हुई है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

इसीलिये इस विधेयक को उस पर जनमत जानने के हेतु उसे परिचालित करने के लिये फिर से लाया गया है ।

जब मैंने पहली बार विधेयक पेश किया था, तो सभी सदस्य उसके पक्ष में थे । इस विधेयक के सम्बन्ध में भी, मैं समझता हूं उनका वही दृष्टिकोण होगा । सरकार ने देशी चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से पहले भी कई समितियाँ नियुक्त की थीं । सभी समितियों ने सिफारिश की है कि देशी चिकित्सा प्रणाली पर नियन्त्रण रखने के लिये एक चिकित्सा परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है । इसलिये इस विधेयक को फिर से लाना जरूरी हो गया है ।

आजकल देशी चिकित्सा तथा तत्सम्बन्धी शिक्षा की कोई संगठित प्रणाली नहीं है । एक राज्य की शिक्षा दूसरे से भिन्न है । यहाँ तक कि पाठ्यक्रम की अवधि भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है । आयुर्वेदिक शिक्षा तथा चिकित्सा का स्तर बनाये रखने के लिये कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है । 10 विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में आयुर्वेदिक प्रणाली चालू की है लेकिन उन्होंने आयुर्वेद के अध्यन के लिये प्रवेशार्थियों की योग्यता तथा पाठ्यक्रम की अवधि आदि के सम्बन्ध में कोई एक रूपता नहीं अपनायी है । उसमें भी उन्होंने एलोपैथिक प्रणाली शामिल कर दी

है और इससे चिकित्सकों को न तो आयुर्वेद का ही पूर्ण ज्ञान होता है और न ही एलोपैथिक का, वे अपने नाम तो आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रूप में दर्ज कराते हैं लेकिन प्रयोग करते हैं एलोपैथिक दवाइयों का, इस प्रकार की प्रणाली की कड़ी आलोचना हुई है और वास्तव में यदि शिक्षा प्रणाली यही रही तो 10 वर्ष के बाद आयुर्वेद के ग्रन्थों को समझने वाला भी कोई नहीं रहेगा । अतः एक ऐसा नियंत्रक- कार्यालय होना जरूरी है जो आयुर्वेदिक शिक्षा तथा चिकित्सा का मान दण्ड निर्धारित कर सके । यही इस विधेयक का उद्देश्य है ।

प्रस्तुत विधेयक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् की व्यवस्था है जो भारतीय चिकित्सा परिषद के समान ही होगी और शिक्षा तथा चिकित्सा पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा । इसलिये मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर जनमत जानने के हेतु उसे परिचालित करने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

एलोपैथिक चिकित्सा से आज देश की केवल 20 प्रतिशत जनता को लाभ पहुंचता है और सरकार 80 प्रतिशत लोगों की परवाह किये बिना उस पर करोड़ों रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रही है । 80 प्रतिशत लोग देशी दवा प्रणाली पर निर्भर करते हैं, इस समय सरकार देशी दवा प्रणाली में सुधार के लिये केवल 4 या 5 प्रतिशत राशि नियत करती है·········

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करनी है । माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं ।

———

बम्बई में फिल्मों का निर्माण स्थगित किया जाना**

SUSPENSION OF PRODUCTION OF FILMS IN BOMBAY

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, Film Industry is one of the major industries in India having an investment of Rs. 100 crores. Government's income from this industry is 70—80 Crores of rupees per annum. But the importance of the industry does not lie in the amount of investment or the income to Government therefrom but on its impact on the people, especially the youth which is tremendous.

The turmoil being evidenced in the industry at all levels points to things stinking therein. This shall have to be removed from all infection. The Government has so far done nothing to remove the basic ailments of the industry.

For the last two months, Producers, distributors, exhibitors and artists have been indulging in mud slinging on each other. It appears that almost all are naked in this pool. The malady of this Industry can be traced to be that arising from black money. Everyone in the industry is engaged in amassing and spinning as much black money as he can.

The Chairman of the Film Finance Corporation, Shri Himmat Singh, had recently sent a note to Government enumerating the various ills of the industry and the remedy thereof but it is regretted that Government has taken no action thereon so far. In my opinion it is worthy of acceptance and quick action by Government thereon, the departments of distribution and exhibition of films should be taken over by Government forthwith.

One word about the plight of workers in the film industry and I would finish. A few years before Kher Committee was appointed to go into their working conditions and wages etc. But it is regrettable that no action has been taken so far on its report. There

**आधे घंटे की चर्चा ।

Half-an-Hour Discussion.

is a wide disparity in the income of a technician and a cinestar. The farmers get something between Rs. 50 and Rs. 100 p.m. whereas the biggest star gets Rs. 17 lacs.

Lastly I would suggest that Government should encourage the new cinema Movement, which has been started by people who want to make good films without caring for the box office receipt and without indulging in black money transactions and who are really dedicated to this plastic art-medium, so that they might assist Government in eradicating the many ills in the film industry.

श्री बाबूराव पटेल (शाजापुर) : मन्त्री महोदय उन सभी बातों और कठिनाइयों से भली भांति परिचित हैं जिनका श्री फरनेंन्डीस ने उल्लेख किया है। जहां 82 प्रतिशत निर्माताओं और आधे वितरकों का दिवाला पिट चुका है वहां कोई भी सिनेमा बन्द नहीं हुआ। क्योंकि सारा धन सिनेमा वालों के पास जमा होता है इसलिए उन पर किसी प्रकार से नियन्त्रण लागू होना चाहिए।

वर्तमान संविधान के अनुसार फिल्मों का निर्माण तो नियन्त्रणाधीन नहीं लाया जा सकता परन्तु प्रदर्शन पर तो एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण रखा जा सकता है। क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : फिल्म उद्योग में संकट का स्थायी हल क्या है और इसमें काले धन के परिचालन को कैसे रोका जाये ? क्या वित्त मन्त्रालय किसी प्रकार इस धन को एकत्र करके कलाकारों को बुढ़ापे में उनकी सहायता करने का कोई मार्ग खोजेगी ? निर्माताओं, वितरकों और प्रदर्शकों में आपसी लूट खसोट को कैसे समाप्त किया जाये ?

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : I want to know whether the hon. Minister would find ways and means to coordinate the relation between the expenditure and income of producers, distributors and exhibitors so that films could be developed into true art and they should be used to awaken the nation ? If nationalisation of cinema is not possible, would the hon. Minister consider ways of preventing them from charging arbitrary rents to corrupt the film industry.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मन्त्री महोदय की इस घोषणा के तुरन्त बाद कि उन्होंने निर्माताओं और वितरकों के बीच विवाद सुलझा दिया है, एक हड़ताल हुई जो कई दिन तक जारी रही। मैं पूछता हूं कि इसे क्यों होने दिया गया। इस सारे विवाद का स्थायी हल क्या है ?

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जी।

Shri Prem Chand Verma : I should also be given a chance. We are not here merely to form a quorum.

सभापति महोदय : सदस्य महोदय को पीठासीन अधिकारियों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसा वह मन्त्रियों के प्रति कभी कभी करते हैं। उन्हें अध्यक्षीय पीठ का सम्मान करना चाहिए। आपने तो नाम भी नहीं भिजवाया था। आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता। अब मैं मन्त्री महोदय को बोलने के लिए कह चुका हूँ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : यह ठीक है कि फिल्म उद्योग में बहुत गन्दगी है और इसे तुरन्त दूर करना आवश्यक है। इसे केन्द्र तथा राज्यों की संयुक्त कार्यवाही द्वारा ही हल किया जा सकता है। समस्या की विस्तृत जांच करके स्थायी हल ढूंढा जाना चाहिये। इसके लिये मैं एक समिति नियुक्त करने पर भी विचार करूँगा।

मैं यह भी जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कलाकारों के पास काला धन कैसे पहुंचता है क्योंकि इसके बिना ठीक उपचार नहीं मिल सकता।

जहां तक स्टूडियो कर्मचारियों की समस्याओं का सवाल है, इसे एक त्रिपक्षीय समिति को सौंप दिया गया है। उनकी कठिनाइयों के बारे में रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। क्योंकि सिने कलाकार और एक्स्ट्रा एक अवधि में कई स्थानों और कई नियोजकों के अधीन काम करते हैं, अत: इसका निर्णय करना कठिन है। इसी प्रकार प्रदर्शकों का निर्णय करना भी कठिन है कि किसे प्रदर्शक माना जाये? केन्द्रीय सरकार की ओर से फिल्मों के सिद्धान्त निश्चित करने के बारे में एक समिति पहले ही नियुक्त की जा चुकी है।

फिल्म कलाकारों ने एक योजना बनाई है और यदि इस पर अमल किया गया तो कलाकारों में चोरबाजारी तो समाप्त हो ही जायेगी। यह सुझाव भी प्राप्त हुआ है कि फिल्म कलाकार अपने पारिश्रमिक में से कुछ प्रतिशत एक न्यास में दें जो सेवा निवृत होने के बाद उन्हें 15 किस्तों में लौटाया जाये। उस समय वे इस निधि से मिले धन पर आयकर देंगे और इस प्रकार उन्हें अपनी अधिकतम आय बतानी होगी और जब तक वे बता न दें उन्हें अपना हिस्सा वापस नहीं मिलेगा।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि फिल्म वितरकों और निर्माताओं पर कोई जोखिम नहीं है। गारंटी के कारण उनका जोखिम कम होता है पर जोखिम होता अवश्य है। क्योंकि फिल्मों की लागत बढ़ गई है और वह चर्म सीमा छू रही है इसलिये उसमें दृश्यों को सीमित कर देना पड़ा है और आय तथा लाभ भी सीमित होकर रह गया है। यदि लागत न बढ़ी होती और लाभ सीमित न हो गया होता तो वे नीरस न लगतीं।

फिल्म निर्माताओं की शिकायत है कि प्रदर्शकों ने किराये बढ़ा दिये हैं—इसकी भी जांच की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार फिल्म वितरण का काम अपने हाथ में नहीं ले सकती, हां राज्य सरकारें यह काम ले सकती हैं।

प्रदर्शन विभाग को एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाने की बात कही गई है। परन्तु आवश्यकता अधिक थियेटर खोलने की है। इसलिए यदि अंकुश लगाया गया तो इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी।

वितरण विभाग का काम केन्द्र को अपने हाथ में लेने से कई कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं—थियेटर राज्यों में स्थित हैं और हर राज्य में समस्याएँ भिन्न-भिन्न हैं।

चूंकि स्टूडियो और थियेटर राज्यों में स्थित हैं और श्रम कानून भी राज्यों का मामला है, अत: दीर्घकालीन उपाय ढूंढने में राज्यों का सहयोग अनिवार्य है।

फिल्म निर्माताओं और प्रदर्शकों के बीच विवाद अब केवल उत्तर भारत में ही सीमित है और उसे सुलझाने के लिए प्रयत्न जारी हैं, आशा है यह संकट शीघ्र ही टल जायेगा।

सभापति महोदय : सभा सोमवार तक स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 29 अप्रैल, 1968/9 वैशाख, 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 29, 1968/ Vaisakha 9, 1890 (Saka).